खण्ड-275, अंक-6
शुक्रवार, 1 पौष, शक संवत् 1889
(22 दिसम्बर, 1967 ई0)

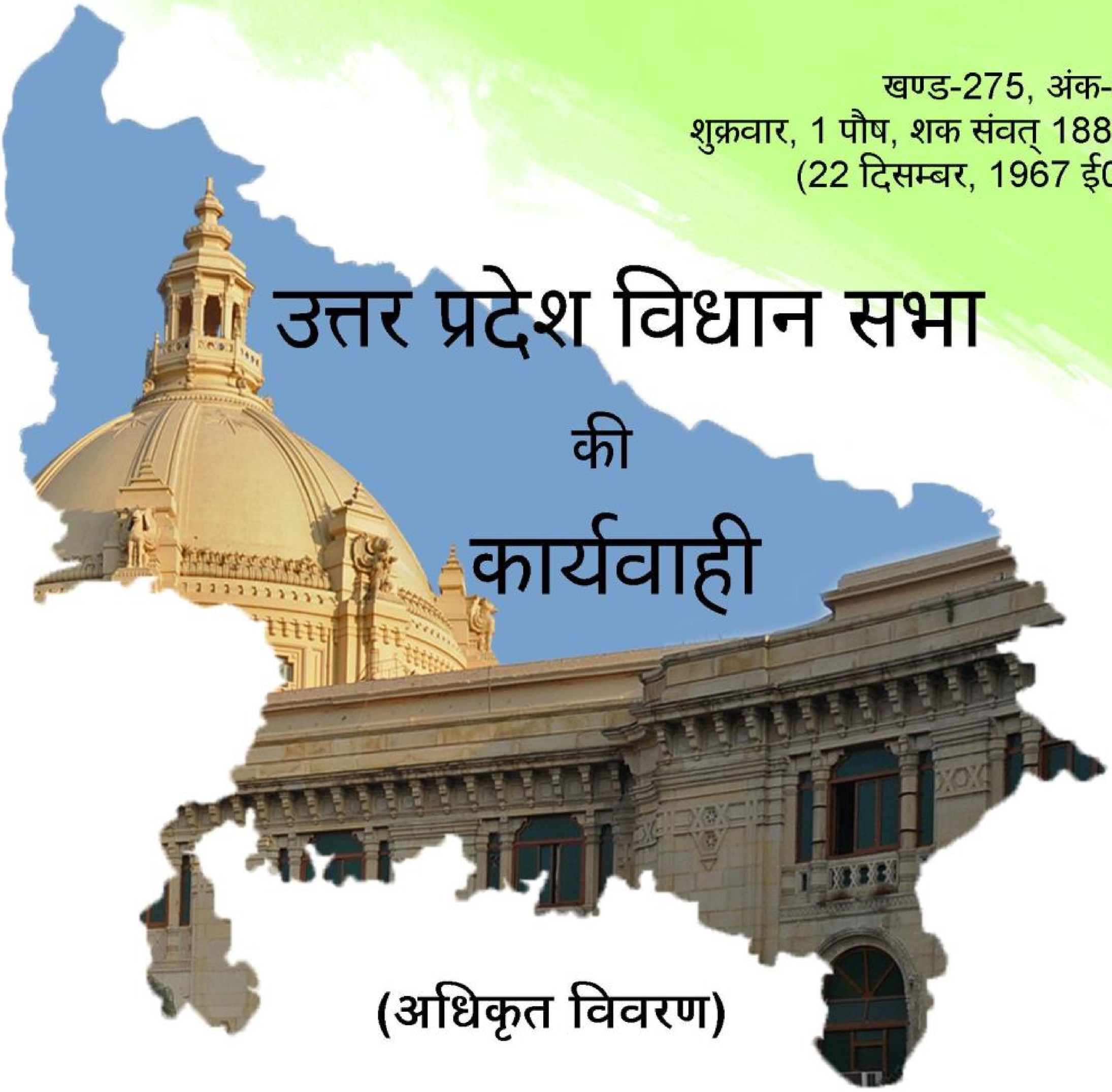

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४००

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशर्फीलाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री

कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण, तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री

विधान सभा प्रदेश सभा

नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री

मोहनलाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनारायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री

लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगनसाहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकतजंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसादसिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीशंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सूक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरीबाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य मन्त्री श्री राम प्रकाश तथा उद्योग मन्त्री श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९६७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायक निवास कर्मचारियों की आवास-व्यवस्था

**१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में कार्य करने वाले केयरटेकरों तथा अन्य कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना स्थान दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)—

विधायक निवास के हर एक केयरटेकर को उनके निवास में दो-दो कमरे आवास के लिए दिये गए हैं। निवास के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को भी क्वाटर उपलब्ध होने पर दिये जाते हैं।

**२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सच है कि विधायक निवास के केयरटेकरों को यह अधिकार भी है कि वे निवास की भूमि पर निजी निर्माण करें और विधायक निवास 'ए' ब्लाक में मवेशियों के लिए ऐसा निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो यह निर्माण सरकारी धन से किया गया है या निजी धन से ?

श्री मंगल देव विशारद—

जी नहीं। केयरटेकर 'ए' ब्लाक ने अपने खर्चे से एक छोटा गोशाला एक कोने में बनाया है।

विधायकों को राज्य से बाहर यात्रा के लिये रेल यात्रा कूपन देने की मांग

**३—श्री मोहम्मद रफी खाँ, श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला शाहजहांपुर), श्री शिवमूर्ति (अनुपस्थित)—श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर), (अनुपस्थित)—श्री राम रतन प्रसाद, श्री रामेश्वर सिंह (जिला बलिया), श्री त्रेपनसिंह, (जिला टेहरी गढ़वाल), श्री सुक्खन लाल, श्री ओंकार शरन (जिला मुरादाबाद), श्री शफकत जंग (जिला मुजफ्फरनगर), श्री रामनाथ दीक्षित, श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री केसरी लाल (जिला कानपुर), श्री लालन शर्मा, (जिला हरदोई), श्री आत्मा पांडेय, (जिला गाजीपुर), श्री उदयवीर सिंह (जिला ऐटा), श्री बाबूसिंह, (जिला अलीगढ़), श्री जुगुलकिशोर (जिला बदायूं), श्री ए० सी० ग्राइस, (नाम निर्देशित आंगल भारतीय), श्री नित्यानन्द पांण्डेय, (जिला कानपुर), श्री अशरफ अली खां, (जिला मथुरा) श्री जगदम्बा प्रसाद, (जिला फैजाबाद), श्री तेजसिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री खेमचन्द तथा श्री कन्हैयालाल बालमीकि (जिला हरदोई), श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा विधान मण्डल के सदस्यों को सफर करने के लिये दस हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष के कूपन दिये जाने की सहूलियत प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को प्रदेश के बाहर यात्रा के लिए रेल यात्रा कूपनों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राइस—

श्रीमन्, जब एम० पीज० को यह फैसिलिटी मिलती है तो हम लोगों को कम से कम दिल्ली तक के लिये यह सुविधा दे दी जाय क्योंकि वहां का किराया केवल डेढ़ रुपया है और दिक्कत टिकट वगैरा बनवाने में बड़ी होती है इसलिये यह सहूलियत देने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय ग्राइस जी आप का सवाल है कि दिल्ली तक की ही इजाजत मिल जाय।

श्री ए० सी० ग्राइस—

श्रीमन्, सवाल तो हमारा दस हजार किलोमीटर तक का है लेकिन अगर सरकार को आर्थिक कठिनाई है तो कम से कम दिल्ली तक का कर दिया जाय।

श्री रूपनाथ यादव—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को प्रदेश के अन्दर यात्रा सुविधा प्राप्त है और प्रदेश के बाहर सुविधा देने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सदस्यों का कार्य प्रदेश की सीमा के अन्दर है।

श्री अध्यक्ष—

आपने इसमें आर्थिक कठिनाई का कारण बताया है जिसके कारण यह सुविधा नहीं दे सकते हैं। वे कहते हैं कि आर्थिक कठिनाई के कारण और जगह के लिए तो यह ठीक है लेकिन दिल्ली तक के लिये जहां का किराया केवल एक रुपये ५ पैसे लगता है और कठिनाई बहुत है, मामले में ऐसा कर दिया जाय।

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, प्रदेश के एम० एल० एज० कुयें के मेढ़क की तरह हैं और उनको यह पता नहीं है कि हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स में कितना डेवलपमेंट हो चुका है और किस तरह से महाराष्ट्र वगैरा में कोआपरेटिव्स कायम हो चुकी हैं। इसलिये क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि सरकार की ओर से एम एल० एज० की सुविधायें मुहैया की जायं ताकि वह जान सकें कि किस तरह अपने मुल्क के अन्दर दूसरी स्टेट्स में विकास कार्य बढ़ रहा है ?

श्री श्याम लाल यादव—

मान्यवर, सदस्यों को अवगत कराने के लिए प्रदेश में एक उत्तम लाइब्रेरी मौजूद है। उससे लाभ उठा सकते हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत—

क्या माननीय मंत्री जी डेनाई करेंगे कि किताबों की नालेज काम नहीं देती है ? विजुअल इम्प्रेशंस दिमाग पर लास्टिंग असर छोड़ जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री अश्वनी कुमार —

क्या सरकार उत्तर प्रदेश में रोडवेज से सफर के लिए सदस्यों का कोई प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री श्यामलाल यादव—

मान्यवर, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

प्रधान मन्त्री का रायबरेली जिले में दौरा स्थागित करने की सिफारिश

**४—श्री मोहम्मद रफी खां (अनुपस्थित), श्री रामप्रसाद नौटियाल (अनुपस्थित) श्री राजनाथ सिंह (अनुपस्थित), श्री राम रतन प्रसाद, श्री रामेश्वर सिंह, श्री त्रेपनसिंह, श्री सुक्खनलाल, श्री ओंकार सरन, श्री शफकत जंग, श्री रामनाथ दीक्षित, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री केशरी लाल, श्री लालन शर्मा, श्री आत्मा पांडेय, श्री उदयवीर सिंह, श्री बाबू सिंह, श्री जुगल किशोर, श्री ए० सी० ग्राइस, श्री नित्यानन्द पांडेय, श्री अशरफ अली खां, श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री तेजसिंह, श्री खेमचन्द तथा श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री मदन मोहन मिश्र तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उन्होंने प्रधान मन्त्री का दिनांक १६ दिसम्बर, १९६७ का रायबरेली जिले का गंगा पुल उद्घाटन कार्य-क्रम रद्द करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो क्यों?

गृह उपमन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

कार्यक्रम रद्द करने की नहीं बल्कि दौरा स्थगित करने की सिफारिश, वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा प्रधान मन्त्री की सम्भावित असुविधा के खयाल से, की गई थी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री सौभाग्य से उत्तर प्रदेश की ही हैं यह राज्य सरकार रायबरेली जिले में उनके जाने के लिए शान्ति-व्यवस्था की व्यवस्था नहीं कर सकती, उनके आने का प्रोग्राम क्यों रद्द करवाया गया, क्या विशेष स्थिति थी जो उनको प्रोग्राम को हटाना पड़ा?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे हिस्से का उत्तर दे दीजिए।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, वह तो मेरे मित्रों और यू० पी० के सभी लोगों को मालूम था कि वहां कुछ लोग इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जब माननीय प्रधान मन्त्री वहां आयें तो धरना दिया जाय और डिमांस्ट्रेशन किया जाय, हजारों की तादाद में। उस चीज को हम मुनासिब नहीं समझते थे कि इस तरह की चीज हो और किसी तरह से उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। इसमें उनको भी कठिनाई हो सकती थी। जहां तक गवर्नमेंट के इन्तजाम का सम्बन्ध है गवर्नमेंट पूरा इन्तजाम करती ही है। जब भी वह आएंगी तो पूरा इन्तजाम करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न।]

बरेली में बी० टी० सी० के चुनाव में अनियमितता

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में जिला स्तर पर हुए अभी हाल के चुनाव में सरकारी आदेशों की अवहेलना करके हाई स्कूल-द्वितीय व इन्टर पास विद्यार्थियों को बी० टी० सी० के चुनाव में न लेकर इनसे निम्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चुना गया है?

वन उप-मन्त्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

जी हां, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

*२--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह भी सही है कि शिक्षण का अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी उक्त बी० टी० सी० के चुनाव में नहीं लिए गए यद्यपि उनकी शैक्षिक योग्यता चुनाव में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के समान या उनसे अधिक थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे का जरा तर्जुमा करके बता दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो पहले का उत्तर है वही दूसरे का है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कोई जांच करवायी और उस जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

जी हां, जांच करवायी थी । उस से पता चला कि मुख्यतः तीन नामों के बारे में कि उनको चुना जाना चाहिये था जो उनकी योग्यता थी उस के आधार पर लेकिन चुने नहीं गये बाद में जब यह गलती सामने आयी तो उस को दुरुस्त कर दिया गया ।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवल बरेली ही में नहीं प्रदेश के और जिलों में भी इस तरह की चुनाव में गड़बड़ियां पायी जाती हैं, क्या उसके बारे में कोई आदेश दिलाने या कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे गड़बड़ियां न हों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आदेश पहले से ही ऐसे हैं । अगर कोई विशेष जानकारी देंगे तो उस पर भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने आदमियों का चुनाव किया गया था, जिस में से ३ आदमी अनियमित तरीके से लिये गये थे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, इस के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक रामप्रसाद पुत्र श्री तोताराम, निवासी ग्राम चौपारा, जिस के परीक्षा में ६०० में २२८ नम्बर थे और केवल ३ वर्ष ५ माह का अनुभव था उस को ले लिया गया किन्तु दूसरे लड़के प्रेमराज पुत्र मौनी राम निवासी ग्राम मुंडिया हाफिज, डा० बौरा, जिला बरेली, जिस के ६०० में २३० नम्बर थे, और उसका ३ वर्ष ८ माह का अनुभव था उसको नहीं लिया गया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जो शिकायत मिली थी और जांच में जो कुछ सामने आया उस को देखकर ये आदेश जारी किये गये थे। इन नामों के बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है, अतः इस के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

उत्तर काशी जिले में अप्रशिक्षित अध्यापकों का हटाया जाना

*३—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उत्तर काशी जिले के बेसिक पाठशालाओं के बहुत से अध्यापक जो सालों से अन्ट्रेन्ड होने के कारण अस्थायी पद पर हैं और जिन को ट्रेनिंग में जाने का मौका नहीं दिया गया और अब नये नियमों के मुताबिक ट्रेनिंग में भेजे नहीं जा सकते हैं उन की सेवायें इसी माह से समाप्त की जा रही हैं? अगर यह सही है, तो सरकार उनको खपाने का प्रबन्ध क्या कर रही है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बेसिक (प्राइमरी) पाठशालाओं के कवल ६७ अप्रिशिक्षित अध्यापकों को हटाकर उनके स्थान पर शिक्षित अध्यापकों को रखा गया। इस प्रकार निकाले गये अप्रिशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में नियमानुसार विचार होगा। प्रशिक्षण क बाद ही उन की नियक्ति पर विचार किया जा सकेगा।]

(अध्यक्ष द्वारा माननीय मन्त्री का नाम उत्तर के लिए लिये जाने पर)

श्री कृष्ण सिंह—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है, मान्यवर छपाई में चौथी लाइन में गलती है, इस में लिखा है, "अब नये नियमों के मुताबिक ट्रेनिंग में भेजे जा सकते हैं, जब कि होना इस प्रकार चाहिये, 'अब नये नियमों के मुताबिक ट्रेनिंग में नहीं भेजे जा सकते हैं' इस में 'नहीं' शब्द छूट गया है।

(माननीय उपमन्त्री द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया)।

श्री राम मूर्ति—

क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कितने साल के अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी में खपा लिया जाता है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मार्च, १९६७ में ही ऐसा किया गया था कि जो बाद में नौकरी में आये उन्हें पहले निकाला जाय, जितने प्रशिक्षित अध्यापक मिलते जायं उन्हें काम दिया जाय और नियमों के अनुसार अप्रशिक्षित लोग निकाले जायं और प्रशिक्षित लोगों को काम दिया जाय। अब इस में संशोधन यह किया गया है कि २ साल या उस से कम के जो नौकरी के लोग हैं उन्हें निकाला जा सके और उन की जगह पर प्रशिक्षित लोगों को रखा जायगा और ज्यों-ज्यों हमें प्रशिक्षित अध्यापक मिलते जायगे, त्यों-त्यों प्रशिक्षित अध्यापकों को रखा जायगा। अगर दो साल से अधिक की सेवा के भी अप्रशिक्षित लोग हैं और उनके स्थान पर प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हो सकते हैं तो यह स्थानीय निकायों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह उन अप्रशिक्षित अध्यापकों को हटाकर प्रशिक्षित अध्यापक रखें या न रखें।

श्री राम मूर्ति—

मुझे यह बताया गया है कि ५ साल तक के जो अन्ट्रेन्ड अध्यापक हैं उन को नहीं निकाला जाता है, क्या यह बात ठीक है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एसा कोई नियम नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

उनका ऐसा कानून है कि १२ वर्ष तक के जो अनट्रेन्ड अध्यापक हैं उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा तो क्या इन सेवामुक्त अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करने और पुनः सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां, उनको प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं और उसके बाद जब वह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तब इसी नियम के अनुसार उनको नौकरी भी दी जायगी।

श्री कृष्णसिंह—

यह सीमा से सम्बन्धित प्रश्न है। वहां दो सौ चार सौ ट्रेन्ड टीचर्स एसे हैं जो जूनियर हाई स्कूल पास थे उन्हें ४०-४० और ५०-५० के बैच में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया था। और इस बीच में नियम बना है जिससे मैट्रीकुलेशन के लोग चुने जाते हैं और जो जाना चाहते थे और जिनके लिये अवसर नहीं मिला है तो जो जूनियर हाई स्कूल पास हैं वह अब नियम के मुताबिक कैसे भेजे जा सकते हैं ? तो क्या सरकार नियमों में इस तरह का परिवर्तन करेगी जिससे कि पहले जैसे लोग भेजे जाते थे उसी के अनुसार अब भी भेजकर उनको स्थायी बनाया जा सके ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक मेरी जानकारी है उत्तराखंड के जिलों के लिये यह नियम नहीं लागू है वहां ८वां पास भी लिये जा सकते हैं।

श्री कृष्णसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल पास लड़के वहां निकाल दिये गये हैं और जो मैट्रीकुलेशन ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे उनको रखा गया है। उन जूनियर हाईस्कूल वालों के लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसे लोगों को अवश्य प्रशिक्षित किया जायगा और जब वे प्रशिक्षित हो जायेंगे तो उनको भी काम दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

(बहुत से माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मैं आपसे कहूंगा कि कल यह शिकायत हुई थी कि सप्लीमेंटरीज की इतनी ज्यादा इजाजत दे दी जाती है कि बहुत से सवाल रह जाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों की इच्छा को देखकर इस पर दो मिनट और दिये देता हूं। (श्री राममूर्ति का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

आपने उनको तीन बार मौका दिया, हमें एक बार भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह बड़ा अशोभनीय है कि आप पीठ पर इस तरह से खड़े होकर आक्षेप करें।

श्री मोहनलाल कपूर—

इधर मौका एक भी आदमी को नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

सवालों के समय तो यह हो नहीं सकता कि इधर के लोगों को या उधर के लोगों को मौका नहीं मिला ।

श्री मोहनलाल कपूर—

आपको तो समानता के आधार पर लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके इस अधिकार को बिल्कुल नहीं मानता । इस तरह से हर एक आदमी कह सकता है कि हमें मौका मिले तो फिर तो ४२६ सवाल हो सकते हैं एक ही प्रश्न पर और इसलिये इसका अधिकार आपको कहने का नहीं है । यह मेरा अधिकार है कि मैं किसको अवसर दूं, किसको न दूं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अवसर सबको मिलना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको बिलकुल अशोभनीय और अनुचित मानता हूं कि आप मेरे अधिकारों पर इस तरह से आक्रमण करें ।

श्री राममूर्ति—

क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश ऐसा है कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर बी० टी० सी० पहले लिये जायं और जे० टी० सी० उनके मुकाबले में न लिये जायं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

जहां अप्रशिक्षित अध्यापकों को हटाकर उनकी जगह पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे गये हैं उनसे इकरारनामा कराया गया है कि उन्हें वही वेतन मिलेगा जो अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को मिलता था । क्या सरकार के ज्ञान में ऐसी कोई बात है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसी कोई सूचना इस समय तक नहीं है । इसके लिये अगर शिकायत होगी तो जांच करा ली जायगी ।

श्री राजबहादुर—

क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिनको निकाला जाय उनको अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जा सके ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो इस वक्त नियम हैं उनके अन्दर ५० प्रतिशत मास्टरों को जे० टी० सी० में संरक्षण प्रदान किया हुआ है । इसी नियम के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर जो लोग आ जायेंगे उनको प्रशिक्षण का मौका मिलेगा ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

मैं एक सवाल नीति के बारे में पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास १०० सवाल हैं। एक सवाल में काफी समय लग जाता है। ११.२० इस समय हो चुका है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

कुछ सवाल रख देते हैं और कुछ हटा देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह शिकायत हो सकती है।

चन्दौसी इन्टर कालेज का हाई स्कूल परीक्षा फल रोकना

*४—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले चन्दौसी इन्टर कालेज, चन्दौसी के हाई स्कूल परीक्षा के १५० में से १०१ का परीक्षाफल रोक दिया गया है? इन रोके हुये परीक्षार्थियों के मामले का अन्तिम निर्णय कब तक करने जा रहे हैं? क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० बोर्ड ने कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल किन्हीं कारणों से रोका है और उन रोके हुये परीक्षार्थियों के मामलों में से कितनों का अन्तिम निर्णय हो चुका है? चूंकि विद्यालय खुल गये हैं, विद्यालय खुल जाने से परीक्षार्थी के अभिभावकों को प्रवेश के लिये बड़ी कठिनाई हो रही है।

श्री अनन्तराम जायवसाल—

जी हां।

इन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में सितम्बर, १९६७ के प्रथम सप्ताह में निर्णय हो चुका है।

इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत: है—

	परीक्षाफल रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या	सितम्बर, १९६७ तक निर्णीत मामलों की संख्या	सितम्बर तक विचाराधीन
हाई स्कूल	९,४४०	८,६५३	७८७
इन्टरमीडियेट ..	५,७५९	४,६१३	१,१४६

जहां तक हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं में प्रवेश का प्रश्न है, बोर्ड के नियमानुसार रोके गये परीक्षा फल घोषित होने के उपरान्त संख्या में प्रवेश लेने वाले छात्रों के उपस्थिति की गणना उनके परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से १० दिन बाद से की जाती है। परीक्षा फल घोषित होने के पूर्व भी इनका प्रवेश उसी कक्षा में अस्थाई रूप से किया जा सकता है।

श्री महेश कुमार—

जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोका गया है उसका निर्णय लेने में इतना समय जो लगता है उससे उनकी पढ़ाई की हानि होती है। अतः क्या ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे जल्दी फैसला हो जाय ताकि वह दोबारा विद्यालयों म प्रवेश पा सकें?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जो नियम है उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का प्रयत्न किया जाता है। अगर इससे कोई सरल नियम बतायेंगे तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जिन लड़कों का परीक्षाफल रोका जाता है उनके प्रवेश की सुविधा हो जाय, इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री महेश कुमार—

यदि उनको अस्थायी प्रवेश मिल जाता है तो क्या उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है और उनसे फीस ली जाती है या नहीं ? और कोई तरीका ऐसा निकाला जा सकता है कि जब सब स्कूलों में प्रवेश पूरे हो जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थी मारे-मारे फिरते हैं, वह मारे-मारे न फिरें ?

श्री अध्यक्ष—

केवल पहले भाग का उत्तर दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तफसील की बात है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

परीक्षाफल जून में घोषित होता है और जिन परीक्षार्थियों को रोका जाता है उनका परीक्षा-फल नवम्बर, दिसम्बर तक घोषित नहीं किया जाता, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जुलाई अथवा ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक सारे मामले निपटा दिये जायं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें जो विधि है वह जो एग्जामिनर हैं उनसे स्क्रीनिंग कमेटी तक और फिर घटनास्थल तक जाने में समय लगता है और संख्या इस तरह के मामलों की बहुत बढ़ती जा रही है दिन पर दिन ऐसे लोगों की जो नकल वगैरह का सहारा लेते हैं तो देर तो लग ही जाती है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

मेरठ जिले में लाभत्रयी योजना में न लिए गये अध्यापक तथा विद्यालयों को खेल के मैदान के लिए अनुदान

*१—श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने स्थायी अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें लाभत्रयी योजना में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लाभत्रयी योजना केवल उन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों पर लागू है जिन्हें राजकीय सहायता मिलती है। मेरठ जिले के ऐसे माध्यमिक विद्यालयों के केवल ६ अध्यापक ऐसे हैं जो इस योजना में सम्मिलित नहीं किये गये क्योंकि उन्होंने इस योजना को वरण नहीं किया।

*२--श्री वीरेश्वर त्यागी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सन् १९६४-६५, १९६५-६६ व १९६६-६७ में मेरठ जिले के किन-किन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को खेल के मैदान के लिये अनावर्तक अनुदान दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अनुदान किन-किन संस्थाओं ने उपयोग करने का प्रमाण-पत्र दे दिया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८५ पर ।)

श्री वीरेश्वर त्यागी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिन्होंने इस योजना को तो वरण कर लिया है पर जीवन बीमा नहीं कराया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरठ में इनकी संख्या १,२३६ है ।

श्री वीरेश्वर त्यागी--

क्या बिना बीमा कराये इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो संख्या मैंने बताई है इसमें कुछ वह लोग भी हैं जो इससे मुक्त हैं । ४० वर्ष से अधिक के अध्यापक इससे मुक्त हैं । कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जीवन बीमा नहीं कराया है, उनको पेन्शन का फायदा तब तक नहीं मिलेगा ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

जो अध्यापक रिटायर किये गये हैं और जिनको इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, उनके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसमें विलम्ब इसलिये हो जाता है कि उनके सर्विस रेकार्डस आदि तैयार करने में काफी समय लग जाता है ।

श्री मोहनलाल कपूर--

जिन लोगों को अनिवार्य रूप से इस योजना में सम्मिलित हो जाना चाहिये, और जो नहीं हुये हैं, उनके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उनके प्रबन्धकों से कहा गया कि वे ऐसे अध्यापकों को नियम आदि बता दें ताकि वे जीवन बीमा करा लें, नहीं तो पेन्शन नहीं मिलेगी ।

देवरिया जिले के राष्ट्रीय उच्च मार्ग में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*३--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया जिले की राष्ट्रीय उच्च मार्ग (नेशनल हाई वे) में जो भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति हस्तगत की गई है उसको मुआवजा कितना देना है और उसमें से अब तक कितना दिया जा चुका है ? जिन लोगों का घर उसमें पड़ा है उनको अन्य स्थान पर आबाद करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

अस्थायी भूमि का १०,८४० रुपया ४२ पैसे का अवार्ड घोषित हो चुका है । सम्बन्धित काश्तकारों को, जो सूचना देने पर उपस्थित हुए थे, यह मुआवजा दिया जा चुका है । शेष धनराशि सम्बन्धित काश्तकारों के नाम राजकीय कोष में जमा कर दी गई है ।

कुछ अस्थायी व कुल स्थायी भूमि के मुआवजेके लिए एवार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है ।

जो घर अध्याप्त भूमि में पड़े हैं उनके लिए भी उचित मुआवजा दिया जायेगा । अन्य स्थान पर आबाद करने का प्रबन्ध नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, वर्षों हो गये, सरकार ने जमीन ले ली है और उनको मुआवजा नहीं मिल सका है । इस प्रश्न के उत्तर से यह पता नहीं चलता है कि कितना मुआवजा देना था और कितना दिया जा चुका है । तो क्या मंत्री जी अपने अधिकारियों से स्पष्ट उत्तर मांगने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलदेव विशारद--

मैंने प्रदेश भर के जिले अधिकारियों तथा अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि मुआवजा देनेके विषय में जो परेशानियां हैं उनको शीघ्र दूर किया जाय और मैं आश्वासन देता हूं कि निकट भविष्य में ही सरकार सारे प्रदेश में इस समस्या के समाधान के लिये कदम उठाने जा रही है ।

श्री राजाराम (देवरिया)--

सरकार ने मुआवजा देने की नीति किस दर पर अपनाई है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

सम्भवतः माननीय सदस्य का भी कोई सवाल आगे आने वाला है । नियमों के अनुसार जो रेट होते हैं उन्हीं के अनुसार दिया जाता है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

यहां अक्सर प्रश्न होते रहे हैं कि ये रेट कम हैं, तो क्या मंत्री उनमें संशोधन करके उन्हें बढ़ाने पर विचार करेंगे ताकि वे उचित हो जावें ?

श्री मंगलदेव विशारद--

माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उन पर विचार किया जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)--

जो आश्वासन मंत्री जी ने गेंदा सिंह जी को दिया उसके अन्तर्गत पर्वतीय प्रदेश भी आता है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

अगर उनकी सीमायें प्रदेश के अन्दर हैं तो उन पर भी विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष --

आश्वासन तो सारे प्रदेश के लिये है ।

*४--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

[स्थगित किया गया ।]

श्री श्रीराम तिवारी--

मंत्री जी ने जो इतना बड़ा उत्तर दिया है, मुझे बहुत छोटी ४, ५ लाइन का उत्तर मिला है : मैं कैसे सप्लीमेंटरी करूं ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्री राम तिवारी के पास उत्तर की प्रतिलिपि देखकर) यह वाकई संक्षिप्त है । मैं इसे स्थगित करता हूं ।

हिन्दू इन्टर कालेज, कांदला के अध्यापकों का वेतन रोकना

*५—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात हुआ है कि हिन्दू इण्टर कालेज, कांदला, जिला मुजफ्फरनगर के कुछ वर्तमान अध्यापकों तथा कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापकों को अनेक वर्षों की वेतन वृद्धि रोक रखी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उनको वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हिन्दू इंटर कालेज, कांदला जिला मुजफ्फरनगर के तीन वर्तमान अध्यापकों तथा एक अवकाश प्राप्त अध्यापक की जिस अवधि की वेतन वृद्धि रोक ली गयी उसका विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है । उक्त अवधि की वेतन वृद्धि एवं दक्षतारोक उक्त ४ अध्यापकों के कार्य तथा परीक्षाफल के असन्तोषजनक रहने के कारण रोकी गयी ।

संलग्न सूची में दी गयी अवधि की राशि को छोड़ कर अब तक बराबर वेतन वृद्धि दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७८६ पर ।)

श्री मन्नालाल—

क्या इनके कारणों की कोई जांच कराई गई थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नियम यह है कि अगर यह रोक लगा दी जाय तो वें ३० दिन के अन्दर जिला विद्यालय निरीक्षक के पास अपील करें । ऐसी कोई अपील नहीं हुई, इसलिये जांच भी नहीं हुई ।

श्री मन्नालाल—

क्या अध्यापकों को कोई नोटिस दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्या इसकी दोबारा जांच कराने की कृपा करेंगें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उनको जरूर सूचना दी गयी होगी, ऐसा मैं समझता हूं । अगर माननीय सदस्य को निश्चित जानकारी है कि नहीं दी गई तो बतलावें, फिर देख लिया जायगा ।

प्रतापगढ़ जिले में मुल्तवीशुदा लगान की वसूली

*६—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जिला प्रतापगढ़ में १३७३ एवं १३७४ फसली का खरीफ का मुल्तवीशुदा लगान बड़ी सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो लगान माफ करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व उप मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह यादव)—

शासन ने खरीफ १३७३ फसली की मुल्तवीशुदा मालगुजारी की खरीफ १३७५ फसली की मालगुजारी के साथ वसूल करने का आदेश २५ अक्तूबर, १९६७ को दिया है । खरीफ १३७४ फसली की मालगुजारी इसी आदेश के मुताबिक रबी १३७५ फसली की मालगुजारी के साथ वसूल होनी है । अभी इसकी वसूली नहीं हो रही है । इस वसूली में सख्त कार्यवाही नहीं की जा रही है । लगान माफ करना नियमानुसार सम्भव नहीं पाया गया ।

श्री रामकिंकर—

१३७३ और १३७४ फसली में खरीफ का लगान दो मर्तबा मुल्तवी हो गया और इस वर्ष सितम्बर में केवल ४ इंच पानी बरसा है, अक्तूबर और नवम्बर में कुछ भी नहीं बरसा है। इन सब तथ्यों को देखते हुये क्या सरकार पिछले दो वर्षों का खरीफ लगान माफ करने पर विचार करेगी?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

१३७३ और १३७४ फसली का लगान मुल्तवी करने के बारे में प्रतापगढ़ जिले की सभी पार्टियों ने सरकार को सूचना दी थी कि सूखा, अवर्षण के कारण फसलों को हानि हुई है, इसलिये लगान की माफी की जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि सभी लोगों ने ऐसी दरख्वास्त दी थी या नहीं। लेकिन यह सही है कि इस बात की सिफारिश आई थी कि यह लगान माफ कर दिया जाय। परन्तु बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इसे देखने के बाद यह राय कायम की कि यह माफ नहीं होगा, मुल्तवी होगा। वैसे मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बताऊं कि नियम के अनुसार खरीफ की फसल को तो हम स्थगित करते हैं और रबी की फसल में जब कोई दिक्कत आती है तो उसकी माफी का सवाल पैदा होता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जब जिलाधिकारियों ने शासन को खबर दे दी कि नुकसान है और यह लगान वसूल नहीं होना चाहिये तो फिर क्या कारण है कि शासन ने काश्तकारों से २ साल का बकाया वसूल करने के आदेश दिये हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसी सूचना जिलाधिकारियों ने भेजी थी।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

वहां के किसानों को वसूलयाबी में हवालात में बन्द किया जा रहा है, इस सख्ती का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई निश्चित केस नोटिस में लाया जाय तो कार्यवाही की जाय।

श्री मधुकर दिघे—

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि वसूलयाबी यकजाई न कराके पार्ट पेमेन्ट में करावें ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसा हो रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब तक खाते में नुकसान १० आने से ज्यादा न हो तब तक छूट किसानों को नहीं मिलती है, यह नियम है। एक खाते में कई जगह की जमीन आ सकती है। सूखा वगैरह एक जगह पड़ता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस नियम पर विचार करेंगे कि खरीफ में अगर सूखा पड़े तो उसके लिये अलग से छूट और रबी की अलग से छूट की व्यवस्था हो ?

श्री उदित नारायण शर्मा --

अभी जो नियम हैं उनमें ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर खरीफ की फसल ज्यादा है और खरीफ का सूखा होता है तब वहां छूट की बात सोची जा सकती है लेकिन जहां पर मुख्य फसल रबी की है वहां पर अगर खरीफ का नुकसान होता है तो लगान स्थगित होता है माफ नहीं होता ।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर भी सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

आप कृपा कर के बैठें आगे और सवाल हैं जो मैंने पढ़े हैं आपने कदाचित न पढ़े हों वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, दस मिनट ही अब रह गये हैं और प्रश्नों के साथ न्याय ही होना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री --

वहां पर श्रीमन्, आदमी गिरफ्तार किये जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है थोड़ा समय और दे दें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

श्रीमन्, वह खुद मानते हैं और जिला अधिकारियों ने कहा है कि वहां खरीफ का नुकसान हुआ है और वह कहते हैं कि जहां खरीफ की फसल प्रधान है वहां हम खरीफ में छूट देते हैं । उनको शायद प्रतापगढ़ के बारे में मालूम नहीं है कि वहां खरीफ का और रबी का प्रतिशत क्या है । मेरा कहना है कि प्रतापगढ़ जहां कि मंत्री जी को कई बार जाने का मौका मिला है वहां के लोगों की तकलीफ पर ध्यान दें और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि वहां के सूखाग्रस्त लोगों की सहायता होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी) --

मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से और सरकार से कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिये आधे घंटे के डिस्कशन की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष --

वह तो मेरे हाथ की बात है आप बैठें ।

एस० एल० इन्टर कालेज, खानपुर के प्रधानाचार्य का निलम्बन

*७--श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एस० एल० इन्टर कालेज, खानपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य कितने दिनों से निलम्बित चल रहे हैं ? क्या सरकार को प्रधानाचार्य से अपने निलम्बन के सम्बन्ध में हाल ही में कोई याचिका प्राप्त हुई है ? अगर हुई है, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल --

एस० एल० इन्टर कालेज, खानपुर, बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य श्री मेघराज सिंह २०-१०-६५ से निलम्बित हैं ।

शासन को इनकी कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है । इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर को एक याचिका दिनांक १-६-६७ को दी थी जिस पर समुचित विचार करके १५-६-६७ को निरीक्षक ने उत्तर दे दिया है कि उनका निलम्बन न्यायालय द्वारा वैध माना गया है । अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

*८—श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ने एस० एल० इन्टर कालेज, खानपुर, जिला बुलन्दशहर की धांधलियों को समाप्त करने के लिये सन् १९६५, १९६६ में उक्त कालेज में एक प्रशासक नियुक्त करने का सरकार को सुझाव दिया था ? यदि सुझाव दिया था, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी नहीं ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० एल० इन्टर कालेज, खानपुर के प्रिन्सिपल जिनका निलम्बन लोअर कोर्ट ने वैध माना और हाईकोर्ट ने अवैध माना है और जिस ने बुलन्दशहर के जिला इंस्पेक्टर और कालेज की मैनजमेन्ट कमेटी के खिलाफ स्टेटमेन्ट पास किये हैं उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है अगर ऐसा फैसला हुआ है तो उस पर किसी की हिम्मत नहीं है कि अमल न करे ।

श्री हरीसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह निलम्बित प्रिन्सपल अब भी उक्त कालेज में कार्य कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसी जानकारी शासन को नहीं है ।

श्री हरी सिंह (बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कालेज के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने कुछ खामियां पायीं ? अगर पायीं तो इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

शासन की जानकारी में इतना जरूर है कि प्रबन्ध समिति में २ गुट हैं और झगड़ा चल रहा है, बाकी अन्य तफसील की बातों की जानकारी नहीं है ।

वाराणसी जिले में लेखपालों का महंगाई भत्ता

*९—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में लेखपालों को महंगाई भत्ता जो पिछले सालों में बढ़ा है अब तक नहीं दिया गया है और यह भी सही है कि उनकी पूरी तनख्वाह का बिल भी नहीं बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या ज्ञानपुर, चकिया, चन्दौली, वाराणसी, तहसीलों में ऐसे कितने केस हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

जी नहीं । यह सही नहीं है कि पिछले सालों में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता वाराणसी के लेखपालों को नहीं दिया गया है और उनकी देय तनख्वाह का पूरा बिल नहीं बनाया जाता है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महंगाई भत्ता कब बढ़ा और कब उसका भुगतान किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वेतन अभिनवीरकरण समिति के फैसले के मुताबिक पिछले वर्ष दिया गया और इस मर्तबा फिर अप्रैल में बढ़ा । पिछले वर्ष का जो था वह दे दिया गया है । निश्चित तारीखों के बारे में मुझे इस समय सूचना नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी को कोई इत्तला है कि किस महीने में यह देय भुगतान किया गया या दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

रिठिया गांव में तालाब के रकबे का गलत इन्दराज

*१०—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रिठिया, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया जिला वाराणसी में एक बहुत बड़ा ताल है, जिससे सिंचाई होती रही है ? यदि हां, तो उसका रकबा पहले सन् १९४८–४९ में कितना था और अब कितना है ? क्या जिलाधीश वाराणसी, कमिश्नर, वाराणसी तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को इसके रकबे को गलत तरीके पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र जनवरी से मई, सन् १९६७ के अन्तर्गत दिये गये हैं और शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

जी हां ।

तालाब के रूप में अंकित क्षेत्रफल सन् ४८–४९ में ८६ बीघा ११ बिस्वां १६ धूर तथा १३७४ फसली (सन् ६६–६७) में २० बीघा है ।

तालाब के रकबे के गलत इन्दराज के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थीं, जो जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है । उनकी जांच अभी नहीं हुई है, क्योंकि ताल की भूमि पर अंकित काश्तकारों की बेदखली के लिये गांव सभा द्वारा दायर किये कुछ मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गलत इन्दराज के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वे कब प्राप्त हुयी थीं और इनकी जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके सम्बन्ध में श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री चन्द्रशेखर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिठिया गांव में बेदखली के बाद जो हिस्सा बचा है, मई के महीने में उसके बारे में यह आवेदन-पत्र दिया गया कि उसको टैस्ट वर्क में खुदवा दिया जाय, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री भृगुनाथ—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के काश्तकारों ने सभापति से मिलकर २२९ (बी) के द्वारा उक्त जमीन को हासिल नहीं किया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है लेकिन यह जानता हूं कि जो जमीन लोगों के कब्जे में हैं, उसके बारे में अदालत में मुकदमे चल रहे हैं ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल और दूसरे लोगों के खिलाफ जो शिकायतें की गयी हैं, उनकी जांच किस के द्वारा करायी गयी और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने अभी निवेदन किया कि मुकदमें चल रहे हैं । उनके निर्णयों के बाद ही जो कार्यवाही सम्भव होगी, की जायगी ।

मंझनपुर तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*११—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक १२ मई, १९६७ में तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में घनघोर उपलवृष्टि हुई है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम विशेष क्षतिग्रस्त हुये और कितनी क्षति हुई ? तथा उनको किस प्रकार की क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । दिनांक १२-५-६७ को जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के ग्रामीण क्षेत्र उपलवृष्टि तथा आंधी से प्रभावित हुये हैं । केवल तीन ग्राम शाहपुर, कांटी और मुबारकपुर विशेष क्षतिग्रस्त रहे । इन तीन ग्रामों में ओलों से ६१४ मकानों के खपरैल टूटे जिनका अनुमानित मूल्य ५०,५०० रु० था, २८५ मवेशियों को कुछ चोट आई और महुवा और आम के फलों को लगभग २,५०० रु० की क्षति पहुंची । इन तीनों ग्रामों में पीड़ितों के सहायतार्थ २१,२७० रु० आपत्तिकालीन तकावी ७०२ व्यक्तियों को बांटी गई तथा भूमिहीन लोगों को ४४२ राशन कार्डों पर सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला वितरित किया जा रहा है ।

*१२—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत ग्राम बरालोकपुर की कृषि को सूखा और नहरी पानी न मिलने से जो क्षति हुई उसकी जांच परगना अधिकारी,

---

नोट—ता० प्र० १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इटावा द्वारा १० मार्च, १९६७ को कराई गई थी ? यदि हां, तो परगना अधिकारी की क्या रिपोर्ट है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। यह सही है कि ग्राम बराजौकपुर में सूखे के कारण १३७४ फसली की खरीफ की फसल को जो क्षति पहुंची थी उसकी जांच परगना अधिकारी, इटावा द्वारा १० मार्च, ६९६७ को की गई। जांच इस आशय से की गई थी कि उक्त क्षति के संबंध म प्रभावित व्यक्तियों को मालगुजारी तथा लगान में उचित सहायता दी गई है या नहीं। जांच के दौरान में परगना अधिकारी को ग्राम के खसरे में कुछ गलतियां मिलीं जिनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया। उन गलतियों के आधार पर उन्होंने तहसीलदार को आदेश दिया कि वे खसरे में खरीफ के सभी इन्दराजों की फिर दुबारा चेकिंग करें ताकि सहायता के नक्शों को सही करने की कार्यवाही की जा सके। सहायता संबंधी नक्शे उससे पहले ही तहसील से जा चुके थे और उनमें परिवर्तन करने को संभावना नहीं थी, अतः ग्रामवासियों की राय के अनुसार तहसीलदार ने सिफारिश की कि प्रभावित व्यक्तियों को खरीफ की मालगुजारी की वसूली ३१ मार्च, १९६७ तक स्थगित की जाय। यह सिफारिश मान ली गई थी और वसूली ३१ मार्च, १९६७ तक स्थगित रही।

नौगढ़ तहसील में लेखपालों का निलम्बन तथा सीलिंग की जमीन का वितरण

*१३—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील (बस्ती) में लेवी की वसूली क संबंध में कानूनगो चिल्हिया सर्किल के कितने लेखपाल माह मई व जून, १९६७ में निलम्बित किये गये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मई १९६७ में कोई लेखपाल नहीं निलम्बित हुआ। जून, १९६७ में दो लेखपाल निलम्बित किये गये।

*१४—श्री प्रभु दयाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नौगढ़ तहसील, जिला बस्ती के चिल्हिया कानूनगो किल के "सीलिंग" की जमीन कितने भूमिहीनों को जमीन पट्टे पर दी गई है ? क्या यह सही है कि गांव दोहनी में "सीलिंग" की भूमि उस गांव के भूमिहीनों को न देकर तहसील के बाहरी व्यक्तियों को दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

१८९ भूमिहीनों को दी गई। गांव दोहनी की सीलिंग में प्राप्त भूमि चार सैनिक परिवारों को दी गई है जो तहसील नौगढ़ के निवासी नहीं हैं।

इन्टरमीडिएट कालेज, बीरोंखाल के अस्थायी अध्यापक

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या यह सत्य है कि इन्टरमीडिएट कालज, बीरोंखाल, जिला गढ़वाल के अध्यापकों को पिछले दस वर्षों से अधिक अवधि तक सेवा करने के पश्चात् भी अपने पदों पर स्थायी (कन्फर्म) नहीं किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश एजूकेशन ऐक्ट की व्यवस्था के अनुसार दो वर्ष की अवधि के पश्चात् उन्हें कन्फर्म हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो डी० आई० एस० ने उन अध्यापकों को कन्फर्म कराने के लिए क्या कदम उठाये ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांधी विद्यालय, सिकन्दरपुर की जांच रिपोर्ट

*१६—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई) तथा श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गांधी विद्यालय, सिकन्दरपुर, जिला बलिया के विरुद्ध जाली अध्यापक की नियुक्ति करने, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच सन् १९६६ में तात्कालिक अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाकर की और उसकी रिपोर्ट सरकार को दे दिया ? अगर हां, तो क्या मंत्री जी शिक्षा निदेशक की जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । अपेक्षित रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा ।

*१७—श्री धर्मगज सिंह तथा श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालय के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश—

इस विद्यालय का अनुदान १९६५ में रोक दिया गया था और अब अनुपालन अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के पक्ष में मुक्त कर दिया गया है । विद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में राप्ती व घाघरा का कटाव

*१८—श्री अश्वनी कुमार—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में राप्ती और घाघरा नदियों के कटाव से कितने गांव की जमीन तथा आबादी कट कर दूसरे गांव में चली गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन गांवों में कटाव हुआ है उन गांवों के निवासियों को पुनर्वासित करने का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला गोरखपुर में राप्ती और घाघरा नदियों के कटाव से २१ गांवों की जमीन और आबादी कटकर दूसरे गांवों में चली गई है । कटाव वाले २१ गांवों की सूची संलग्न है और उन गांवों के प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने का जो प्रबन्ध किया गया है उसका विवरण संलग्नक में प्रत्येक ग्राम के सामने दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ७८७–७८८ पर)

(२२ दिसम्बर, १९६७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

इण्टरमीडिएट कालेज, बीरोंखाल के प्रधानाचार्य का रिक्त स्थान

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टरमीडिएट कालेज, बीरोंखाल, गढ़वाल के प्रधानाचार्य, जो कि पिछले १० वर्ष से उसी संस्था के प्रधानाचार्य हैं, उनके पद को रिक्त घोषित करके उसकी विज्ञप्ति समाचार-पत्रों में हाल ही में निकाली गई है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां। विद्यालय इन्टरमीडिएट स्तर का हो गया है और प्रबन्ध समिति ने हाई स्कूल के हेडमास्टर की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर नहीं की।

आजमगढ़ जिले की सूखा संबंधी रिपोर्ट

*२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

प्रश्न संख्या १ नत्थी (ख), दिनांक १६ जून, १९६७ केउत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिये गये उत्तर के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह आजमगढ़ जिले में १९६६ के सूखे से संबंधित डाक्टर सीताराम, भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश, मंत्रि-परिषद् द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर कब तक रखने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नांकित रिपोर्ट सदन के पटल पर १२ जुलाई, १९६७ को रखी जा चुकी है।

बृजमनगंज ब्लाक में सड़क न बन सकना

*३—श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)—

बृजमनगंज ब्लाक में सड़क बनवाने की प्रार्थना के संबंध में ८ सितम्बर, १९५९ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६ के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि कोल्हई से बृजमनगंज, धानी बाजार, मेंहदावल तक सड़क के निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मंगल देव—

तृतीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रस्तावित सड़क को इन योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

बद्रीपालसिंह इन्टरमीडिएट कालेज, बीरापुर के प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापकों का निलम्बन

*४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बद्री पाल सिंह इन्टरमीडिएट कालेज, बीरापुर, प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य कौशलेन्द्र प्रताप सिंह तथा ६ अन्य अध्यापकों को सन् १९६५ से निलम्बित कर दिया गया है किन्तु न तो उन्हें चार्जशीट दी गई है और न जीवन-निर्वाह भत्ता ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

प्रधानाचार्य तथा केवल ४ अन्य अध्यापकों को विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने सन् १९६५ से निलम्बित कर दिया।

प्रधानाचार्य द्वारा प्रबन्ध समिति की वैधता के संबंध में न्यायालय में मुकदमा दायर करने के कारण उन्हें न तो चार्जशीट दी गई और न जीवन निर्वाह भत्ता।

चार अध्यापकों में से ३ अध्यापकों को प्रबन्धक द्वारा नवम्बर, १९६५ में एक सप्ताह के भीतर कार्य पर बुलाये जाने के पश्चात् भी न आने पर तथा अन्यत्र कार्य कर लेने के कारण उन्हें चार्जशीट तथा जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया। शेष एक अध्यापक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं।

प्रतापगढ़ जिले में ओला पीड़ितों को सहायता

*५—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जनपद में २१ एवं २६ मार्च, १९६७ में ओला वृष्टि के फलस्वरूप कितनी फसल चौपट हो गई ? सरकार ने पत्थर-प्रताड़ित गांवों को तात्कालिक राहत पहुंचाने हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रतापगढ़ जनपद मे २३/२४ मार्च, १९६७ की रात्रि में (न कि २१ एवं २६ मार्च, १९६७ को) ओलावृष्टि हुई जिससे २९१ ग्राम प्रभावित हुये। १०८ ग्रामों में रबी की फसल को रुपये में ५० पैसे तथा उससे अधिक की क्षति हुई और शेष १८३ ग्रामों में क्षति की मात्रा रुपये में ५० पैसे से कम थी। पीड़ितों को तात्कालिक सहायता पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई और सहायता का विवरण इस प्रकार है :—

(अ) १०८ ग्रामों में, जिनमें क्षति की मात्रा रुपये ५० पैसे या उससे अधिक थी, रबी १३७४ फसली की मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है और उन ग्रामों में मालगुजारी में छूट दिलाने के प्रस्ताव भी जिलाधिकारी ने भेज दिये हैं।

(ब) क्षतिग्रस्तों में १०,५८० रु० अहेतुक सहायता के रूप में और २०,००० रु० तकावी के रूप में बांटे गये।

(स) प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं का निःशुल्क वितरण किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में १४ सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली गई थी जिनमें से ११ दुकानें अभी भी चालू हैं।

तराई भावर क्षेत्र में सिंचाई कर

*६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई में लगान के सर्किल रेट में ही सिंचाई कर पहले से ही सम्मिलित है और सरकार द्वारा बसाये गये विस्थापितों एवं राजनीतिक पीड़ितों पर सर्किल रेट से दूना लगान निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त कृषकों से सिंचाई कर अलग से क्यों वसूल किया जाता है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तराई भावर सरकारी आस्थान में गत बन्दोबस्त के समय लगान की दर इस आधार पर निश्चित की गई थी कि जहां सिंचाई की सुविधा है वहां लगान की दर में सिंचाई कर भी सम्मिलित समझा जावेगा। अतः इस क्षेत्र में सभी पुराने काश्तकारों से लगान के अतिरिक्त सिंचाई कर नहीं लिया जाता है।

उपनिवेश क्षेत्र में नये पट्टे देते समय पट्टे में यह शर्त रक्खी गई थी कि पट्टेदार सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जानेवाले पानी का कर निर्धारित दरों के अनुसार अदा करते रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों से सिंचाई कर अलग से वसूल किया जाता है।

चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(अ) १ अप्रैल, १९६७ से २० जून, १९६७ तक कितने चकबन्दी के ए० सी० ओ० तथा सी० ओ० बर्खास्त किये गये ?

(ब) १ अप्रैल से २० जून, १९६७ तक कितने ए० सी० ओ० तथा सी० ओ० जो कि बर्खास्त किये गये थे, रि-इम्प्लाई किये गये ?

(स) ऊपरी अवधि में कितने कंसालीडेशन ए० सी० ओज० तथा सी० ओज० को स्थायी तरक्की दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

(अ) प्रश्नगत अवधि में कोई ए० सी० ओ० तथा सी० ओ० बर्खास्त नहीं किया गया।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) ए० सी० ओ० और सी० ओ० के पद स्थायी नहीं हैं, अतः इन पदों पर स्थायी तरक्की देने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*८--श्री प्रभु दयाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दोहनी तथा डवरा, तहसील नौगढ़, बस्ती में अधिकतम जोत में कितने एकड़ की भूमि सरकार को १ जून, १९६७ तक प्राप्त हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

ग्राम दोहनी, तप्पा, डबरा में २२.६६ एकड़ भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गई है।

*९--श्री प्रभुदयाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बांसी तहसील, बस्ती में अधिकतम जोत के सिलसिले में सरकार को कितने एकड़ भूमि की प्राप्ति हुई है ? उस भूमि का प्रबन्ध ४ एकड़ से अधिक कितने लोगों को पट्टे पर दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

३२८.९४ एकड़। (८ व्यक्तियों को।)

नांद नदी ड्रेन पर कथित पुल

*१०--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत नेवादा और कुशिया ग्राम के बीच से गुजरने वाली नांद नदी ड्रेन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत पुल जोकि जनहित में था, बन कर तैयार हो गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगलदेव विशारद--

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड से यह पता नहीं चलता कि यह पुल द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था या नहीं। रेकार्ड में इस पुल के बनने या न बनने का कोई उल्लेख नहीं है। जिला अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना से भी यह पता नहीं चलता कि यहां कभी कोई पुल स्वीकृत हुआ था। सिंचाई विभाग द्वारा भी पूछतांछ की जा रही है लेकिन अभी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई।

*११--श्री राजकिशोर तिवारी--

(१८ दिसम्बर, १९६७ को प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।)

बादशाहनगर व महानगर के क्वार्टर

*१२—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बादशाहनगर, लखनऊ में बने सरकारी मकान पानी और बिजली के बिना ही दिसम्बर, १९६६ तथा जनवरी, १९६७ में एलाट किये गये थे? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया?

श्री मंगलदेव विशारद—

जी नहीं ।

*१३—श्री हरी सिंह—

क्या सरकार यह भी बतलायेंगी कि महानगर, लखनऊ में बने कुछ सेक्रेटेरिएट क्वार्टर पानी और बिजली की सुविधा होने पर भी कई महीनों से खाली पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री मंगलदेव—

इन क्वार्टरों के तैयार होने के संबंध में जो पत्र अनुरक्षण खण्ड ने भेजा था, उसके खो जाने के कारण यह भ्रम बना रहा कि ये क्वार्टर अभी पूर्ण रूप से बन कर तैयार नहीं हैं ।

*१४—श्री राजबहादुर द्विवेदी—

(पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।)

इन्टर तथा हाई स्कूल का परीक्षा फल

*१५—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री नारायणदास (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष इन्टर तथा हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षाफल विलम्ब से क्यों निकाला गया है?

श्री राम प्रकाश—

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट का परीक्षा-फल इस वर्ष विलम्ब से प्रकाशित नहीं हुआ ।

इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल दैनिक "नवजीवन" लखनऊ को दिनांक १९ जून, १९६७ तथा हाई स्कूल का परीक्षाफल क्षेत्रीय स्तर पर छापने के लिए निम्नलिखित समाचार पत्रों को दिनांक २ जून, १९६७ को सायंकाल दिया गया था:—

(१) सरहदी .. लखनऊ ।
(२) सैनिक .. आगरा ।
(३) आज .. वाराणसी ।
(४) जागरण .. कानपुर ।

नैनीताल जिले में विस्थापितों के क्वार्टर

*१६—श्री इन्द्रलाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में विस्थापितों एवं स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानियों के आवास हेतु सरकार द्वारा निर्मित क्वार्टरों की दशा का पुनः मूल्यांकन सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा कब किया गया और आयोग की सिफारिश क्या थी? क्या सरकार उन क्वार्टरों की कीमत उनकी खराब दशा को देखते हुए कम करने पर विचार कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

क्वार्टरों की दशा की जांच करने के लिए कोई आयोग सरकार ने नियुक्त नहीं किया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

भूमिहीनों को भूमि

*१७--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या सरकार प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि देने के संबंध में किसी नयी योजना पर विचार कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

किसी नई योजना पर विचार तो नह, किन्तु मौजूदा योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई त्रुटियों एवं अनियमितताओं का पता लगा कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया जा रहा है।

*१८--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या सरकार सीलिंग की हद को कम करने के ऊपर विचार कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं।

वाराणसी जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्य

*१९--श्री हिम्मत बहादुर सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जनपद के गोवरहा, रामपुर, मोकलपुर, और रामचन्दीपुर जो दोआब के गांव हैं, लगातार गत तीन वर्षों के सूखे के कारण भुखमरी से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्न में उल्लिखित गांव पिछले दो वर्षों से अभाव ग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जरूरत मंदों को तकावी बांटी गई तथा बांटी जा रही है। एक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान ग्राम पंचायत क्षेत्र गोबरहा में स्थापित की गई है और गरीब किसानों को राशन कार्ड दे दिया गया है व अब सभी किसानों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है।

न्योतनी के कच्चे मार्ग को ऊंचा करने की प्रार्थना

*२०--श्री श्रीराम तिवारी--

क्या यह सही है कि मोहान, जिला उन्नाव के सई नदी के पुल से जिस स्थान से एक कच्चा मार्ग कस्बा न्योतनी जाता है और पक्का रोड हसनगंज को जाता है उस स्थान को ऊंचा करके एक पुलिया बना दीगई है जिससे न्योतनी का कच्चा मार्ग जो लगभग एक मील लम्बा है, बहुत गहराई में पड़ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को हसनगंज सड़क के बराबर ऊंचा करके शीघ्र पक्का करवाने की कृपा करेगी?

श्री मंगलदेव--

जी हां। परन्तु प्रश्नगत सड़क को ऊंचा कराने की कोई योजना नहीं है।

भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में बंगले

*२१—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के कितने भूतपूर्व मंत्रियों ने सरकार से हट जाने पर सरकारी बंगले नहीं छोड़े हैं? वह कौन-कौन हैं तथा उन्हें हटाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

केवल चार। उनके नाम हैं—श्री राम मूर्ति, श्री जगन प्रसाद रावत, डा० सीताराम एवं चौधरी गिरधारी लाल। श्री राम मूर्ति और श्री जगन प्रसाद रावत को जो मकान उनके कब्जे में थे एलाट कर दिये गये। जो मकान डा० सीताराम के कब्जे में है उसका एक भाग उन्हें तथा एक भाग श्री दशरथ प्रसाद, सदस्य विधान सभा को एलाट कर दिया गया है। चौधरी गिरधारी लाल जी ने अपने मकान का आधा हिस्सा खाली कर दिया है और उनके बाकी हिस्से को भी खाली करने को कह दिया गया है।

कुशीनगर सलेमगढ़ सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*२२—श्री रामनरेश पाण्डेय—

क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि एल० आर० पी० (लेटरल रोड प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत देवरिया जिले में बन रही कुशीनगर से सलेमगढ़ रोड के अन्दर कुल कितनी जमीन एक्वायर की गई तथा कितने रेट से मुआवजा दिया गया अगर नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री मंगलदेव विशारद—

इस सड़क के लिए ४६७.६४ एकड़ स्थायी भूमि तथा ५९९.४३ एकड़ अस्थायी भूमि एक्वायर की गई है। कुछ अस्थायी भूमि का दस हजार आठ सौ चालीस रुपये और बयालीस पैसे का अवार्ड घोषित हो चुका है, जिसमें से छः हजार सात सौ सात रुपये और सड़सठ पैसे नकद संबंधित काश्तकारों को, जो सूचना देने पर उपस्थित हुए थे, दिये जा चुके हैं। शेष धनराशि संबंधित काश्तकारों के नाम राजकीय कोष में जमा कर दी गई है। कुछ अस्थायी व कुल स्थायी मुआवजे के लिए अवार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है। इस भूमि के मुआवजे के नक्शे जिलाधिकारी के कार्यालय में तैयार किये जा रहे हैं और जिलाधिकारी द्वारा अवार्ड घोषित कर जाने के बाद मुआवजा वितरित किया जायगा। इस मुआवजे की दर प्रत्येक गांव की अलग-अलग बैनामे के आंकड़ों तथा उसकी किस्म पर आधारित होगी।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों का चुनाव

*२३—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९६४ में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पदों के लिए लोक सेवा आयोग के अनुसार आवेदन-पत्र मांगे गये थे तथा साक्षात्कार भी हुआ था उनकी लिस्ट क्रमवार क्या है ?

श्री राम प्रकाश—

आयोग द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों की क्रमवार सूची *संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ७८९ पर।)

*२४—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

उनमें से किन-किन की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम प्रकाश—

संलग्न सूची के क्रम संख्या ३, ४, ६, ७, ८ तथा १७ पर दिये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। क्रम संख्या ९ के अभ्यर्थी ने अभी कार्य-भार ग्रहण नहीं किया है। शेष जगहों पर नियुक्तियां इसलिए नहीं की जा सकी हैं कि इसी बीच लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप फालतू (सरप्लस) होने वाले विभागीय अधिकारियों को समाविष्ट (एबजार्ब) करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ७८९ पर)

*२५—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री रामबली मिश्र (जिला फैजाबाद)—

[२१ दिसम्बर, १९६७ को उत्तर दिया गया।]

सहायता मिलने से पूर्व कालिका निवासी मैनू चमार की मृत्यु

*२६—सर्वश्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी), हरिगेन राम तथा हिम्मत बहादुरसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगनाधिकारी, वाराणसी दक्षिणी को प्रश्नकर्त्ता द्वारा उन्हें इस आशय के पत्र दिनांक २६ अप्रैल, १९६७ को भेजे गये कि यदि श्री मैनू चमार, ग्राम कालिका द्वारा जो अन्धा और बेसहारा है, को शीघ्र समुचित सहायता न की गई तो वह भुखमरी का शिकार हो सकता है? इस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या दिनांक १० मई, १९६७ को जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई उसके पूर्व उसे कोई सहायता पहुंचाई गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, श्री निहाला सिंह का पत्र २७ अप्रैल, १९६७ को मिला। इस पर जांच कराई गई और २५ रुपये की नकद अहेतुक सहायता देने का आदेश दिया गया। परन्तु यह सहायता पहुंचने के पहले श्री मैनू की जिनकी उम्र ७० वर्ष की थी तथा जो करीब दो महीने से बीमार थे, १० मई, १९६७ को मृत्यु हो गई।

*२७—श्री नारायणदास

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

मलौनी बांध पर कंकड़ कुटाने का सुझाव

*२८—श्री अश्विनी कुमार शुक्ल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के मलौनी बांध को यातायात को सुलभ करने के लिए उस पर कंकड़ कुटाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री मंगलदेव विशारद—

जी नहीं।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन

*२९—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६७ को सदन में पारित धन्यवाद प्रस्ताव में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन जो कम से कम १५० रुपये मासिक पारित हुआ है, वह कब से लागू किया जायगा?

*३०—यदि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन क्रम से कम १५० रुपये मासिक होगा तो उससे उच्च श्रेणी के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का क्या क्रम होगा ?

श्री राम प्रकाश—

यह प्रश्न विचाराधीन है ।

"बुनियादी प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण-पत्र" की बी० टी० सी० के समकक्ष मान्यता

*३१—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश "बुनियादी प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण-पत्र" प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षण के समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विचारार्थ पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नये शिक्षा-सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अपना निर्णय घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । शिक्षा निदेशालय में कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शासन ने राजाज्ञा संख्या घ—३७८८/१५—१८९७—६७, दिनांक ७ अक्तूबर, १९६७ द्वारा प्रश्नगत प्रमाण-पत्र को इस प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान लिया है ।

गोंडा—उतरौला सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*३२—सर्वश्री सुरेंद्र विक्रम, रफी अहमद खाँ, विष्णु प्रताप सिंह, मदन मोहन सिंह तथा बाबू लाल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उतरौला से गोंडा जाने वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० जो गोंडा पहुंचने का एक मात्र साधन है और जिस पर १८ सरकारी बसें जाती हैं और क्षेत्र की अन्य जरूरी चीजें उसी सड़क से ट्रक द्वारा प्रतिदिन आती-जाती हैं, ११ से २३ मील सड़क के बीच का हिस्सा बहुत खराब हालत में है ? यदि हां, तो सरकार उसको कब तक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

गोंडा उतरौला सड़क के ११ से २३ मील तक के भाग के आधुनीकरण की कोई स्वीकृत योजना नहीं है मील ११, १२ तथा मील १५ से २३ तक का नवीनीकरण इस वर्ष कर दिया गया है ।

आगरा जिले में स्वर्णकार छात्रों की निःशुल्क शिक्षा से उत्पन्न घाटे की क्षतिपूर्ति न होना

*३३—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके यहां से जारी पत्र संख्या एस० ई०—२६१/पन्द्रह—१ (१)—६२, दिनांक ८ जुलाई, १९६३ जिसके अनुसार समस्त जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धकों को आदेश था कि वे स्वर्णकारों के बच्चों से अध्ययन फीस न लें और विद्यालयों को सरकार उस हानि का मुआवजा देगी किन्तु आगरा के किसी भी जूनियर हाई स्कूल को सन् १९६३—६४ का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? ऐसा क्यों किया गया है और यह मुआवजा उनको कब तक दिया जायगा ?

श्री राम प्रकाश—

एस० ई० २६१/१५—१(१)–६३, दिनांक ६ जुलाई, १९६३ के अनुसार अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों (उ०मा०वि०/ पूर्व मा०वि०) में पढ़ने वाले स्वर्णकार छात्रों की निःशुल्क शिक्षा के कारण उत्पन्न घाटे की पूर्ति का अनुदान विद्यालयों को देय था।

जी हां, आगरा जिले के ५ जूनियर हाई स्कूलों की क्षतिपूर्ति नहीं की गई। इस त्रुटि की जांच की जा रही है। निदेशालय से प्रस्ताव मिलते ही क्षति पूर्ति के आदेश यथासमय हो जायेंगे।

पथरी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिये अध्याप्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*३४—श्री सईद अहमद अंसारी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम रणजीतपुर, सोपरी, गंगदासपुर, पिटापुरी, मजरा रामपुर, रायघटी तहसील, रुड़की, जिला सहारनपुर की भूमि को गंगा का पानी काट रहा है और गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों को वर्तमान कटे रकबे के बदले में ८००एकड़ रकबा तकरीबन, जिला सहारनपुर में सरकार द्वारा एलाटमट (पथरीबन में) किया गया था, जिस पर उसी समय अनधिकार लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिनको हटाने के लिए सन् १९६६ में सरकार ने जिला अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिये थे, तो अनधिकारी हटा दिये गये या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इन ग्रामों के बाढ़ पीड़ितों के लिए ८०० एकड़ भूमि पथरीक्षेत्र में निर्धारित की गई थी। इसमें से २००एकड़ भूमि विशनपुर झर्रा ग्राम के ३० बाढ़ पीड़ित परिवारों को एलाट की गई थी। शेष भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया था। १५५ व्यक्तियों के विरुद्ध ७९४ बीघा क्षेत्रफल के संबंध में बेदखली का आदेश न्यायालय से हो चुका है और उनसे कब्जा लेने की कार्यवाही चालू है।

बदायूं जिले में आग से प्रभावित गांव

*३५—श्री गौरी सिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने के कृपा करेगी कि बदायूं जिले के ब्लाक बिनावर व वजीरगंज व जगत के किन-किन ग्रामों में इस वर्ष १९६७ में आग लगी तथा कितनी हानि हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आग से प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न है। २०१ मकान के जलने की सूचना मिली। आग से एक मनुष्य तथा १०४ पशुओं एवं पालतू पक्षियों की जानें भी गईं।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ७९० पर)

मुजफ्फरनगर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिये एकत्रित अनाज

*३६—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् की अपील पर मुजफ्फरनगर जिले के स्कूलों के बच्चों ने प्रदेश के सूखा-ग्रस्त जिलों के सहायतार्थ विगत फसली वर्ष में अनाज व रुपया एकत्रित किया था ? यदि हां, तो कितना ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् की अपील पर मुजफ्फरनगर जिले के स्कूलों के बच्चों से प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों को सहायतार्थ विगत फसली वर्ष में २२८ क्विंटल अनाज तथा ७,६३१ रु० २८ पै० एकत्रित किया गया।

*३७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एकत्रित अनाज व धन कितना-कितना किस-किस जिले को मास फरवरी में भेजा गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माह फरवरी में कोई सामान किसी जिले को नहीं भेजा गया । जनवरी, १९६७ में केवल ११३ क्विंटल एकत्रित अनाज मिर्जापुर को तथा ११५ क्विंटल अनाज अल्मोड़ा को भेजा गया । एकत्रित किये गये ७,६३१ रु० २८ पै० का ब्योरा इस प्रकार है:—

(१) ६,४९३ रु० ४१ पै० उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् को मुख्य मंत्री / प्रधान मंत्री सूखा सहायता कोष के लिए भेजा गया ।

(२) २०९ रु० ८९ पै० उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् को सूखा सहायता कोष के लिये भेजा गया ।

(३) २०१ रु० ९८ पै० अनाज को विभिन्न स्थानों से एकत्र करने में व्यय हुआ ।

(४) ७२६ रु० जिला नागरिक समिति के खाते में जमा किया गया ।

*३८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[९ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३९-४०—श्री भृगुनाथ (जिला गोरखपुर)—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में सड़कों का निर्माण-कार्य

*४१—श्री राजाराम पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या निर्माण मन्त्री जी बतायेंगे कि देवरिया जिला में हाटा से रामकोला, देवडार, पीपरा होते हुये हाटा से कप्तानगंज तथा हाटा से पिपराइच की महत्वपूर्ण सड़क जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने लिया कब तक पूर्णरूपेण तैयार हो जायेंगी ? छोटी गन्डक पर देवदार-पीपरा के पास पक्के पुल बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ करने की योजना है ?

श्री मंगलदेव—

हाटा, देवडार-पीपरा-रामकोला मार्ग का तथा इस सड़क पर छोटी गंडक के ऊपर देवडार-पीपरा के पास पुल के निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

हाटा-कप्तानगंज मार्ग नवम्बर १९६८ तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

हाटा पिपराइच मार्ग का निर्माण ४ पूर्वी जिलों की त्वरित विकास योजना में सम्मिलित है किन्तु इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा यह अभी निश्चित नहीं है ।

*४२—श्री राजाराम पांडेय—

[८ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ११२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

चण्डीघाट, हरिद्वार में गंगा का पुल

*४४—श्री घनश्याम गिरि (जिला देवरिया)—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चन्डी घाट, हरिद्वार में गंगा का पुल बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जी नहीं ।

पटेल आयोग के अनुसार प्रस्तावित सड़कें व पुल

*४५—श्री अयोध्या प्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग द्वारा प्रदेश के किन-किन पूर्वी जिलों में पुलों और पक्की सड़कों के निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उक्त पुलों और पक्की सड़कों की संख्या और सड़कों की लम्बाई कितनी किलोमीटर जिलेवार होगी ?

श्री मंगलदेव विशारद—

पटेल आयोग द्वारा प्रदेश के ४ पूर्वी जिलों, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा देवरिया में सड़कों तथा पुलों के निर्माण की योजना बनाई गई है । प्रस्तावित सड़कों की लम्बाई तथा पुलों की संख्या जिलेवार तालिका में दी गयी है, जो माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७९१ पर ।)

*४६-४७—श्री रामनाथ पाठक—

[८ वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ११४-११५ को अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४८—श्री कल्याण चन्द मोहिले—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४९—श्री प्रभु दयाल—

[८ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५०—श्री गौरीराम गुप्त—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१—[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया ।]

नयार नदी पर बड़ेत के पुल का निर्माण

*५२—श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में पूर्वी नयार नदी पर स्थान बड़ेत में जो पुल बन रहा है उस पर अब तक (दिनांक ५-७-६७ तक) क्या प्रगति हुई है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जिला गढ़वाल में पूर्वी नयार नदी पर स्थान बड़ेत में जो पुल बन रहा है उस पर दिनांक ५-७-६७ तक निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

(१)	एबटमेन्ट	१० प्रतिशत
(२)	टावर्स	१०० प्रतिशत
(३)	एन्कर ब्लाक	१०० प्रतिशत
(४)	सुपर स्ट्रक्चर	५० प्रतिशत
(५)	एप्रोच रोड	५० प्रतिशत

*५३—श्री रामप्रसाद नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपयुक्त पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद—

मार्च, १९७० तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

*५४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५—श्री ऊदल—

[७ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६—श्री गिरजा शंकर तिवारी—

[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५७—श्री रईसउद्दीन—

[७ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बाजपुर तहसील में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*५८—श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली) तथा श्री रमाकान्त द्विवेदी (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० सी० शाह, बार एट ला, नैनीताल तथा एन० के० खोलिया एडवोकेट, जिला नैनीताल की ओर से हमीरपुर-हरसन, तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहियों में असरकारी तत्वों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में दिनांक ३ जुलाई, १९६७ को यह शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंन्त्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७९२–७९३ पर)

*५९—श्री मुल्की राज (जिला सहारनपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

इलाहाबाद–कौशाम्बी सड़क पर पुल

*६०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इलाहाबाद में इलाहाबाद से कौशाम्बी जाने वाली सड़क पर कब तक पुल बन जायगा ? क्या यह सही है कि उक्त पुल बन जाने का धन ठेकेदार को दे दिया गया है और अब तक नहीं बना है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

इस पुल का विस्तृत आगणन बन जाने तथा इसको स्वीकृत किये जाने के पश्चात् पुल निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा । यह बताना सम्भव नहीं है कि पुल कब तक बन जायगा ।

यह सही नहीं है कि इस पुल के बनाने का धन ठेकेदार को दिया गया है ।

*६१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भरवारी-करारी कौशाम्बी सड़क का निर्माण टेस्ट वर्क के माध्यम से बनवाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ?

श्री मंगलदेव विशारद—

इस सड़क के कुछ भाग का निर्माण जिला अधिकारी द्वारा करवाया गया है । सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस कार्य का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बुन्देलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बांदा को अनुदान

*६२—श्री गौरीशंकर सर्राफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बांदा को १९५६–५७ से १९६६–६७ तक सरकार द्वारा कितनी धनराशि सहायता अनुदान भूमि क्रय तथा भवन निर्माणार्थ दी गई है और इस बीच कितने बार आडिट हुआ है ?

श्री राम प्रकाश—

इस अवधि में बुन्देलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बांदा को उसके कार्य-कलापों की वृद्धि के लिये १०,००० रुपये का अनावर्तक सहायक अनुदान दिया गया और इसका तीन बार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट हो चुका है ।

उपयुक्त सहायक अनुदानों का कोई भी अंश संग्रहालय के लिये भूमि क्रय करने तथा भवन का निर्माण करने के लिये व्यय नहीं किया गया है ।

सुजानगंज–प्रतापगढ़ सड़क पर पुल की आवश्यकता

*६३—श्री देवी सेवक त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जौनपुर जिला में सुजानगंज से प्रतापगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क परजो कि इस क्षेत्र में एकमेव सड़क है, ग्राम गोल्हाना मऊ में नाला पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जी नहीं ।

*६४—श्री अठई राम यादव (जिला इलाहाबाद)—

[९ वें सोमवार के लिये प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बेल्थरा रोड में नियंत्रक नियुक्त करने पर विचार

*६५—श्री शिवलाल यादव (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बलिया के अन्तर्गत डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बेल्थरा रोड में दो परस्पर विरोधी गुटों में प्रबन्धक समिति को लेकर पिछले ३ वर्षों से झगड़ा चल रहा है जिसके कारण शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में बाधा पड़ रही है ? ऐसी दशामें क्या सरकार वर्तमान प्रबन्धक समिति को भंग करके विद्यालय के संचालक हेतु एक राजकीय प्रशासक नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

विद्यालय में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है ।

नदईडीह गांव में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*६६—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि नूरुल नाम का एक व्यक्ति जिसकी भूमि २८० बीघा वाके मौजा नदईडीह, परगना मल्हीपुर, तहसील नानपारा, जिला बहराइच में थी वह आज

से १४ वर्ष हुये पाकिस्तान चला गया है और उस भूमि को वसीम नाम का एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जे में किये हुये हैं और उसे अब दौरान चकबन्दी अपने नाम दाखिल खारिज करवाने जा रहा है ? क्या सरकार जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह मामला अदालती तौर से तय हुआ है । काबिजान को हक सीरदारी मिला है। गांव सभा या कस्टोडियन की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं किया गया ।

*६७--श्री गजाधर प्रसाद आर्य--

क्या सरकार उपरोक्त भूमि को गांव समाज की भूमि घोषित करके उसे भूमिहीनों को दिये जाने की दिशा में विचार करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० ओ० अलीगंज के विचाराधीन मुकदमे

*६८--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुहम्मदपुर पट्टी, तहसील अलीगंज, जिला एटा से कितने मामले चकबन्दी के दिनांक १ दिसम्बर, १९६६ से ३० अप्रैल, १९६७ तक एस० ओ० सी० महोदय, एटा के यहां से रिमान्ड होकर सी० ओ०, अलीगंज के पास पुनर्निर्णय हेतु आये ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

केवल एक ।

फर्रुखाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

*६९--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में कौन-कौन सी सड़कें फोर्थ प्लान में सरकार निर्माण करने जा रही है और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि छिबरामऊ फर्रुखाबाद वाया जहानगंज सड़क पर पिछले कई वर्षों से निर्माण अधीन पुल की पूर्णता में विलम्ब क्यों है और कब तक पूर्ण होगा ?

श्री मंगलदेव विशारद--

सड़कों और पुलों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में जरीनपुर अमृतपुर सड़क के ५ मील ६ फर्लांग भाग के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस जिले में तिर्वा सौरिख सड़क (११ मील) भी योजना में सम्मिलित है किन्तु इसका निर्माण अभी निश्चित नहीं है ।

छिबरामऊ फर्रुखाबाद वाया जहानगंज सड़क पर स्थित काली नदी पर पुल निर्माण कराने में विलम्ब का कारण ठेकेदार द्वारा पुल का निर्माण अपूर्ण छोड़ देने और कार्य के आगणन में वृद्धि हो जाना है । पुल निर्माण कार्य जून १९६९ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

*७०--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी--

[६ ठे शुक्रवार के लिये प्र० सं० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फतेहपुर-कालाडूंगी सड़क

*७१--श्री इन्द्रलाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह की बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील हल्द्वानी में फतेहपुर से जो सड़क कालाडूंगी तक पक्की बनने जा रही है इसका निर्माण कार्य कब तक

पूर्ण हो जायगा ? क्या मंत्री जी कालाढूंगी से कमोला बेलपाव और रामनगर तक इस सड़क को पहुंचाने का विचार करेंगे ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जिला नैनीताल, तहसील, हल्द्वानी में फतेहपुर से जो सड़क कालाढूंगी तक पक्की बन रही है उसका निर्माण कार्य ३१ मार्च, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । इस सड़क को कालाढूंगी से कमोला बैलपड़ाव और रामनगर तक बढ़ाने की सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है ।

टांडा तहसील में बंजर भूमि बांटने का सुझाव

*७२—श्री बदल राम (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत तहसील टांडा के ग्राम नेवरी व चोरभरा में लगभग २५० एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को गरीबों एवं भूमिहीनों में बांटेगी या उसमें कोई जंगल आदि लगवायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इन दोनों ग्रामों में आबादी रास्ता, आदि को छोड़कर १३६ बीघा ९ बिस्वां बंजर भूमि उपलब्ध है जिसमें से ९० बीघा ५ बिस्वां पैरा ५८ गांव समाज मनुअल के अनुसार नियोजित उपयोग के लिये सुरक्षित है और केवल ४५ बीघा ४ बिस्वां पट्टे पर उठाने के लिये है ।

पट्टे पर उठाई जाने वाली भूमि नियमानुसार यथा समय भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उठाई जावेगी । नियमों में ग्राम में रहने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता मिली हुई है ।

अधिकतम जोत के अन्तर्गत उन्नाव जिले में अतिरिक्त भूमि

*७३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के लागू होने के उपरान्त उन्नाव जिले में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई और उसमें से कितनी सरकार के कब्जे में आई और वह किन-किन गांवों में स्थित है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

२२५.३८६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से २२५०.५८ एकड़ पर सरकार का कब्जा हो चुका है । ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७९४ पर)

बिशुनपुरा गांव में लगान का स्थगन

*७४—श्री चन्द्रशेखर सिंह तथा श्री भृगुनाथ—

क्या सरकार को यह पता है कि ग्राम बिशुनपुरा, क्षेत्र समिति, चन्दोली, जिला वाराणसी में कितने प्रतिशत १९६६ में खरीफ की फसल सूखे के कारण नुकसान हुई ? अमीन ने उक्त अवधि में कितने प्रतिशत सूखा का कागज बनाया ? अमीन की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित ग्राम बिशुनपुरा में खरीफ १३७४ फसली को सूखे से ७८ प्रतिशत की क्षति हुई पाई गई थी । तदनुसार क्षति की नियमानुसार सहायतार्थ पाई गई मालगुजारी का स्थगन स्वीकृत कर दिया गया था ।

हरिजन कल्याण अनुदान का व्यय

*७५—श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६६–६७ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा (क) निदेशालय तथा जिला प्रशासन, (ख) शैक्षिक कार्यवाहियां, (ग) आर्थिक योजनायें तथा (घ) स्वास्थ्य, रहन-सहन एवं अन्य योजनाओं के ऊपर कितना-कितना व्यय करन का प्राविधान बजट में था और उन योजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ तथा शेष कितना-कितना धन ३१ मार्च, १९६७ को वापस कर दिया गया और उसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं ?

श्री राम प्रकाश—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ७९५–७९७ पर)

*७६—श्री लटूरी सिंह यादव—

[१८–१२–६७ की पृ०सं०१०७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

फैजाबाद जिले में बहाल प्रधानाचार्य को कार्य-भार न मिलना

*७७—श्री रामनारायण त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में कितने ऐसे हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिनके निलम्बित प्रधानाचार्य को जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उप शिक्षा निदेशक सप्तम सर्किल, गोरखपुर द्वारा उनको बहाल किये जाने के बाद भी प्रधानाचार्यों को कार्यालयों का कार्य भार नहीं दिया गया ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के अनुदान को इस कारण बन्द करने पर विचार करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

केवल एक विद्यालय इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत विद्यालय के अनुपालन अनुदान से धनराशि काट कर वेतन का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । अनुदान को निलम्बित करने की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*७८—श्री राधेश्याम कपूर—

[९ वें सोमवार के लिये पृ०सं० ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में रकाबगंज ब्रिज को चौड़ा करने तथा फैजाबाद रोड पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना

*७९—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि लखनऊ नागरिकों के आवागमन के कष्टों को देखते हुये रेलवे फाटकों जैसे, सदर, निशातगंज, चांदगंज आदि के स्थान पर प्रदेशीय सरकार द्वारा ओवर ब्रिज बनाने की योजना है ? अगर हां, तो योजना किस स्थिति में है तथा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मंगल देव—

इस सम्बन्ध में लखनऊ नगर के रकाबगंज ओवर ब्रिज को चौड़ा करने तथा फैजाबाद रोड पर ओवर ब्रिज बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

बैरिहाखैरा–दौलतपुर मार्ग पक्का करने की प्रार्थना

*८०—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील डलमऊ के ब्लाक सरेनी में सन् १९६५–६६ क बजट में सरकार ने सराय बरिहाखैरा से आदरणीय महावीर प्रसाद द्विवेदी के गांव दौलतपुर तक पक्की सड़क बनने हेतु पास किया था और जिसका कि सन् १९६६ म इसका सर्वे भी हो चुका है ।

श्री मंगल देव—

जी नहीं ।

*८१—श्री गुप्तार सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि वह सड़क कब तक बनेगी ? अगर नहीं तो क्यों ?

मंगल देव—

प्रश्न नहीं उठता ।

बजेठी गांव में श्री 'झा' की जमीन का नीलाम

*८२—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के सदर तहसील क अन्तर्गत भदैयी ब्लाक में बजेठी ग्राम में लगभग ७५ बीघा भूमि जो डा०एस०पी०झा के नाम पट्टे पर दी गई थी लगभग १५ वर्ष से परती पड़ी हुई है और उक्त डा० झा लगभग १० वर्ष से जिले से कहीं बाहर चले गय ह और उक्त डा० झा के ऊपर लगभग दस हजार रुपया तकावी का १५ वर्ष से बाकी पड़ा है और उपरोक्त भूमि का कुल लगान भी बहुत दिनों से बकाया पड़ा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सुल्तानपुर जिले की सदर तहसील के अन्तर्गत भदैया ब्लाक के ग्राम बजेठी में श्री एस० पी० झा, उनकी पुत्री श्रीमती चन्द्रिका झा पत्नी श्रीमती बीना झा के नाम तीन खातों में कुल ६५ बीघा १९ बिस्वा तथा १० बिस्वांसी भूमि सीरदारी में अंकित है । यह भूमि जमीनदारी विनाश के पूर्व से इनके नाम चली आ रही है ।

डा० झा सपरिवार लगभग ५ वर्ष से लापता हैं और तब से उक्त भूमि परती पड़ी हुई है । उपर्युक्त तीनों खातों पर अब तक रु० २,७९२.०२ रु० भू-राजस्व तथा ८५.९७ आपातिक अधिभार शेष हैं । इसके अतिरिक्त श्री झा के ऊपर तकावी का रु० ६,२४०.८७ लगभग दस साल से शेष हैं ।

*८३—श्री उमादत्त—

क्या सरकार इस समय जब देश के अन्दर खाद्यान्न की कमी है उक्त परती भूमि को ग्राम समाज द्वारा भूमिहीनों को कृषि कार्यों में लाने के लिये वितरित करने का आदेश देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपर्युक्त देयों की वसूली के लिये उक्त तीनों खातों में अंकित भूमि की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है । भूमि को नीलाम में खरीदने वाले व्यक्ति उसका स्वयं उपयोग करेंगे । अतएव यह प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों में लिपिकों का महंगाई भत्ता

*८४—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद), श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री जगपत सिंह (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शिक्षकों को मंहगाई भत्ता व वेतन दरों में इस बात का भी ध्यान रखेगी कि शिक्षक वर्ग के ही साथ काम करने वाले लिपिकों का भी वेतन बढ़ायेंगी ।

श्री राम प्रकाश—

गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है, केवल मंहगाई भत्ता सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के समान कर दिया गया है । लिपिकों का प्रश्न विचाराधीन है ।

*८५—श्री महेश कुमार, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह तथा श्री जगपत सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय विद्यालयों में कर्णिकों के वेतन-क्रम दोहराये गये परन्तु सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्णिकों के वेतन-क्रम को नहीं दोहराये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार अब इस भेदभाव को दूर करने का इरादा रखती है ?

श्री राम प्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा जिले स साहित्य की मान्यता विषयक शिकायती पत्र

*८६—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि उन्हें अगस्त, १९६७ के दूसरे सप्ताह में वैदिक हायर सेकेन्डरी स्कूल, बिबियापुर तथा गाँधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, एरवा कटरा, जिला इटावा के इन्टर कक्षाओं में साहित्य की मान्यता समिति द्वारा न देने के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र मिला ?

*८७—श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

श्री भारत सिंह चौहान—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश—

उसे शिक्षा निदेशक तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया था ।

पाठा क्षेत्र से जल वितरण सम्बन्धी शिकायतें

*८८—श्री गौरीशंकर सरीफ—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जिले के पाठा क्षेत्र में इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पानी वितरण के सम्बन्ध में भयानक भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है तथा इस सम्बन्ध में सरकार के पास वहां की जनता की ओर से अगस्त के प्रारम्भ में शिकायतें भी आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

बागेश्वर में तहसील खोलने की मांग

*८९—श्री गोपालराम दास (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार को यह सूचना है कि बागेश्वर (अल्मोड़ा) में तहसील खोलने की योजना पर सरकार ने १९५७ में विचार किया था ? यदि हां, तो बागेश्वर में तहसील कब तक खोलन का विचार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । वित्तीय साधनों के अभाव में निकट भविष्य में नई तहसील खोलना संभव नहीं है ।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्तियां

*९०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में पढ़ने वाले किन-किन छात्रों को गत वर्ष १९६६–६७ में राजनैतिक पीड़ित छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी ? क्या उपरोक्त छात्रवृत्तियां उन छात्रों को मिल चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९१–९२—श्री राम नाथ दीक्षित—

[९वें मंगलवार के लिये पृ० सं० १९–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९३–९४—श्री जी० एस० चौधरी—

[७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

निघासन तहसील में एल० आर० पी० रोड

१—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में कितने मील एल० आर० पी० रोड बन रही है ?

श्री मंगलदेव—

१५ मील ५ फर्लांग ५५० फुट ।

२—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस रोड के पड़ोस के गांवों तक कोई लिंक रोड्स बनाने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह रोड कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री मंगल देव—

जी नहीं ।

धौरहरा परगना में सीलिंग अधिनियम से प्राप्त भूमि के पट्टे

३— श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम परसा परगना धौरहरा, तहसील निघासन, जिला खीरी में कितनी भूमि सीलिंग में बड़े-बड़े किसानों की निकली तथा उक्त भूमि में से कितनी भूमि के पट्टे भूमिहीनों के नाम किये गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत ३९१.९९ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई तथा उक्त कुल भूमि के पट्टे भूमिहीनों के नाम पर दिये गये हैं ।

४—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन किसानों के नाम पट्टे दिये गये हैं उनको भूमि पर कब्जा भी दिलाया गया है कि नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सबको कब्जा दिला दिया गया है ।

लखीमपुर-बिलराया सड़क के निकट जौरहा नाला पर पुल न होना

५—श्री करन सिंह (जिला खीरी) तथा श्री बंशीधर मिश्रा (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिला में लखीमपुर-बिलराया सड़क पर मोतीपुर के निकट जौरहा नाला पर, पुल बनाने की जो योजना है उस पर कब से निर्माण कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री मंगल देव—

यह अभी निश्चय नहीं हुआ ।

हापुड़ तहसील में विज्ञान प्रयोगशाला के लिये अनुदान

६—श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ की तहसील हापुड़ में स्थित किन-किन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशाला के लिये सज्जा एवं उपकरण हेतु क्रेश अनुदान १९६६-६७ में स्वीकृत हुआ है तथा इन विद्यालयों में गत पांच वर्ष में कितने-कितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष वैज्ञानिक वर्ग में इण्टर परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं ?

श्री राम प्रकाश—

सूची (क) संलग्न है ।

७—श्री वीरेश्वर त्यागी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यालयों को गत पांच वर्षों में और कितना-कितना आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान दिया गया है ?

श्री राम प्रकाश—

सूची (ख) संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७९८-७९९ पर)

मेरठ जिले में माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सेवा मुक्ति

८—श्री वीरेश्वर त्यागी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों को १९६४-६५, १९६५-६६ में परिवीक्षा-काल में जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से सेवा मुक्त किया गया ?

(अ) इनमें से कितनों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिया गया ?

(ब) कितनों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नोटिस दिया गया ? क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष १९६४–६५ में ८ अध्यापक एवं वर्ष १९६५–६६ में १२ अध्यापक :

(अ) किसी के विरुद्ध आरोप-पत्र नहीं दिया गया ।

(ब) केवल एक अध्यापक को कारण बताओ नोटिस दिया गया । जिससे उनका मत ज्ञात हो जाय ।

मेरठ जिले में विद्यालयों को इन्टर विज्ञान का क्रैश अनुदान

९—श्री वीरेश्वर त्यागी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत, जिला मेरठ में किन-किन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इण्टर विज्ञान का क्रैश अनुदान स्वीकृत हुआ है ? तथा इन विद्यालयों में गत पांच वर्षों में इण्टर विज्ञान वर्ग में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी रही है ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह अनुदान देने के लिये कुछ नियम निर्धारित थे ?

श्री राम प्रकाश—

सूची संलग्न है ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८०० पर)

फतेहगंज-बातागंज कच्चा मार्ग

१०—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि जिला बरेली के फतेगंज पूर्व से जिला बदायूं के बातागंज तक एक कच्ची सड़क जाती है, जो कि शाहजहांपुर, बदायूं तथा बरेली जिला परिषदों के अन्दर आती है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० लेने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगलदेव—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमित धनराशि के कारण इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेना संभव नहीं है ।

११–१३—[८वें सोमावार के लिए प्रश्न संख्या २४–२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

१४—[८वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

१५—[८वें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

१६—[१८ दिसम्बर, १९६७ में अतारांकित प्रश्न संख्या २० के अतर्न्गत उत्तर दिया गया ।]

हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय में सहायक निदेशकों की योग्यता

१७—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर (जिला कानपुर)—

क्याउप मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय निदेशालय हरिजन तथा समाज कल्याण में जो तीन सहायक निदेशक कई वर्षों से विशुद्ध अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शासन द्वारा क्या शैक्षिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ?

श्री राम प्रकाश—

सहायक निदेशक, हरिजन सहायक विभाग के पदों के लिए शासन द्वारा कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि उनका चुनाव स्थायी जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों में से किया गया है ।

१८—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर—

क्या उपरोक्त अधिकारी जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के पद से उन्नति देकर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किये गये हैं ? क्या उनकी नियुक्ति करते समय शैक्षिक योग्यताओं तथा विशिष्ट अनुभव का ध्यान रखा गया है ? क्या ये नियुक्तियां करते समय उत्तर प्रदेश के समस्त जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों की सीनियारिटी पर भली-भांति विचार कर लिया गया था ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । नियुक्तियां करते समय समस्त स्थायी जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों की सीनियारिटी पर विचार किया गया था ।

१९—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पद आठ वर्षों से लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विज्ञापित नहीं कराये गये हैं ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

२०—श्री रघुनाथ सिंह सेंगर—

क्या यह सत्य है कि एक सहायक निदेशक कृषि में एम० एस-सी० हैं तथा एक अन्य सहायक निदेशक केवल तृतीय श्रेणी के ग्रेजुएट हैं, उनको राज्य स्तर पर समाज कल्याण के प्रशासनिक कार्य के लिए किस विशेष अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर शासन द्वारा चुना गया है ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । उनकी नियुक्ति वरिष्ठता तथा अच्छे अभिलेख (रिकार्ड) को ध्यानमें रखते हुए की गई है ।

सुखनन्दन संस्कृत पाठशाला, जिला आजमगढ़ को अनुदान

२१—श्री विश्वनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुखनन्दन संस्कृत पाठशाला, नठ मुहम्मदपुर, जिला आजमगढ़ को गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना-कितना रुपया राजकीय अनुदान के रूप में मिला है ?

श्री राम प्रकाश—

१९६४–६५ में १,४८५ रुपये ।

१९६५–६६ में १,८३६ रुपये ।

१९६६–६७ में १,७२८ रुपये ।

कसारी गांव सभा संबंधित बंजर भूमि के मुकदमे

२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा कसारी, परगना मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ की संपत्ति बन्जर और सार्वजनिक तालाब के बावत २२९–बी जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के कितने मुकदमे १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में दाखिल हुए ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बन्जर भूमि की बावत १९६२–६३ में १ मुकदमा तथा १९६३–६४ में २ मुकदमे दाखिल हुए ।

सार्वजनिक तालाब के बारे में कोई मुकदमा नहीं दाखिल हुआ ।

प्रदेशीय शिक्षा दल योजना

२३—श्री धर्मवीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह प्रदेशीय शिक्षा दल (पी० एस० डी०) योजना को समाप्त करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उसके अधिकारी जिनकी प्रथम नियुक्ति पी० ई० एस० सीनियर और जूनियर बेतन क्रमों में हुई थी, उनको शिक्षा विभाग में स्थान, पद देने का विचार है ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

२४—धर्मवीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेशीय शिक्षा दल योजना प्रदेशीय शिक्षा विभाग का अभिन्न अंग है, तो प्रदेशीय शिक्षा दल योजना के अधिकारियों की पदोन्नति प्रदेशीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बराबर क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री राम प्रकाश—

प्रदेशीय शिक्षा दल योजना में कार्य करने वाले अधिकारियों की सेवाओं का संवर्ग (Cadre) शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विभिन्न है अतः उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बराबर पदोन्नति नहीं दी जा सकती ।

बलनपुर-बसन्तपुर गांव सभा की अनधिकृत भूमि

२५—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बहराइच जिले को सिरसिया ब्लाक में बलनपुर-बसन्तपुर गांव सभा में कितनी भूमि गांव समाज की है और किसके कब्जे में है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

४८३ एकड़ भूमि गांव समाज की है जिसमें से ४४ एकड़ भूमि १७ व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है ।

इलाहाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

२६—श्री अठईराम यादव—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में होलागढ़ से फलपुर, हंडिया से जंघई व जैतापुर से धनुपुर तक पी०डब्ल्यू०डी० की सड़क जो बन रही थी अब ५ महीने से रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब तक बन कर वह सड़क तैयार हो जायेगी ?

श्री मंगलदेव—

हंडिया–जंघई सड़क के बारी जंघई भाग का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है यह सड़क जिला परिषद् की है ।

शेष सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान में कमी कर देने के फल-स्वरूप इनका निर्माण कुछ समय के लिये रोक दिया गया था । धन की कमी के कारण यह कहना इस समय संभव नहीं है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ।

श्री सुग्रीव सिंह चौहान, ए० सी० ओ०, नयागांव के विरुद्ध शिकायतें

२७—श्री विष्णु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुग्रीव सिंह चौहान, ए० सी० ओ०, नयागांव, तहसील अलीगंज, जिला एटा के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी के कितने प्रार्थना-पत्र एस० ओ० सी०, जिलाधीश तथा मंत्री जी को १ दिसम्बर, १९६६ से ३० मई, १९६७ तक प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कुल ६ शिकायती-पत्र मिले जिनमें से एक १५ जून, १९६७ का है । जांच की गई । शिकायतें साबित नहीं हुईं ।

किच्छा तहसील में अग्नि पीड़ितों को सहायता

२८—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक ७ जुलाई, १९६७ को प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिन ३२ व्यक्तियों को शासन द्वारा १३९ रुपये की अहेतुक सहायता दी गई, उनके नाम व ग्राम क्या हैं और वन विभाग द्वारा प्रत्येक को किस किस्म की कितनी लकड़ी दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिन ३२ व्यक्तियों को शासन द्वारा १३९ रु० की अहेतुक सहायता दी गई उनके नाम व ग्राम निम्न प्रकार है:—

क्रम-सं०	नाम	ग्राम का नाम
१	श्री खलील अहमद, पुत्र इस्माईल	किच्छा
२	श्री सुखलाल पुत्र पंचम	,,
३	श्री राम सहाय पुत्र अमर	,,
४	श्री श्याम प्रसाद पुत्र भूपाल सिंह	,,
५	श्री फूल पुत्र कड़े	,,
६	श्री सोहन	,,
७	श्री गंगा राम पुत्र कल्लू	,,
८	श्री अब्दुल रजा पुत्र अब्दुल करीम	,,
९	श्री रफीक पुत्र भोले	,,
१०	श्री फखरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन	,,
११	श्री प्रेम पुत्र मुन्ना लाल	,,
१२	श्री जनियल पुत्र मुन्ना लाल	,,
१३	श्री मसी चरन पुत्र मक्खन	,,
१४	श्री बाबू लाल पुत्र हजारी	,,
१५	श्री गोदन पुत्र सोहन लाल	,,
१६	श्री रजीनउद्दीन पुत्र फकीरउद्दीन	,,
१७	श्री हमीद पुत्र करीम बक्स	,,
१८	श्री अली हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन	,,
१९	श्री रफीक अहमद पुत्र करीम उल्ला	,,
२०	श्री अल्ली हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन	,,
२१	श्री अब्दुल मजीद पुत्र करीम बक्स	,,
२२	श्री मुन्ना पुत्र अब्दुल मजीद	,,
२३	श्री इरसाद हुसैन पुत्र मुस्तफा हुसैन	,,
२४	श्री मजीद पुत्र मिठन	,,
२५	श्री शरेबन पुत्र नन्हें	,,
२६	श्री मोहम्मद पुत्र छोटे	,,
२७	श्री शमसुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन	,,
२८	श्री प्यारे पुत्र फुरकान अली	,,
२९	श्री रहमतुल्ला पुत्र हुलसन	,,
३०	श्री छोटी पुत्र छोदन	,,
३१	श्री सलीम पुत्र अब्दुल शाह	,,
३२	श्री असफाक मोहम्मद पुत्र अहमद हुसैन	,,

अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों में से सिर्फ चार पीड़ितों ने ही जंगलात विभाग से लकड़ी प्राप्त की है जबकि सभी पीड़ितों को वन विभाग से लकड़ी प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया था ।

विधान सभा

२९—श्री इन्द्र लाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तहसील हल्द्वानी में कितने ग्रामीणों के घरों में अग्नि से क्षति पहुंची और इस क्षति का कितना अनुमान है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील हल्द्वानी में माह अप्रैल, १९६७ में ४८ ग्रामीणों के घरों में अग्नि से क्षति पहुंची और क्षति का अनुमान लगभग ४६,७७९.१७ रु० है ।

३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

पूर्वी क्षेत्र में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

३१—श्री अश्विनी कुमार शुक्ल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा और बहराइच जिलों में जिलेवार प्रत्येक जिले में सीलिंग कानून के अन्दर कितनी जमीन निकली है और निकली हुई जमीन का किस प्रकार वितरण किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलेवार विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ ८०१ पर ।)

विकास क्षेत्र कौड़ीराम में हरिजन कल्यण संबंधी कार्य

३२—श्री अश्वनी कुमार शुक्ल—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र कौड़ीराम, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत वर्ष सन् १९६६–६७ में किन-किन हरिजनों को हाथ-नल लगाने हेतु ऋण दिया गया है तथा किन-किन को भवन निर्माण हेतु ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम करंजही एवं कनइल के हरिजनों को पानी पाने के लिए कोई कुंआ या हाथ-नल नहीं है ? यदि हां, तो उनके लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री राम प्रकाश—

विकास क्षेत्र कौडी राम, जिला गोरखपुर में वर्ष १९६६–६७ में किसी भी हरिजन को हाथ-नल लगाने के लिए ऋण नहीं दिया गया । भवन निर्माण हेतु सर्वश्री राम सुख एवं तपसी को अनुदान दिया गया है । ग्राम कनइल में दो हाथ-नल हैं तथा ग्राम कजही में एक कुंआ है । अतः प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

३३—श्री अश्वनी कुमार शुक्ल—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, गगहा और कौड़ीराम, के अन्तर्गत ग्राम बलवा बनकटी तथा बैलकुर में कोई हरिजन कालोनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बन रही थी ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ और क्यों पूरी नहीं हुई ?

श्री रामप्रकाश—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बैलकुर ग्राम के हरिजनों के लिए ग्राम बनकटी में दस भवनों के निर्माण हेतु ६,६४५ रु० का अनुदान दिया गया । कार्य अधूरा रह जाने के कारणों की जांच की जा रही है ।

अगरोली ग्राम सभा की सम्पत्ति की रक्षा के लिय प्रार्थना-पत्र

३४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि प्रधान, ग्राम सभा अगरोली-अग्रोला, ब्लाक जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा दिनांक २० जून, १९६५ को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी दिनांक १७ अगस्त, १९६५ व ३ अगस्त, १९६६ को जिलाधीश, शाहजहांपुर तथा ८ मई, १९६७ को मुख्य मंत्री जी को रजिस्टर्ड ए० डी० द्वारा शिकायतें भेजीं, जिनमें कहा गया था कि ग्राम समाज की संपत्ति की लूट हो रही है, उसका प्रबन्ध किया जावे ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्य-वाही की जिससे कि ग्राम समाज की संपत्ति सुरक्षित रह सके ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा में निहित भूमि के दुरुपयोग के संबंध में श्री लखपति सिंह, प्रधान, ग्राम सभा अगरोली अगरोला के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुये थे । ग्राम सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले ११ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १२२-बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम , १९५० के अन्तर्गत बेदखली के मुकदमें न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं । यह मुकदमें अभी विचाराधीन हैं ।

वाराणसी जिले में राजकीय बालिका विद्यालय

३५—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज छात्राओं के लिये चलाया जा रहा है, उसमें शहर में कितने हैं तथा देहातों में कहां-कहां हैं ? क्या राजकीय जूनियर हाई स्कूल बड़ागांव को सरकार हाई स्कूल बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री राम प्रकाश—

वाराणसी जिले में राजकीय बालिका विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार है :—

विद्यालय			शहर में	देहात म
जूनियर हाई स्कूल	..	..	..	(१) बड़ा गांव (२) जखनी
हाई स्कूल	..	..	..	राम नगर
इन्टर कालेज	..	..	१	..
डिग्री कालेज	..	..	..	..

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, बड़ा गांव को हाई स्कूल बनाने का इस समय विचार नहीं है ।

३६–३७—श्री ऊदल—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिये गये ।]

ए० सी० ओ० सलेमपुर के विरुद्ध शिकायत

३८—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के सी० ओ० सर्किल, गगौली के ए० सी० ओ०, सलेमपुर के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र श्री बैजनाथ सिंह आदि द्वारा उन्हें जुलाई, १९६७ के प्रथम सप्ताह में मिला ? उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसा कोई पत्र नहीं मिला । उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

शाजहांपुर जिले में स्कूली बच्चों के लिये पाउडर मिल्क

३९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध वितरण योजना के अन्तर्गत शाहजहांपुर जिले का १ जुलाई, १९६६ से २६ अगस्त, १९६७ तक स्कूल के बच्चों को बांटने के हेतु कितना पाउडर मिल्क प्राप्त हुआ और जिले के ब्लाकों को प्रत्येक को कितना दिया गया ?

४०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के जैतीपुर ब्लाक में १ जुलाई सन् १९६६ से २६ अगस्त, १९६७ तक कितना दुग्ध का पाउडर किन-किन स्कूलों के बच्चों को वितरित किया गया ?

श्री राम प्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर सर्राफ (जिला बांदा)—

प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

सब एक साथ नहीं हो सकता, एक-एक करके होगा ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

मुझे श्रीमन्, आप से एक जानकारी चाहिये । वह यह थी कि कल दिनांक २१ दिसम्बर, १९६७ को नियम ५१ का एक प्रस्ताव था...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ की साढ़े ४ बजे बात होगी ।

श्री इन्द्रलाल—

आज के एजेन्डे की नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या ६ का जो उत्तर मुझे मिला है यह राजस्व विभाग से संबंधित था और इसमें कहीं राजस्व मंत्री लिखा हुआ है, उसमें राजस्व मंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे । मुझे कुछ आज कल ऐसा सन्देह हुआ कि संविद के मंत्री लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, शायद दस्तखत करना भूल गये । इसलिये मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या बगैर उनके हस्ताक्षर के उत्तर उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रत्यक्ष है कि आप की प्रतिलिपि में दस्तखत होना आवश्यक नहीं है ।

श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, जो प्रश्न यहां नहीं आते हैं, उसका जो उत्तर मिलता है आप देखें जो उत्तर आते हैं वह समझ में नहीं आता है कि उसका क्या किया जाय । जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह प्रश्न था कि कटाव से जो गांव कटे हैं, उस में उनको पुनर्वासित करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

कौन से प्रश्न के बारे में कह रहे हैं, जो अभी लिया नहीं गया।

श्री अश्वनी कुमार—

जी हां, प्र० सं० १८ है। जो उत्तर मुझे मिला है, उस के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न नहीं आया, एक दूसरे तरीके से उसको आप सामने ला रहे हैं।

श्री अश्वनी कुमार—

उत्तर में दिया गया है कि सरकार ने पुनर्वासन करने के लिये जो प्रबन्ध किया है उसका विवरण आगे कालम में लिखा है कि प्रभावी व्यक्तियों ने स्वयं सुरक्षित स्थानों पर बसने की व्यवस्था कर ली है। तो क्या मतलब है। सरकार ने जो किया, उसी का विवरण चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपा करके प्रश्नों में अगर कोई ऐसी कठिनाई हो जिसको अविलम्ब रूप में आपको यहां लाना हो तब तो सदन में जिक्र कीजिये। वरना ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिये कृपा करके आप बतायें या संबंधित मंत्रियों को लिख कर दें। अब एक प्रश्न जो सदन में नहीं आया, उसका क्या मतलब है, अगर वह आता तो मैं आप से साफ करवा देता। अब यहां सरकार किस भाषा में प्रश्न का उत्तर दे, अगर यह प्रश्न आ जायगा और उसमें प्रश्नों की परिधि से बाहर अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया तो मैं सरकार से कह सकता हूं। अब प्रश्न आया नहीं और आप आने से ज्यादा समय उसमें ले लें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के सम्बन्ध में आप को कुछ कहना है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं, अपने और आप के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी अवसर दूंगा।

श्री गौरी शंकर सर्राफ—

मान्यवर, १०० प्रश्नों से ऊपर अंकित होते हैं, बहुत से प्रश्नों की बारी नहीं आती है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं पढ़ा जाता है उनका लिखित उत्तर माननीय सदस्य के पास भेज दिया जाता है। मेरे पास ऐसा लिखा हुआ उत्तर पहुंचा है। इस उत्तर का संबंध मेरे प्रश्न से नहीं है।

इसी तरह से प्र० सं० ८८ का उत्तर मुझे लिखित रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कल मैं शिक्षा मंत्री के कमरे में गया और उनसे प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, वहां भी उत्तर नहीं मिल पाया। तो मैं आप की इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे जो प्रश्न. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आप की बात समझ गया। आप कृपया बैठें। मुझे खेद है कि आप को असुविधा हुई। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और आपके द्वारा सारे माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि

[श्री अध्यक्ष—]

अगर ऐसी कोई घटना हो कि आप के लिफाफे में दूसरा उत्तर पहुंच गया तो ऐसी गलती तो कभी-कभी हो सकती है। मुझे खेद है कि ऐसी गलती हुई। लेकिन बजाय शिक्षा मंत्री के यहां जाने के अगर मुझे सुबह भी आप बता देते तो मैं फौरन प्रश्न का उत्तर दिला देता और आप को असुविधा भी न होती। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इतनी छोटी बातों के लिये सदन का मूल्यवान समय न लें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, परम्परा यह थी कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते हैं, उनको यह मान लिया जाता है कि वे सदन में प्रस्तुत हुए और उनका उत्तर दिया गया और जिस आसन पर आप बैठे हैं वहां से कई बार उस तरह की व्यवस्था दी गयी। लेकिन आप ने अभी यह कहा कि प्र०सं०१८ जो सदन म प्रस्तुत नहीं हुआ, उस को आप दूसरे ढंग से उठा रहे ह। तो क्या यह समझें कि यह प्रश्न अब सदन में पेश किये हुए नहीं माने जाते?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक पुरानी परम्परा का सम्बन्ध है वह जारी है। प्रस्तुत होने का केवल मतलब यह है कि जो प्रश्न यहां पर सदन में हैं उनका नम्बर आ जाता है उन पर पूरक प्रश्न हो सकते ह। और जो प्रश्न यहां पर नहीं आ पाते ह उन पर पूरक प्रश्न नहीं हो पाते हैं। लेकिन वह कार्यवाही का अंग अवश्य बनते हैं और बनेंगे।

नेशनल हेराल्ड में छपे कुछ शब्दों पर आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सदन...

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया आपस में बात न करें।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सर्वविदित है कि इस सदन में सभी आदरणीय सदस्यों की वही हैसियत है, और कुछ मामलों में अच्छी भी है, जो कि मुख्य मंत्री की है। अब कल एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी, माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे एक प्रस्ताव की भाषा के विषय में कुछ कहा और श्रीमन्, उस का स्पष्टीकरण देने का मुझे मौका भी कोई प्राप्त नहीं हुआ। मुझे खेद है कि आप ने कुछ पता नहीं क्या कह दिया जिससे समस्त अखबार वालों को यह भ्रम हो गया कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्पीकर साहब दोनों सज्जन जो हैं वह कांग्रेस मेम्बर की भाषा के ऊपर...

श्री अध्यक्ष—

आप बतायें कि आपकी क्या आपत्ति है?

श्री कृष्णानन्द राय—

मेरी आपत्ति यह है कि वस्तुस्थिति क्या है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो सका और आप और मुख्य मंत्री दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि मेरी भाषा इतनी अपमानजनक थी जो सारे समाचारपत्रों में निकला कि मैं असभ्य हूं। नेशनल हेराल्ड में निकला है कि "स्पीकर, सी०एम० आबजेक्टेड टु लैंगुएज आफ कांग्रेस मोशन।"

श्री अध्यक्ष—

अखबार मैंने पढ़ा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

बीच में लिखा है कि भाषा बिल्कुल असभ्य थी। उसका कोई निराकरण भी नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़िये जहां असभ्य लिखा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

वन्स न्लेंगुएज, दि चीफ मिनिस्टर रेफर्ड टु हिज कल्चर..

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठ जायें। मैं इस पर...

श्री कृष्णानन्द राय—

भाषा के सम्बन्ध में हम भी अनकल्चर्ड हो गये और आप पर भी कुछ ऐसा रिमार्क हो गया, जिसकी वजह से यह हो गया कि भाषा अनकल्चर्ड थी। तो यह बड़े खेद का विषय है कि एक सदस्य के बारे में इस प्रकार से भ्रम सदन में और बाहर फैला दिया जाय और उसको स्पष्ट करने का मौका भी न मिले। आप हमारा मोशन पढ़ लें और बता दें क्या असभ्य भाषा थी।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे अधिकार है आप से प्रार्थना करने का तो आप कृपया बैठ जायें। मैं बड़ी विनम्रता से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सारे माननीय सदस्य अखबार में क्या टिप्पणी हुई है, उनके भाषण पर यह जनतंत्र में बड़ी-बड़ी टिप्पणी है, सदन में भी हो सकती है जब तक वह असंसदीय न हो, अब उसके ऊपर आप स्पष्टीकरण देने लग जायं तो यह कहां तक उचित है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ यही कहा था कि हर एक आदमी की भाषा उसके कल्चर की द्योतक है। अब उसे अखबार वाले क्या टिप्पणी दें और जो टिप्पणी देते हैं अगर वह गलत है मैं जानता नहीं, प्रश्न यह है कि जनतंत्र में अगर इस पर भी आपत्ति करें कि कोई यह कहे कि हर आदमी की भाषा उसके कल्चर की द्योतक है, अगर आप समझते हैं कि आपकी भाषा बहुत ठीक है, वैसी ही होनी चाहिये तो फिर ठीक है, उसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है। जहां तक मेरा प्रश्न है, अगर मैंने कुछ कहा तो उस पर टिप्पणी करने की कौन से नियम में व्यवस्था है अगर मने कोई आब्जेक्शन लिया उस पर आप अपनी टिप्पणी करें तो मैं उसको बिल्कुल नियम विरुद्ध समझता हूं और ऐसा करने का आपको अधिकार भी नहीं है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

चीफ मिनिस्टर या कोई और सज्जन जब बोलते हैं तो किसी प्रसंग में बोलते हैं। जिस प्रसंग में उन्होंने यह कहा कि किसी की भाषा उसके कल्चर की द्योतक है, इसके माने उनके दिल में जरूर यह रहे कि भाषा अच्छी नहीं है और इसके माने यह हैं कि उसका कल्चर भी अच्छा नहीं है...

श्री अध्यक्ष—

आप स्वतंत्र हैं और हर एक माननीय सदस्य स्वतंत्र है, जो माने चाहें निकालें लेकिन मैं एक बात बताऊं। आपने आपत्ति की मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे यहां साधारण नियम यह है कि अगर कोई बात आपत्तिजनक समझी जाय तो जिस समय वह बात कही जाय, उसी समय उस पर आपत्ति हो सकती है। मैं यहां बैठ कर अगर किसी बात को असंगत समझूं तो उसको रोक सकता हूं। मैंने उसको असंगत नहीं समझा और अब भी नहीं समझता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न इतना ही है कि आज के अखबारों के पढ़ने से जो प्रतिक्रिया मेरे मन पर हुई, 'नेशनल हेराल्ड' ने मुख्य मंत्री के भाषण की बात और आपके भाषण की बात जिस प्रकार छापी है और प्रदेश की जनता पर जो उसका असर पड़ा वह यह कि कांग्रेस का कोई मोशन था। तो मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई मोशन प्रिविलेज का था आपके सामने? एक तो व्यवस्था का प्रश्न यह है। दूसरे यह कि आपने ठीक ही कहा कि हर एक की भाषा उसके कल्चर की द्योतक है। तो यह तो सब पर लागू होता है, जितने भी यहां बोलते हैं। कोई भी बोलता है तो उसका कल्चर उसके साथ लग जाता है। अब यह बात सही है कि हम में से बहुतों का कल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई माननीय सदस्य यह कहे कि दूसरे की भाषा और कल्चर कुछ नहीं है। अगर कोई हमारे कल्चर को डिटरगिन करेगा हमारी भाषा से...

श्री अध्यक्ष—

व्यक्ति नियम के ऊपर नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

सारे सदन की मर्यादा नष्ट हो रही है, इस तरह की रिपोर्ट से। अगर आप समझते हैं कि नहीं नष्ट हो रही है तो मुझे कुछ कहना नहीं है और अगर आप समझते हैं, आप तो रक्षक हैं इस सदन की मर्यादा के और उस नाते से मैं अपील करता हूं कि इस तरह की बातें जब सदन के बाहर जाती हैं तो मैं तो उम्मीद यह करता था कि आप स्वयं कहेंगे कि इस अखबार को पढ़ने से आप पर प्रतिक्रिया बुरी हुई है या अच्छी। अगर इस तरह की बात निकले तो क्या सिर्फ ब्रीच आफ प्रिविलेज के जरिये ही आपका ध्यान आकृष्ट हो सकता है? या फिर आप स्पष्ट कर दें कि कोई ऐसी बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

मैं कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि उसका हल केवल यही है कि मैं कुछ माननीय सदस्यों को बुला कर उ से परामर्श लूं कि सदन का काम नियमों के अनुसार एक व्यवस्थित ढंग से चलना है या नियमों से बिल्कुल छूट लेकर व्यवस्था चलती है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है लेकिन किसी चीज को कनफाईन करना चाहिये जिससे इस बात का पता तो लगे कि किस बात पर यह उठाया गया है। अगर इस तरह से स्वच्छंद होकर लोग वाद-विवाद और चर्चा करने लग जायं तो इससे सदन के काम में अक्सर बाधा पड़ेगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बात पर आपत्ति उठाई जा सकती हो, तो वह उसी समय उठाई जानी चाहिये न कि दूसरे रोज। अगर आप समझते हैं कि अखबार की रिपोर्टिंग गलत है तो कृपा करके उसे लिख कर दें। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि उस रिपोर्टिंग से मेरे मन पर कोई प्रभाव उसके गलत होने का नहीं पड़ा अन्यथा मैं स्वयं कहता कि वह गलत है। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं उसको दोबारा देख लूंगा।

श्री राम नारायण (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, प्रश्नों और प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपके नियम में स्पष्ट है कि अगर भाषा से किसी व्यक्ति पर लांछन होती है या अनावश्यक रूप से किसी को लांछित करके बदनाम किया जाता है तो आपको पूरा अधिकार है कि उसके आधार पर आप उस मोशन या प्रश्न को अस्वीकृत कर सकते हैं और उसमें सुधार किया जा सकता है। तो थोड़ी सी सक्रियता अगर आपके कार्यालय की तरफ से इस तरह की बरती जाय कि ऐसे प्रश्न या प्रस्ताव जो हों उनको अस्वीकृत कर दिया जाय, उनको हतोत्साहित किया जाय तो उससे भवि य में भाषा का सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि अगर किसी की भाषा अमर्यादित हो या उसे असंसदीय की संज्ञा दी जाय तो मैं अवश्य उसको देखूंगा।

बड़े दिन पर ईसाइयों को शक्कर न देने पर आपत्ति

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, कल मैंने एक नोटिस दिया था और आपने कहा कि गवर्नमेंट इस पर कंसीडर कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्री से मिला भी, लेकिन उन्होंने हमारी बिरादरी को शक्कर देने से इंकार कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह सरासर जुल्म है।

श्री अध्यक्ष—

आखिर कौन से नियम के अन्तर्गत मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नियम तो इसीलिये बने हैं कि आप उसका पालन करें।

श्री एस० जी० दत्त—

जब दूसरों को शकर मिलता है तो हमें ही क्यों नहीं मिलता?

श्री अध्यक्ष—

नियमों के खिलाफ मैं आपकी मदद करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री एस० जी० दत्त—

हमारा साल भर में यही एक त्योहार आता है। उस पर भी शकर चौधरी साहब की हुकूमत में नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी शिकायत से मेरी सहानुभूति है।

श्री एस० जी० दत्त—

आप चाहें तो हमें शकर दिलवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं देखता हूं कि ऐसी कुछ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और कुछ कह डालते हैं। इसके लिये आगे कुछ न कुछ व्यवस्था तो होगी, लेकिन माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने कल अपनी बात कही और उससे मैंने अपनी सहानुभूति प्रकट की और उसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज भी दिया था। अगर किसी नियम के आधार पर आप प्रश्न पूछें या चर्चा करें तो ठीक है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—

उसका समय तो बहुत पहले खतम हो चुका।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

मेरा कहना यह है कि मेरे प्रश्न नं० ४३ की भाषा बदल गयी है। मूलरूप में जो प्रश्न मैंने दिया है, उससे और इसमें दी गयी भाषा से उसका भाव ही बदल गया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मैं एक माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं तो वह निवेदन सारे सदन से है और अगर इस तरह की कठिनाई हो तो आप कृपा करके मुझे लिख कर भेज दें। उसे बतलाने के लिये सदन का समय इस काम में लगाना और यहां बैठ कर देखना और जांचना सम्भव नहीं हो सकता।

कतिपय विषय

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि परसों मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और आज उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री को देना है, लेकिन उसकी कापी अभी तक मुझे नहीं मिली है?

श्री अध्यक्ष—

उसकी कापी नहीं मिलती। आखिर कौन से नियम में यह लिखा हुआ है? आपके पास उसकी कापी जाना अनिवार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास आज....

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने माननीय त्रिवेणी जी से कम्पटीशन कर रखा है। जब वे खड़े होते हैं तो आप भी खड़े हो जाते हैं।

श्री मदन मोहन मिश्र—

श्रीमन्, यदि आप आज्ञा दें तो कुछ कहूं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मदन मोहन मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य कर्मचारियों के संबंध में प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—

१९ तारीख की बात आज आपको याद आई है।

श्री मदन मोहन मिश्र—

श्रीमन्, वे भूखों मर रहे हैं। उनके जीवन मरण का प्रश्न है।

नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक माननीय अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' जी का माननीय 'नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है, उसको मैंने अस्वीकृत किया है। मेरा यह निश्चित मत है कि विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने का जो हक है उसकी भी यह अवहेलना है। कृपा करके इसकी पुनरावृत्ति न करें तो अच्छा है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मुझे सुन तो लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं इसको सदन के समक्ष पढ़कर सुनाये देता हूं । वैसे इसकी भाषा असंसदीय तो नहीं है । वह इस प्रकार है कि—

"मैं एतद्द्वारा माननीय चन्द्रभानु गुप्त, नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

माननीय आदरणीय श्रद्धेय शिरोमणि श्री चन्द्रभानु गुप्त अपनी जनतंत्रीय, गणतंत्रीय, लोकतंत्रीय, संसदीय एवं नैतिक जीवनादर्शों तथा कभी भी हार न मानने वाले राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के रूप में स्थापित मान्यताओं द्वारा मुझे तथा मेरे सम्भवतः अन्यान्य साथियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं जिससे हमें स्वतंत्रतापूर्वक मानसिक व्यावर्तन के कारण सदन में परोक्ष रूप में बाधा पड़ती है ।"

अब एक आदमी की बड़ी गरिमा है अगर वह आपको आकृष्ट करता है । यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है ।

एक माननीय चन्द्रबली जी का है । उसको मैंने देखा नहीं है । उसको मैं देख लूंगा ।

अन्ट्रेन्ड अध्यापकों की छटनी के सम्बन्ध में वक्तव्य

*शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, तृतीय आयोजना कालमें अभूतपूर्व संख्या में प्राइमरी स्कूल खोले गये जिसके फलस्वरूप काफी बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति कार्य चलाने हेतु करनी पड़ी क्योंकि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं थे । चूंकि अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्राइमरी स्कूलों में रखा जाना शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के हित में नहीं था इस लिये तृतीय योजना काल में ही प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में यथासम्भव वृद्धि की गयी, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हो सकें । प्रयास के बाद भी प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग पूरी नहीं की जा सकी और तृतीय योजनाकाल के अन्त में प्राइमरी स्कूलों में प्रायः ३० प्रतिशत अप्रशिक्षित अध्यापक हो गये । शासन के सीमित साधनों के कारण और अधिक प्रशिक्षण संस्थाओं का खोला जाना सम्भव नहीं था । अतएव जुलाई, १९६६ से २ वर्ष की प्रशिक्षण की अवधि को १ वर्ष का कर दिया गया, जिसके फलवरूप जुलाई १९६७ में प्रायः २० हजार प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होने का अनुमान था । यह संस्था पिछले वर्षों में प्रति वर्ष उपलब्ध प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या से दुगुनी से भी अधिक है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रशिक्षित अध्यापक अधिक संख्या में उपलब्ध होंगे सरकार ने मई १९६७ से यह आदेश प्रसारित किया कि जितने भी प्रशिक्षित अध्यापक अब आगे उपलब्ध हों उनको सेवा में रखा जावे और आवश्यकतानुसार अप्रशिक्षित अध्यापक हटा दिये जायं ।

इन आदेशों के प्रसारित होने के पश्चात् शासन को यह पता चला कि अनेक स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अप्रशिक्षित अध्यापकों का सेवा काल कई वर्षों का हो चुका है । अतः सबका निकाला जाना न्यायोचित न होगा । इस मामले पर सरकार ने पुनः विचार किया । एक ओर अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा में लिये जाने का प्रश्न था जिसके प्रशिक्षण पर शासन ने व्यय किया है और दूसरी ओर अप्रशिक्षित अध्यापकों के हितों का ध्यान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्त राम जायसवाल—]

था। ऐसी स्थिति में शासन न बीच का मार्ग अपनाया और पिछले आदेशों का जुलाई, सन् १९६७ में संशोधन किया गया कि अनिवार्य रूप से वेही अप्रशिक्षित अध्यापक हटाये जावे जिनकी सेवा २ वर्ष से कम हो और उनके स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जावें और यदि अब भी प्रशिक्षित अध्यापक बचें रह जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला परिषद् के विवक पर निर्भर है।

अप्रशिक्षित अध्यापकों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये शासन ने वर्ष १९६७–६८ के बी० टी० सी० के चुनाव के लिये १० प्रतिशत सीटों को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये सुरक्षित करने का आदेश दिया था और भविष्य में उनके लिये ५० प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का निर्णय किया गया है। यह सुविधा कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों के अतिरिक्त हटाये गये अध्यापकों को भी उपलब्ध होगी।

यह निर्विवाद है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। फलस्वरूप प्रशिक्षित अध्यापकों को जहां तक सम्भव हो नियुक्ति करना ही श्रेयस्कर होगा। प्लान की सीलिंग में कमी के कारण इस वर्ष अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति उतनी संख्या में सम्भव न हो पायी जितनी की आवश्यकता थी। इस कारण से अप्रशिक्षित अध्यापकों का हटाया जाना अनिवार्य हो गया क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापकों को जगह देनी ही थी। जसा कि ऊपर मैंने कहा है अप्रशिक्षित अध्यापकों का हटाया जाना शिक्षा के स्तर के बढ़ाये जाने के हित में है और ऐसे अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

एक सूचना.....

श्री अध्यक्ष—

कई बार जिक्र हुआ कि जो यह नियम ५१–५२ में स्वीकार नहीं होते हैं उनमें मैं प्रयास करता हूं कि आपकी भावनाओं को आदर करते हुये सम्बन्धित मंत्री उस पर स्टेटमेन्ट दे दें। अगर आप चाहेंगे कि उस पर सवाल हों तो नियम ५१ में और इसमें फर्क क्या हुआ? नियम ५१ में स्वीकार कर लेता तो आधा घंटे समय लगता। इसमें उन्होंने विस्तृत सूचना दी। उसके बाद भी प्रश्न करना चाहते हैं। (व्यवधान) एक आध का जो आपका अधिकार है हर एक सदस्य को है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मेरी आप से प्रार्थना है क्या मेरा अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं केवल इतना कहे देता हूं कि जिन माननीय सदस्यों के सवाल पर यह स्टेटमेन्ट है उनको अवसर दिये देता हूं, वे एक-दो मिनट प्रश्न कर लें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या उक्त योजना में शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशक के यह आदेश हुये हैं कि अन्ट्रेन्ड अध्यापक जो रखे जायेंगे उनके लिये अलग नार्मल स्कूलों की व्यवस्था की जायगी? मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड अध्यापकों का बजट अलग-अलग होता है? और अनट्रेन्ड को रिप्लेस करके जो ट्रेन्ड अध्यापक रखे गये हैं क्या वे अनट्रेन्ड के ग्रेड पर रखे जा रहे हैं? ३० हजार से अधिक अध्यापकों की उत्तर प्रदेश में छंटनी करके जो एक बड़ी संख्या में बेकारों की फौज खड़ी कर दी गयी है, क्या यह सरकार की दृष्टि में ठीक है?

श्री अध्यक्ष—

साधारण स्थिति में यह सम्भव नहीं होगा कि मंत्री एक साथ इतने प्रश्नों का उत्तर दे दें। (अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) जब आप एक सवाल कहते हैं तो कम से कम आप एक प्रश्न का उत्तर समझें। जब आपको एक प्रश्न का अधिकार मिलता है तो सभी सदस्यों को एक प्रश्न करने का अधिकार हो जाता है। तो मैं अब केवल ५ मिनट का समय दे सकता हूं लेकिन अब तो ५ मिनट से भी अधिक हो गये हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं तो कुछ भी नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष—

देखिये आप उत्तर देने से बचें न। यह कैसे हो सकता है कि आप एक भी बात न समझें त्रिवेणी राय जी की। आप जो कुछ समझे हों, उसका संक्षेप रूप में जवाब दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि मैं उत्तर देने से बचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर यह तो उत्तर दे दें कि कितनी संख्या है उन अध्यापकों की जो निकाले गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

४० हजार कुल अध्यापक हैं ऐसे अनट्रेन्ड और उनको धीरे-धीरे हटाकर हमें प्रशिक्षित अध्यापकों को लाना है, अब जो २० हजार अलग हुये हैं उनको खपाना है।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि ट्रेन्ड लोग अनट्रेन्ड की जगहों पर जो रखे जा रहे हैं उनको भी अनट्रेन्ड की तनख्वाहें दी जा रही हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसा कैसे किया जा सकता है, अन्ट्रेन्ड का जो स्केल है वह दिया जायगा।

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि बहुत सी जगहों पर अनट्रेन्ड टीचर्स को निकालने के बाद पुनः दूसरे अनट्रेन्ड टीचर्स को ही रखा जा रहा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर ऐसा किया जारहा है तो वह सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर आपकी नोटिस में हो और आप लिखकर देंगे तो उसको दुरुस्त किया जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो ट्रेन्ड अध्यापक हैं, उनका एक ग्रेड है और अनट्रेन्ड का दूसरा, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिला परिषदों को जो अनुदान दिया है वह तो अनट्रेन्ड अध्यापकों के वेतनों को देखते हुये दिया है और ट्रेन्ड अध्यापकों पर जो अधिक पड़ेगा उसके लिये बहुत से जिला परिषद् कह रहे हैं कि हम उनको वेतन कहां से देंगे। अगर ऐसी बात है तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जो योजना लागू की जा रही है, उसके कारण जो अतिरिक्त खर्च होगा उसके हिसाब से तो हेरफेर किया ही जायगा।

गंगा नदी पर पुल निर्माण सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)—

गाजीपुर में गंगा पर पुल की आवश्यकता को देखते हुये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस पुल के निर्माण के लिये आवश्यक धन की मांग भारत सरकार से की जाये । यदि भारत सरकार इस पुल के लिये आवश्यक धनराशि, देने को तैयार हो जाये तो ताड़ी घाट पर पुल का निर्माण किया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब गाजीपुर में गंगा के पुल की आवश्यकता को आप खुद अनुभव करते हैं और यही नहीं केन्द्र और प्रदेशीय सरकार ने और बहुत से आयोग ने जांच कराने के बाद इसको माना है और प्रधान मंत्री भी इस बात को कह चुकी हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पुल का कोटा है चौथी प्लान में उसका रुपया अलाट किया जा चुका है तो उत्तर प्रदेश के पुलों में जो चौथी योजना में पुल का कोटा है, उसमें गाजीपुर के पुल को क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री मंगलदेव विशारद—

मान्यवर, हमारी योजनाओं के अन्तर्गत जितना रुपया भारत सरकार से मिलना चाहिये उस रुपये के अन्तर्गत इस काम को करना सम्भव नहीं है । इसीलिये वहां की जनता की आवश्यकता को देखते हुये और पुल की आवश्यकता को देखते हुये सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार से अधिक धनराशि मांग ली जाय ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बहुत साफ चीज है कि इस पुल की पृष्ठभूमि में बहुत सी सिफारिशें हैं । रेलवे बोर्ड के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि यह पुल बहुत आवश्यक है । योजना आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने कहा है कि यह पुल बहुत जरूरी है । जगजीवन राम जब वे रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि इस पुल की जरूरत है । पूर्वी जिलों यानी पांच जिलों के लिये जो कमीशन बना था, उसने भी इस गाजीपुर के पुल की सिफारिश की थी । अब ऐसा मालूम हो रहा है कि हमारे सूबे की सरकार दिल्ली पर डाल रही है और दिल्ली की सरकार सूबे की सरकार पर डाल रही है । यह प्रदेशीय सरकार का काम है लेकिन वह केन्द्र की सरकार पर डाल रही है । जब सन् ३९ में लड़ाई चल रही थी और फौजें वर्मा जा रही थी तो उस समय हवाई अड्डा भी यहां बनाया गया था । इन सब बातों को देखते हुये मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चौथी योजना में केन्द्रीय सरकार से पुलों के लिये जो रुपया अलाट हुआ है उसमें इसको प्रायोरिटी देने में उनको क्यों परेशानी हो रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

जो अभी रामसुन्दर जी शास्त्री ने फरमाया वह बात ठीक है । वहां पुल की जरूरत है, लेकिन सवाल है आर्थिक साधनों का । जहां हम पुल बनाने जा रहे हैं बक्सर का पुल वह गालिबन २० मील के आसपास है । खर्चा उस पुल का और इस पुल का बराबर होगा, लेकिन गाजीपुर के पुल बनाने के लिये भारत सरकार कोई कंट्रीब्यूशन करने के लिये तैयार नहीं है और न बिहार की सरकार करने के लिये तैयार है । दूसरा पुल जो निश्चय हुआ है कि बना उसके लिये भारत सरकार ने रुपया रखा है और वह देनें के लिये तैयार है और गाजीपुर के पुल के लिये रुपया देने के लिए तैयार नहीं है १ बटा ३ भारत सरकार देने के लिए तैयार है, १ बटा ३ बिहार सरकार देने के लिये तैयार है और इस गवर्नमेन्ट पर केवल १ बटा ३ ही खर्चा पड़ेगा । अगर ३ करोड़

का खर्चा है तो १ करोड़ हमारे खर्च करने पर यह पुल बन जाता है । गवर्नमेन्ट के सामने यह प्रश्न था कि एक करोड़ में एक पुल बन और ३ करोड़ में एक पुल बने । हम इस पुल को भी बनाने के लिये तैयार हैं बशर्ते की हमारे पास पैसा हो । पुलों की बहुत ज्यादा जरूरत है । बनारस में पुल मौजूद है । बक्सर का पुल बना तो ४०-५० मील के फासले पर होगा लेकिन सारी गंगा पर कितने पुलों की जरूरत होगी । हरिद्वार से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक कोई पुल नहीं है, गढ़मुक्तेश्वर में है और वहां से कानपुर तक डेढ़ सौ मील का फासला है, कोई पुल नहीं है जब कि फर्रुखाबाद में, बदायूं, एटा के बीच में होना चाहिये । तो किसी चीज पर सेन्टीमेन्ट्स को भड़का देने से काम नहीं चलेगा, रिसोर्सेज की परेशानी है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के कोटे में मिर्जापुर के पुल को क्यों नहीं रिकमेंड करते और क्यों नहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते, केन्द्रीय सरकार के कंट्रीब्यूशन के साथ ?

श्री चरण सिंह--

वह तो रिकमेन्ड करने का निश्चय कर लिया गया है, मुमकिन है पत्र चला गया हो । मिर्जापुर में भी जरूरत है, फर्रुखाबाद में भी जरूरत है, लेकिन हमारी रिकमेन्डेशन से भी काम नहीं चलता, सवाल है केन्द्रीय सरकार हमें पैसा देती है या नहीं और हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं । कृष्णानन्द राय जी और रामसुन्दर जी, विशारद जी से बात कर लें । अगर रुपये का प्रबन्ध हो सकता हो तो बड़ी खुशी की बात है । लेकिन हमको तो यह परेशानी है यह माफ हो जाय, वह माफ हो जाय और जब जरूरत की बात होती है तो फिर यह कहा जाता कि यह होना चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया है उससे गाजीपुर जिले का अपमान हुआ है और उन्होंने गलत बयानी की है, इसके विरोध में मैं सदन के से वाक आऊट करता हूं ।

(श्री कृष्णानन्द राय सदन से बाहर चले गये ।)

(श्री राम सुन्दर शास्त्री के खड़े होकर बोलते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं और जो आप कह रहे हैं वह लिखा भी नहीं जा रहा है । आप या तो नियमों का पालन कीजिये, या बाहर चले जाइये । आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं । यह आप जबरदस्ती बिला मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री राम सुन्दर शास्त्री--

आपकी इज्जत रखते हुये मैं सदन से वाक आऊट करता हूं ।

(श्री रामसुन्दर शास्त्री सदन से बाहर चले गये ।)

श्री चन्द्रबली--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री चन्द्रबली सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

गाजीपुर के पुल के बारे में जो कहा गया है, उससे मुझे बहुत दुख है और पूर्वी अंचल की जनता इसे बरदाश्त नहीं करेगी । इस सवाल को लेकर मैं एक मिनट के लिये सदन से वाक आऊट करता हूं ।

(श्री रघुवीर सदन के बाहर चले गये ।)

वेस्टर्न इंडिया मेच कम्पनी लिमिटेड, बरेली में तालाबन्दी के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, माचिस मजदूर संघ बरेली ने २१ सितम्बर, १९६७ को फैक्ट्री के प्रबन्धकों को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। वेतन की दरों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विमको वर्कर्स यूनियन तथा माचिस मजदूर संघ दोनों ही यूनियनों का प्रबन्धकों के साथ एक समझौता २४ सितम्बर, १९६५ को हुआ था, जिसकी अवधि अभी ३१ दिसम्बर, १९६८ तक है।

२—इन मांगों पर प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त बरेली, के समक्ष वार्ता हुई परन्तु कोई समझौता न हो सका। इसी बीच सेवायोजकों ने सूचित किया कि ६ नवम्बर, १९६७ से श्रमिकों ने धीमे काम (गो स्लो) करने की नीति अपनाई है और धीरे-धीरे उत्पादन ३३ प्रतिशत से भी कम हो गया है। सेवायोजकों ने १३ नवम्बर, १९६७ को श्रमिकों को एक चेतावनी की सूचना दी तथा २० नवम्बर, १९६७ को २८ श्रमिकों को धीमे काम के लिये निलम्बित भी किया, किन्तु इसका श्रमिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तक कुल मिला कर ४० कर्मचारी निलंबित किये गये। सेवायोजकों के अनुसार उत्पादन स्थिति यहां तक पहुंच गई कि लगभग ५०० बक्से माचिस के प्रति दिन बनने की जगह पर केवल ५० बक्से ही बनने लगे थे। यह देखकर सेवायोजकों ने २४ नवम्बर, १९६७ को मिल में बंदी कर दी, इससे मिल के लगभग १,४०० श्रमिक प्रभावित हैं।

३—श्रम विभाग द्वारा पक्षों में आपसी समझौता कराने का प्रयत्न तुरन्त आरंभ किया गया और सहायक श्रमायुक्त, बरेली, ने पक्षों से बातचीत की। सेवायोजकों का यह कहना था कि यदि श्रमिकों द्वारा सामान्य उत्पादन (नारमल प्रोडक्शन) का इतमीनान दे दिया जाय तो वे फिर फैक्ट्री खोल देंगे।

४—मिल में दो यूनियनें हैं, एक विमको वर्कर्स यूनियन और दूसरी माचिस मजदूर संघ। विमको वर्कर्स यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन है और इसका कहना था कि वह इस तरह का आश्वासन दिलाने को राजी है। श्रम विभाग द्वारा समझाने बुझाने पर दोनों यूनियनों ने यह आश्वासन दिया कि श्रमिक सामान्य उत्पादन (नारमल प्रोडक्शन) देंगे। सहायक श्रमायुक्त बरेली के हस्तक्षेप से सेवायोजकों ने १८-१२-६७ को फिर से फैक्ट्री को खोल दिया है लेकिन माचिस मजदूर संघ ने पिकेटिंग उसी दिन से शुरू कर दी जो अभी तक चल रही है। २०-१२-६७ को इस पिकेटिंग के सिलसिले में ८ व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें से माचिस मजदूर संघ के श्री हर सहाय, जो संघ के उपाध्यक्ष हैं, भी थे। उनमें से ७ व्यक्तियों को छोड़े जाने की सूचना है और श्री हरसहाय अब भी गिरफ्तार हैं। पिकेटिंग होने के कारण सूचना यह है कि मिल में कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

५—श्रम विभाग की ओर से समस्या को सुलझाने व समझौता कराने के प्रयत्न जारी हैं।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

माननीय श्रम मंत्रीजी ने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया है उसमें, मुझे आश्चर्य है, यह कहीं नहीं है कि माचिस मजदूर संघ ने, जिसका संबंध आई० एन० टी० यू० सी० से है, जब २१-९-६७ श्रम विभाग को यह सूचना दे दी थी कि उनकी मांग क्या है और जिन मांगों के बारे में २४ सितम्बर, १९६५ को समझौता भी हो गया था, उसके अलावा भी बातें उनमें थीं, जिसमें एक मांग २४ पैसे प्रतिदिन तरक्की की भी थी, उस पर श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

दूसरी बात यह कि गो स्लो मजदूरों ने की और ताला श्रमिकों ने बंद करा दिया, क्या इस बारे में श्रम विभाग ने कोई जानकारी प्राप्त की कि इसका क्या कारण था, यही था अथवा टैक्निकल इनऐफीशियेन्सी, ब्रेक डाउन या मशीनों की कमी तो कारण नहीं था कारखाने में उत्पादन कम होने का ?

क्या जब क्लोजर हुआ तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के रूल्स के अनुसार मालिकों ने उसकी स्वीकृति ली थी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक मांगों के सिलसिले में बातचीत का प्रश्न है मैंने यह अर्ज किया कि जो समझौता हुआ था और जिस समझौते पर यूनियन इस समय आन्दोलन कर रहा है, बावजूद इस बात के कि समझौता ३१ दिसम्बर को खत्म हो रहा था श्रम विभाग ने समझौता कराने का प्रयत्न किया। धीरे चलो की नीति मजदूरों की तरफ से अपनायी गयी, सरकार की यही सूचना है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से यूनियन के कर्मचारी घरना देने के कारण और गैरकानूनी काम करने के कारण गिरफ्तार हो सकते हैं, उसी प्रकार से क्या फैक्ट्री के संचालकों ने जो लाक आउट किया वह कानूनी था या गैर कानूनी ? अगर गैर कानूनी था तो सरकार की ओर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

इस संबंध में तो शायद कानूनी जांच पड़ताल करानी पड़ेगी। लेकिन यदि मिल क्षेत्र में धीरे चलो नीति बरती जाय और जानबूझ कर बरती जाय और उसके बदले में मिल बंद हो जाय तो उस बन्दी के लिये मिल वालों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेने में दिक्कत हो जाती है। मैं सदन के सामने कमिट नहीं करना चाहता, लेकिन राजाराम पांडेय जी भी उसको भली प्रकार से जानते हैं। इस संबंध में वे और प्रश्न न करें तो अच्छा होगा।

श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गो-स्लो की जो नीति है क्या उसको इल्लीगल करार दिलाने का वह प्रयत्न करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मंत्री जी ने बता दिया। मंत्री जी कहना चाहें तो बता दें।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

ये तो विचार की बात है।

श्री चेतराम वर्मा (जिला खीरी)—

वहां पर यह जो भारत मजदूर संघ के १२ व्यक्ति पकड़े गये थे उन में से ७ को क्यों छोड़ा गया और बाकी को क्यों नहीं छोड़ा गया और उनके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो नीति की बात चल रही है और बहुत ब्यौरे में आप जा रहे हैं।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक भारतीय मजदूर संघ का प्रश्न है, इस नाम की कोई संस्था वहां नहीं है।

श्री राजा राम (देवरिया)—

अभी जो वक्तव्य दिया गया और मंत्री जी ने जो पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया, उससे यह नहीं मालूम हुआ कि आखिर कुछ व्यग्रता सरकार को है या नहीं कि मजदूरों का मसला सुलझे । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी जो विमको वर्कर्स यूनियन की मान्यता मानते हैं और जो उन्हीं की यूनियन है और यह जो समझौता उनका २४-९-६५ को हुआ था जिस में कि मंत्री जी हम को भी घसीटना चाहते हैं और जिस के फलस्वरूप मजदूरों के बोनस की और उनके वेतन की कटौती हुई, २ दिसम्बर को मंत्री जी ने हम को भी बुलाया था और मालिकों को भी बुलाया था, उसी दिन मिले भी लेकिन फिर भी कारखाने में तालाबन्दी कराई गई । तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं कि एक यूनियन जो मान्यता प्राप्त है और वहां के सब मजदूर मंत्री जी के साथ हैं और जब यह सब ने स्वीकार कर लिया कि कारखाना चलेगा तो वह क्यों नहीं चला.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये, साथ में उत्तर स्वयं न दीजिए ।

श्री राजा राम (देवरिया)—

मेरा कहना है कि जब सारी परिस्थितियां ऐसी हैं और श्रम मंत्री जी जब बार-बार कहते हैं कि उन को मजदूरों का बड़ा दर्द है तो उन १,४०० मजदूरों के परिवारों की दशा देखकर वह क्या व्यग्रता दिखा रहे हैं और क्या वह हमें और मालिकान को फिर बुलाकर समझौते की बात करायेंगे और लाक-आउट को खत्म कर के मालिकों को सजा दिलाने की बात करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

वहां की यूनियन की मान्यता का जहां तक प्रश्न है माननीय सदस्य को मालूम है कि जब उन के दल की सरकार थी विमको वर्कर्स यूनियन को मान्यता मिली थी । दूसरे जहां तक समझौते की बात है उसके संबंध में श्री राजाराम जी की जानकारी है कि समझौता हुआ और उस पर उन के दोस्तों ने दस्तखत किये लेकिन कुछ लोग फिर भी हाईकोर्ट में गये और वहां पर रिट खारिज हुई और कनसिलियेशन बोर्ड में भी मामला खत्म हो गया । लेकिन फिर भी जहां तक कारखाने के खुलने का सम्बन्ध है उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है । दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से और आप की यूनियनों ने भी यह कहा था कि अब गो-स्लो नहीं चलाया जायगा, लेकिन फिर भी जब कारखाना खुला तो पिकेटिंग शुरू कर दिया गया यह बात हमारी समझ में नहीं आई ।

(व्यवधान)

श्री राजा राम (देवरिया)—

उनकी यूनियन भी समझौते में क्यों बुलाई जाय, मजदूर हमारे साथ हैं.....

श्री प्रभुनारायण सिंह—

श्रीमन्, जहां तक मिल के खुलवाने का सम्बन्ध है, सरकार इसके लिए भरसक प्रयत्नशील है और सरकार के प्रयत्न जारी हैं । मिल मालिकों ने मिल खोलने का नोटिस भी दे दिया है, लेकिन अब अगर मिल नहीं खुलता है तो यह माननीय राजा राम जी के उकसाने और पिकेटिंग के कारण नहीं खुल पा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय राजा राम (देवरिया) के खड़े होने पर) । जैसा मैंने कई बार निवेदन किया नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें भेजते हैं, उनमें आधा घंटे से अधिक का समय लग जाता है । जितना सम्भव था वह सूचनायें लीं और शेष को वक्तव्य के लिए भेज दी हैं । अगर आधा घंटा वक्तव्यों पर लगा दें तो जो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए सरकार से अधिक से अधिक सूचनायें दिलाऊं, वह पूरी नहीं हो पाती है । अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने है । अब हम आइटम ८ लेते हैं ।

पंचायत मंत्रियों की नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में वक्तव्य

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

उत्तर प्रदेश में पंचायत मंत्रियों की कुल संख्या ८,७९२ है। पंचायत मंत्री का वेतन-क्रम रु० ५०–२–६०–३–७५ है। वेतन के अलावा पंचायत मंत्री को साढ़े बारह रु० प्रति मास की दर से मंहगाई भत्ता तथा पांच रुपये प्रति मास की दर से यात्रिक भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः गांव सभाओं द्वारा दो रुपये प्रति मास की दर से अतिरिक्त यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाता। इस प्रकार एक पंचायत मंत्री को नौकरी के प्रारम्भ में लगभग ८४ रुपये प्रति मास तथा अन्त में लगभग १०९ रुपये प्रति मास वेतन व भत्ते के रूप में मिलता है। इस समय लगभग ६,००० पंचायत मंत्री अपने वेतन क्रम में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और इस प्रकार उन्हें १०० रुपये प्रति मास से ऊपर वेतन व भत्ता आदि मिल रहा है। शेष पंचायत मंत्रियों में से अधिकांश ६० रुपये प्रति मास से ऊपर वेतन पा रहे हैं और इस प्रकार उन्हें भी ९० रुपये प्रति मास से ऊपर वेतन मिल रहा है।

२—पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं। चूंकि गांव पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इसके वेतन व भत्ते आदि पर होने वाले व्यय का भार उठा सकें, अतः राज्य सरकार द्वारा गांव पंचायतों को पंचायत मंत्रियों के पूरे वेतन, आधे मंहगाई भत्ता तथा पांच रुपये प्रति मास की दर से यात्रिक भत्ते पर होने वाले पूरे व्यय की धनराशि प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दी जाती है। इस समय इस अनुदान की मात्रा लगभग ८४ लाख रुपये प्रति वर्ष है।

३—पंचायत मंत्री वर्ग की ओर से मुख्यतः पांच मांगों पर जोर दिया जाता रहा है। यह मांगे इस प्रकार हैं—

(१) पंचायत मंत्रियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाये।

(२) पंचायत मंत्रियों का वेतन क्रम रु० १२०–२२० रखा जाये।

(३) सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के पद पर केवल पंचायत मंत्रियों को ही पदोन्नति दी जाये।

(४) पंचायत मंत्रियों की सेवायें प्राचीन मान पर स्थायीकरण किया जाये।

(५) अन्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें भी पंचायत मंत्रियों को प्रदान की जायें।

४—जैसा पहले बताया गया है, पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम लागू होने के बाद इनकी नियुक्ति पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाया जाना सम्बन्धी प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार जिला परिषदों में निहित कर दिये गये हैं। अन्य अनुशासन सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र समितियों में निहित हैं और इस प्रकार पंचायत मंत्रियों पर पंचायती राज संस्थाओं का पूरा नियंत्रण है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इस युग में पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी बनाना प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों के विपरीत होगा। देश के अधिकांश राज्यों में पंचायत मंत्रियों शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपने प्रदेश में पंचायत मंत्री को शासकीय कर्मचारी घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है।

५—जहां तक पंचायत मंत्रियों के वेतन क्रम बढ़ाये जाने का प्रश्न है, चूंकि पंचायत मंत्री शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, अतः वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके वेतन क्रम के बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। उनके वेतन क्रम में यदि वृद्धि की जाती है तो अतिरिक्त व्यय का भार गांव पंचायतों को अथवा राज्य सरकार को वहन करना होगा। गांव पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इस भार को सम्हाल सकें। वास्तव में गांव पंचायतें पंचायत मंत्रियों के महंगाई और यात्रिक भत्ते का अंशदान देने में ही कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। वर्तमान आर्थिक संकट में राज्य सरकार के लिये भी यह सम्भव नहीं है कि वह पंचायत मंत्रियों के वेतन-क्रम में कोई वृद्धि कर सके।

[श्री रूपनाथ यादव]

यदि पंचायत मंत्रियों का वेतन क्रम बढ़ाये बिना उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष मंहगाई भत्ता ही बढ़ाया जाये तो लगभग २८–३० लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय होगा। गांव पंचायतें अथवा राज्य सरकार इस अतिरिक्त व्यय को भी वहन करने की स्थिति में इस समय नहीं हैं।

६—जहां तक पंचायत मंत्रियों की सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों पर पदोन्नति का प्रश्न है, राज्य सरकार का इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। इस समय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के अल्पकालीन रिक्त स्थानों में केवल पंचायत मंत्रियों की ही नियुक्ति की जाती है। दीर्घकालीन रिक्तियों में ७५ प्रतिशत पदों पर केवल पंचायत मंत्री ही पदोन्नति किये जाते हैं और शेष २५ प्रतिशत पदों पर ग्राम सेवकों में से पदोन्नति की जाती है। इस प्रकार पंचायत मंत्रियों को पदोन्नति की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

७—चूंकि पंचायत मंत्री सरकारी कर्मचारी नहीं है, अतः उन्हें सरकारी कर्मचारी की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि उन्हें यथासम्भव सुविधायें दी जा सकें और आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें सहायता मिल सके।

८—यह खेद का विषय है कि पंचायत मंत्रियों में उनके वेतन क्रम आदि में वृद्धि न होने के कारण बेचैनी है। राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि पंचायत मंत्रियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार किया जाय और जब भी सम्भव हो सकेगा, सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास करेगी।

९—मैं आशा करता हूं कि पंचायत मंत्री, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के जिस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुये हैं उसे निष्ठा और लगन से संपादित करते रहेंगे और कोई ऐसा अवसर न देंगे जिससे गांव पंचायतों अथवा ग्रामीण जनता को उनके प्रति असंतोष हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

पंचायत राज मन्त्रियों की भर्ती तथा नियुक्ति कौन करता है, किसके अधिकार में उनकी नियुक्ति का पत्र देना है?

कृषि मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

यह अधिकार जिला परिषद् को है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

पंचायत मन्त्री गांव सभा के अथवा जिला परिषद् के नौकर हैं?

श्री जयराम वर्मा—

वे गांव सभा कर्मचारी हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

उनके वेतन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री का यह कहना है कि वेतन अभिनवीकरण में जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, उनके वेतन पर विचार नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं कि जिला परिषद् के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों के बारे में कैसे विचार किया, स्वायत्त शासन की अन्य संस्थाओं पर कैसे विचार किया और फिर पंचायत मन्त्रियों के मामले में विचार करने में क्या कठिनाई है?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो आपने वेतन अभिनवीकरण की बात कही। पिछली सरकार ने उसे बनाया था। वेतन अभिनवीकरण समिति ने किसी गैर सरकारी कर्मचारी के वेतन के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

लेखपाल, गांव सेवक और कामदार जो गन्ना विभाग के हैं वे उसी ढंग का काम करते हैं और वही हैसियत रखते हैं जो पंचायत मन्त्री रखता है और पंचायत मन्त्री का बस्ता उनसे बड़ा ही है तो ऐसी सूरत में अनुदान देकर उनके वेतन-क्रम को बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

श्री जयराम वर्मा—

कामदार और दूसरे कर्मचारी चूंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन-क्रम के अभिनवीकरण समिति ने तय कर दिया था और सरकार को उसे देना है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

पंचायत मन्त्री ऐसा जानवर है कि नौकर उसको सरकार रखवाती है और जिला परिषद् से ८४ लाख रुपया दिलवाती है। अधिकांश गांव सभाएं ऐसी हैं जिनको साल भर में २४ रुपए भी टैक्स के नहीं मिलते तो फिर २ रुपए यात्रिक भत्ता कहां से देंगी ? यह संविद सरकार का दावा है कि पिछली सब गलतियों तथा शिकायतों को दूर कर देगी और प्रताप सिंह ने तो यहां तक कहा "यदायदा ही धर्मस्य"। इस कमी को दूर करने में क्या वह सफल हुई ? इस सरकार ने अधर्म को बढ़ाया है या अधर्म को दूर किया है ?

श्री जयराम वर्मा—

पहले मुझे इस बात से एतराज है कि पंचायत मन्त्री कोई जानवर है। यदि जानवर है तो पहली सरकार ने ही उसे बना रखा था। हम तो उसे आदमी ही समझते हैं और जानवर नहीं समझते। हां, यकायक हम सब दोष दूर नहीं कर सकते। अभी योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप ने यह निर्णय दिया है कि राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत इस मद में कोई रुपया खर्च नहीं कर सकती लिहाजा जो अनुदान के रूप में उनको वेतन आदि के लिए रुपया दिया जाता है, उसे बढ़ाना कठिन हो गया है।

पूर्वी जमुना नहर से पर्याप्त पानी न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ जिलों में ५.४५ लाख एकड़ कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित करती है। यह नहर यमुना नदी से ताजेवाला पर से निकलती है। उत्तर प्रदेश तथा भूतपूर्व पंजाब प्रदेश (अब हरियाणा) के मध्य सन् १९५४ में हुए समझौते के अन्तर्गत ताजेवाला हेडवर्क्स पर यमुना नदी के पानी का वितरण पूर्वी तथा पश्चिमी यमुना नहरों में अनुमानतः १:२ के अनुपात में होता है। ताजेवाला हेडवर्क्स की देख-रेख तथा उसका संचालन पूर्ण रूप से हरियाणा राज्य के अभियन्तागण करते हैं और वही निर्धारित मात्रा में पूर्वी यमुना नहर को पानी देने के जिम्मेवार हैं।

यद्यपि पिछले वर्षों में नदी के नियंत्रण तथा नहरों के विनियम के सभी आधुनिक सुधार पश्चिमी यमुना नहर पर किए गए हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश के भाग पर कोई सुधार नहीं किया गया है। पूर्वी यमुना नहर के मुहन्ड की स्थिति बहुत ही अनुपयुक्त है जिसके कारण मुहन्ड के सामने यमुना नदी तथा पूर्वी नहर में बहुत अधिक मात्रा में बजरी जमा हो जाती है जिससे नहर को निर्धारित मात्रा में नहीं चलाया जा सकता। इसके विपरीत पश्चिमी यमुना नहर का मुहन्ड ऐसी सुविधाजनक स्थिति में बना है जिससे कि वह अपने भाग का पूरा पानी बिना किसी असुविधा के ले सकता है। यमुना नदी की तली शनैः शनैः नीची होती जा रही है और इससे पूर्वी यमुना नहर के पोषण में कठिनाइयों की वृद्धि हो गई है। नदी में जब पानी कम होता है, तब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

उसकी तली में एक फोर्सिंग बांध बनाया जाता है जिसके कि पानी पूर्वी यमुना नहर में डाला जा सके। परन्तु अब यमुना नदी की तली नीची हो जाने के कारण अब फोर्सिंग बांध भी नदी के पानी की सतह को इतना ऊंचा नहीं उठा पाता जिससे कि पूर्वी यमुना नहर को पूरा पानी भली प्रकार दिया जा सके। फोर्सिंग बांध से भी जो कि प्रति वर्ष हरियाणा के अभियन्ताओं द्वारा वर्षा ऋतु के बाद बनाया जाता है, बहुत-सी कठिनाइयां देता है। अगहनी धान के समय नदी में पानी की अधिकता के कारण फोर्सिंग बांध का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता और इससे धान की सींच के लिए पर्याप्त मात्रा में पूर्वी यमुना नहर को पानी नहीं मिल पाता। रबी की फसल में भी जब कभी किसी कारणवश नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह बांध टूट जाता है जिस कारणवश पूर्वी यमुना नहर अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती।

नदी की तली को और नीची होने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माडेल पर परीक्षण करने के पश्चात् नदी की तली पर एक कंक्रीट की ब्लाक बार बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह बार पूर्वी यमुना नहर के मुहन्ड के कुछ नीचे होगा। यह बार फोर्सिंग बांध के प्राधार का भी कार्य करेगी तथा बांध के निर्माण काल में भी काफी कमी हो जायगी।

ब्लाक बार का निर्माण ही इस समस्या का पूर्ण हल नहीं है। क्योंकि अगहनी धान की ऋतु में फोर्सिंग बांध बन ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इससे वर्तमान पूर्वी यमुना नहर के मुहन्ड की अनुपयुक्त स्थिति के कारण नहर में तथा नदी में बजरी के अभाव की समस्या दूर नहीं हो सकती। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि नदी में पानी की पर्याप्त मात्रा होने पर भी अगहनी धान के समय पूर्वी यमुना नहर को पूर्ण मात्रा में पानी नहीं दिया जा सकता। गत ५ वर्षों में पूर्वी यमुना नहर जुलाई से सितम्बर तक औसतन केवल १,४३८ क्यूसेक्स पानी ले सकी जबकि नदी में पानी ३०,००० क्यूसेक्स तक उपलब्ध था। पूर्वी यमुना नहर में पानी की इस कमी के फलस्वरूप इस नहर के कमान्ड का करीब १ लाख एकड़ धान का क्षेत्र सिंचाई की सुविधा से प्रत्येक वर्ष संचित रहा। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी ने दिसम्बर, १९६५ में ताजेवाला हेडवर्क्स का निरीक्षण किया और यह सुझाव दिया कि विद्यमान वियर को एक बराज में परिणत कर दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को दिनांक ५-१-१९६६ की बैठक में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के सिंचाई मन्त्रियों ने भी अनुमोदित कर दिया है। उपरोक्त सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजेवाला से ऊपर करीब ४ मील पर खारा में यमुना नदी पर एक बराज का निर्माण प्रस्तावित किया है। इससे न केवल पानी की समस्या ही दूर होगी वरन् उससे ४० मेगावाट बिजली भी तैयार होगी। इस योजना का प्रोजेक्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तथा हरियाणा सरकार को भेजा जा चुका है।

इस बराज की स्वीकृति तथा निर्माण में लगभग ५-६ वर्ष लगेंगे। चूंकि अगहनी धान की फसल के लिए पानी की अत्यन्त आवश्यकता रही है, अतः एक अन्तरिम योजना प्रस्तावित की गयी है। इसके अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर के लिए वर्तमान स्थिति से ९२५ फीट ऊपर एक नया मुहन्ड बनाने का प्रस्ताव है। जब खारा बराज बन जावेगा तब यह मुहन्ड टेल रेगुलेटर का काम करेगा। यह निर्माण कार्य करीब एक वर्ष में पूरा किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास काफी दिनों से विचाराधीन है। उन पर तुरन्त निर्णय करने हेतु मैं हरियाणा सरकार के राज्यपाल से १३-१२-१९६७ को मिला और पूर्वी यमुना नहर के पोषण के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया। पूर्वी यमुना नहर के लिए वर्तमान स्थिति से ९२५ फीट ऊपर नए मुहन्ड बनाने के प्रस्ताव के सिद्धांत पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अन्तिम निर्णय देने के पहले हरियाणा सरकार ने इस कार्य का सूक्ष्म विवरण मांगा है जिसे अधिशासी अभियन्ता, अपर डिवीजन, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर अविलम्ब भेज रहे हैं।

ब्लाक बार बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में हरियाणा के अभियन्ता, केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग के अनुसंधान संस्थान, पूना में कुछ और परीक्षण कराना चाहते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जावे कि इस ब्लाक बार के बनने से विद्यमान कार्यों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

खारा बराज की परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए केन्द्र से आग्रह कर रही है।

शासन पूर्ण प्रयत्नशील है कि पूर्वी यमुना नहर की कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर करे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५-१-१९६६ को केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के सिंचाई मन्त्रियों ने एक नया बराज बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को स्वीकार कर लिया था? इसके बाद करीब दो साल होने को आए, उसके कार्यान्वित होने में क्या कठिनाई है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस समय तक तो उसमें कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन अबकी बार हरियाणा के लोगों से और राज्यपाल से जो बात हुई, उसमें उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जो योजना हम भेजेंगे उस पर वे जल्दी से जल्दी विचार करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ब्लाक बार बनाने की योजना है, जो काफी समय से हरियाणा सरकार के विचाराधीन है, क्या कोई और कठिनाई हरियाणा सरकार ने उसके बनाए जाने के सिलसिले में व्यक्त की है?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

हरियाणा सरकार का कहना है कि इस बात की जांच पूना रिसर्च स्टेशन से करा ली जाय कि यह ब्लाक बार कहीं जड़ से उखड़ कर दूसरे बराज को क्षति न पहुंचाए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर है ३० हजार क्यूसेक्स जब पानी नदी में आता है तो कुल १,४३८ क्यूसेक्स पानी पूर्वी यमुना नहर में आ पाता है जबकि क्षमता उसकी २५ हजार क्यूसेक्स है, तो पानी की इतनी भारी कमी को ध्यान में रखते हुए जो उनकी तरफ से रजबहों के पास प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाए जाने पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसके हटाने पर विचार करेंगे?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उसकी दूरी को काफी मात्रा में कम करने का सरकार विचार कर रही है। वह इतना रखना चाहती है कि नहर का जो जल है वह उन ट्यूबवेल्स में ड्रा न हो और उनको छूट देने का भी विचार कर रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मुझे इस पर आधा घंटे का टाइम दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी-अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटे की बात सुन रहा था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने आधा घंटा चन्द्रबली सिंह के लिए कहा था, इस बहस के सिलसिले में नहीं कहा था। माननीय चन्द्रबली सिंह ने आधे घंटे की बात कही थी और आधे मिनट में ही चले गए, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आधा घंटे वाले मामले में जरा सी गलतफहमी है। आधा घंटा बहस के लिए नहीं है, केवल वक्तव्य देने के लिए है। इसमें दूसरे और माननीय सदस्यों को कोई दिलचस्पी थी, ऐसा नहीं मालूम हुआ। आपने चार प्रश्न कर लिए, और कर लीजिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री के सुझाव पर भूतपूर्व अभियन्ता श्री मोतीलाल जी ने सिफारिश की थी कि नहर जमन के पानी की कमी को पूरा करने के लिए उस क्षेत्र में २०० ट्यूबवेल्स और बना दिए जायं, अगर ऐसी कोई सिफारिश है तो उसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे नम्बर दो लखवाड़ डैम बनाने की योजना मुख्य अभियन्ता ने बना कर आपके पास भेजी है? यदि हां, तो उस सिलसिले में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

वह तो, माननीय, बैरेज बनाने की योजना है और जमुना के रेगुलेटर से यमुना नहर को २ हजार क्यूसेक्स पानी मिल सके, इन सारी चीजों पर विचार किया जायगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि बरसात में बंधा टूट जाता है इसलिए पूरा पानी जमन नहर में नहीं आता। बरसात में एक तिहाई पानी आता है तो बाकी दो तिहाई पानी का क्या हुआ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

प्रश्न कुछ भ्रमित सा लगता है। फोर्सिंग बांध बनाया जाता है जिससे जमुना में बाढ़ के वक्त रेगुलेटर से नदी की तली पर उसका प्रभाव पड़ता है। फोर्सिंग बांध के बह जाने पर वह फिर बंध नहीं सकता, इसलिए उसकी तली नीचे चली जाती है।

श्री फूलसिंह--

जब बंध टूटा उस वक्त पानी नहीं मिल सका, लेकिन जब बंध बन गया तो जो कमी बरसात में हुई वह एक तिहाई तो यू० पी० में और दो तिहाई पंजाब में हुई। अगर एक तिहाई बरसात में पानी मिला तो उसके बाद ज्यादा पानी क्यों नहीं मिल पाता?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि दो तिहाई और एक तिहाई के बटवारे से बरसात में इसलिए कोई असर नहीं पड़ता कि उस वक्त पानी की उपलब्धि में कोई कमी नहीं होती। उस नहर में ३० हजार क्यूसेक्स पानी आता है लेकिन सीलिंग की वजह से पानी कम आता है और जब तक वह साफ नहीं होता पानी कम से कम हो जाता है। और इसीलिए बरसात में भी उतना पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फोर्सिंग बंध जो होता है वह पक्का और मजबूत नहीं होता, एकबार जब गिर जाता है तो फिर उसके बनाने में ६-७ रोज लग जाते हैं और चूंकि उसकी व्यवस्था हरियाणा सरकार के अन्तर्गत है वे ही उसे बना सकते हैं। अगर ये समय से न बनावें तो उसके लिए क्या किया जाय? इसी वजह से नदी से पानी की सप्लाई गिर जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री जी इस बात से सहमत हैं कि १९५४ में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की सरकार में जमुना पानी के बटवारे के सिलसिले में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार निश्चित मात्रा में उत्तर प्रदेश की पूर्वी जमन नहर को पानी नहीं मिला, तो वह उस समझौते पर पुनर्विचार कराने या उसको बदलवाने के सिलसिले में कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, मैंने हरियाणा सरकार से आग्रह किया था कि हमारा रेगुलेटर हमारी व्यवस्था में ही रहना चाहिए। मैं केन्द्र से भी आग्रह करूंगा। अगर यह हमारी व्यवस्था में रहेगा तो जरूर सहायता रहेगी और इसका हरियाना पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इस मांग को उन्होंने माना नहीं है।

प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल मालिकों से गन्ने का उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने क सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री का वक्तव्य होगा।

*उद्योग मन्त्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

मान्यवर, इस सम्बन्धमें यह निवेदन है कि मौजूदा राज्य सरकार ने गन्ना और चीनी उत्पादनके बारे में जो कदम उठाए हैं, उनमें प्रदेश के २० लाख गन्ना उत्पादकों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। इस सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि गन्ने का कोई लाभप्रद मूल्य निश्चित किया जाय जिससे गन्ना उत्पादकों को अधिक गन्ना बोने के लिए प्रोत्साहन मिले और चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिल सके। गत वर्ष अप्रैल में ही मैंने केन्द्रीय राज्य खाद्य मन्त्रीश्री ए० पी० शिन्दे तथा उसक उपरान्त केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री जगजीवनराम जी से गन्ने के उचित दाम प्रति क्विंटल निर्धारित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद जब चीनी के विनियन्त्रण की बात उत्पन्न हुई तो राज्य सरकार की ओर से ४० प्रतिशत तक चीनी का विनियन्त्रण होने की दशा में ८.७१ रु० प्रति क्विंटल और पूर्ण नियंत्रण रहने पर १०.७२ प्रतिक्विंटल की दर से गन्ने की कम से कम कीमत तय करने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय सरकार ने १९६७–६८ पेराई मौसम के लिए न तो गन्ने के मूल्य की समय से घोषणा की और न उचित मूल्य ही निश्चित किया। यदि गन्ने के बुवाई के समय ही उचित मूल्य की घोषणा कर दी जाती तो आज इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता और गन्ने की बुवाई के लिए गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता।

यह आरोप सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा अवांछनीय हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल के मालिकों से गन्ने का उचित मूल्य मिलने में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य १२ रु० प्रति क्विंटल लेने के लिए विवश नहीं किया जा रहा है। इस समय विभिन्न क्षेत्रों में चीनी मिलें जो गन्ने का विभिन्न मूल्य दे रही हैं वह मूल्य चीनी मिलों तथा स्थानीय गन्ना उत्पादकों के बीच पारस्परिक बातचीत से निश्चय हुआ है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। किसानों को गन्ने का लाभप्रद दाम मिले, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

किसानों के सहारे तथा पक्ष की रही है। मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिले की मिलों ने गन्ने के भाव बढ़ा कर पिछले माह से १५ रुपये प्रति क्विंटल कर दिये हैं। उन्हीं जिलों में कुछ मिलों ने यह दाम और बढ़ा कर १७ रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है। पूर्वी क्षेत्र की सभी मिलें १०.७२ रुपये पैसे प्रति क्विन्टल की दर से गन्ना क्रय कर रहीं थीं। गोरखपुर व देवरिया जिले की चीनी मिलों ने भाव बढ़ाकर १२.०३ रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है।

मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है वह तथ्यहीन है। मौजूदा सरकार का यह भरसक प्रयत्न रहा है कि गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य मिलने में सहायता मिले। प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना उत्पादक व मिलों में पारस्परिक बातचीत से ही देवरिया जिले की मिलों द्वारा १२.०६ रुपये प्रति क्विन्टल गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है। गौरी बाजार चीनी मिल केवल १७ व १८ दिसम्बर को व परतापपुर चीनी मिल केवल १६ दिसम्बर को बन्द रही। भटनी मिल को पूर्ति होने वाले गन्ने में आंशिक कमी हो गई। १६ दिसम्बर, १९६७ से कैप्टेन-गंज, रामकोला व लक्ष्मीगंज चीनी मिलों में गन्ने की पूर्ति में कुछ कमी रही। इसकी वजह यह है कि उस क्षेत्र के किसानों का आन्दोलन दाम बढ़ाने के लिए हो रहा है। गौरी बाजार चीनी मिल क्षेत्र में जो नूर मुहम्मद ने गन्ना क्रय केन्द्र व वेब्रिंज पर गन्ने की तौल में बाधा पहुंचाने का प्रबन्ध किया किन्तु उनके विषय में किसी चिन्ताजनक बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महरौनी चीनी मिल को केवल १८ दिसम्बर, १९६७ को गन्ने की आंशिक पूर्ति हुई दूसरे दिन से ही पूर्ति में सुधार हो गया। गन्ना उत्पादकों में गन्ना के दाम के बारे में कुछ असंतोष है। २१ दिसम्बर, १९६७ को प्राप्त सूचना के अनुसार देवरिया जिले की कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं रही।

मौजूदा राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने में और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और भविष्य में भी उसकी नीति गन्ना उत्पादकों के सहारे ही रहेगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, वक्तव्य काफी साफ है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बराबर प्रयत्नशील है कि गन्ना के काश्तकारों को अधिक दाम दिलायें। २-३ बातें मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। उसका अगर वे उत्तर दे दें तो स्पष्ट हो जायेगा। पहली बात यह है कि सरकार ने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी कि उसने ४० प्रतिशत चीनी की छूट पर ३ रुपये ५० पैसे प्रति मन गन्ने की कीमत की मांग की थी। आज यह हालत है, इस बात को भारत सरकार ने जरा किसान विरोधी और उपभोक्ता के भी विरोध में समझा और राज्य सरकार की सलाह नहीं मानी। उसने फैसला कर दिया कि ४० प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचने की छूट रहेगी। परन्तु ६० प्रतिशत चीनी अपने हाथ में रख कर वह नियंत्रित मूल्य पर बिकवायेगी। जो ४० प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचेंगे उस पर किसान बारगेनिंग करके जितनी ऊंची से ऊंची कीमत ले सकें लें। माननीय मुख्य मंत्री का सहारा उसमें जरूर है, आज १७-१८ रुपये क्विन्टल कुछ मिलों से कीमत मिल रही है जिस पर साढ़े तीन रुपये मन कीमत मांग रहे थे। ठीक दुगनी है। पहले वह इस बात को सोचें कि क्या वह अब भी उसी पर कायम हैं या दूसरी राय अब रखते हैं।

हस्तक्षेप की बात भी मैं कहना चाहता हूं। इसे उनके स्पष्ट किये बिना काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सरकार का हस्तक्षेप यह है कि पहले तो गन्ने के क्षेत्र सुरक्षित कर दिये हैं। अगर दूसरी फैक्ट्री ज्यादा कीमत भी दे तो किसान उसके हाथ बेच नहीं सकता। यह बड़ी भारी बाधा है जिससे काश्तकार बारगेन नहीं कर सकता। मेरठ और पश्चिमी जिलों की स्थिति दूसरी है जहां पर सुरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद गुड़ और खांडसारी दोनों ऐसे साधन हैं जिससे मिल को काश्तकार की बात

माननी पड़ती है। लेकिन यह सुविधा न पूर्वी जिलों में न बीच के जिलों में ही है। सरकार की नीति यह है कि यदि गन्ना यूनियनें अपनी हड़ताल करना चाहती हैं तो सरकार वहां अपनी पूरी मशीनरी लगा देती है कि तुम सप्लाई करो। क्या सरकार इस हस्तक्षेप की नीति को जो सुरक्षित क्षेत्र किये हुए है उनको हटा लेगी ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

पहली बात मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय यह चर्चा हुई की ४० प्रतिशत चीनी विनियन्त्रित कर दी जाय तो सूबे की सरकार की यह राय थी उस विनियन्त्रण के बावजूद भी गन्ने का मल्य दो रुपये ७५ पैसे तय करने की बात उचित नहीं हो रही है। बल्कि उस विनियन्त्रित के स थ-साथ गन्ने का मूल्य साढ़े तीन रुपये मन से कम नहीं होना चाहिये। ऐसी स्थिति में यदि आज नियंत्रण रहे तो चार रुपये मन से गन्ने का दाम न हो। अगर विनियंत्रण होता है तो साढ़े तीन रुपये मन दाम तय करने के बाद किसानों को छूट होती है कि अधिक से अधिक दाम गन्ने का वह प्राप्त कर सकें। तो साढ़े तीन रुपये मन का मतलब यह था कि दो रुपये ७५ पैसे विनियन्त्रण के साथ ता करना उचित नहीं था।

दूसरी बात यह है कि यह सही है कि जिस इलाके में गुड़ और खाण्डसारी उद्योग हैं वहां पर स्पर्धा अधिक है, और वहां किसान बारगेन करने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में है। जहां तक सुरक्षित क्षेत्र का सबध है, गेंदासिंह जी का सुझाव है कि उसको हटा दिया जाय तो बारगेन करने की ताकत ज्यादा बढ़ जायेगी। हमें किसानों के हित को देखना है कि उन्हें लाभप्रद दाम मिलें साथ ही साथ जो ७२ फैक्टरीज गन्ना उद्योग में चल रही हैं आज वह भी बिल्कुल बन्द न हो जायं और उसके साथ-साथ जो ८० हजार मजदूर उस उद्योग के साथ संबंधित हैं वे बेकार न हो जायं। इसलिए सरकार की यह नीयत है कि जो व्यवस्था हो वह दोनों पक्षों और सभी पक्षों के लिए न्यायोचित हो, किसानों के लिए सहारा हो। हमारी नीति किसानों की तरफ झुकी हुई है बावजूद इसके सुरक्षित क्षेत्र को खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से इस सूबे का यह उद्योग जो बहुत बड़ा उद्योग है, अपनी जगह से समाप्त हो जायगा।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

यह जानते हुए कि पूर्वी जिलों में गन्ने का भाव ११ रुपया प्रति क्विन्टल है और पश्चिम में १५ रुपया प्रति क्विन्टल है और शक्कर बाजार में एक ही भाव पर बिकेगी, तो क्या सरकार इससे उचित समझती है कि गन्ने का भाव एक समान कर दिया जाय ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

केन्द्रीय सरकार ने जोन-वाइज भाव तय किए हैं। नियंत्रित दाम पश्चिम के लिए अपनी जगह पर अधिक हैं पूर्व के लिए कम हैं। इसे देखकर पेराई का रेट क्या हो सरकार दाम तय करती है, जिसमें उसकी लागत आदि का ध्यान रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार ने जो चीनी का दाम निश्चय किया है वह पश्चिम के लिए अधिक है और पूर्व के लिए कम किया है। पिछली बार जब रिवीजन किया था तब भी वैसा ही हुआ है। तो वह एक स्थिति अलग है। किन्तु इस समय प्रश्न यह है कि इस समय जो दाम पूर्व में मिल रहे हैं, उसके बारे में हमारी सरकार की भी यह राय है और निश्चित रूप से राय है कि जो दाम मिल रहे हैं उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुड़ और खाण्डसारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में इस प्रांत में इत्तफाक से यह जो इंडस्ट्री हैं—छोटी और बड़ी—वे इंडस्ट्री एक ही विभाग के अधीन और एक ही मंत्री के मातहत चल रही ह। इसलिए मंत्री जी का ध्यान छोटी इंडस्ट्री की तरफ जा ही नहीं पाता है। खाण्डसारी का उद्योग

[श्री महेश कुमार]

इस प्रदेश का बड़ा धन्धा था किन्तु आजकल मिल मालिकों के प्रभाव में आकर सरकारी अधिकारी-गण इस उद्योग का गला घोंट रहे हैं और किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वे किसी भी हालत में अपना गन्ना मिलों को दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप प्रश्न पूछिए, भाषण मत दीजिए ।

श्री महेश कुमार—

श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार गला घोंट रही है । राब के ऊपर तो ५ प्रतिशत का टैक्स लगाया सरकार ने और क्रशर के ऊपर ५० पैसा प्रति क्विन्टल । यानी १०० क्विन्टल पर पड़ता है ५० रुपये और राब पर पड़ता है उतने ही पर १६८ रुपये । कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे कोल्हू के किसान पर तो १६८ रुपया टैक्स लगाया गया और बड़े क्रशर वालों पर १०० रुपया । तो इस भेदभाव को पैदा करने वाली पाबन्दियों को क्यों मंत्री जी लगा रहे हैं ? इन्हें दूर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक गुड़ और खांडसारी का प्रश्न है, गुड़ पर कोई बन्दिश नहीं है । (व्यवधान) शक्ति के माध्यम से गुड़ बनाने का जहां तक प्रश्न है उस पर रोक है । आज जो स्थित गन्ने की है वह इस प्रकार है—सन् १९६५–६६ में २४ लाख एकड़ भूमि पर गन्ना बोया गया था । सन् ६६–६७ में गिरकर २० लाख एकड़ भूमि हो गई और सन् ६७–६८ में यह केवल १६ लाख एकड़ भूमि रहेगी । ऐसी स्थिति में गुड़ खांडसारी और चीनी, तीनों के लिये कोआर्डिनेटेड पालिसी बनाने की दृष्टि से आज इस स्थिति को लाना पड़ा है । केन्द्रीय सरकार ने सूबे की सरकार से कहा था कि खाण्डसारी के क्रशर्स के घंटे पर भी बन्दिश रख दी जाय, लेकिन उसको हमने नहीं माना । तारीख की बन्दिश तो मानी कि इस तारीख से इस तारीख तक चलेगा, लेकिन घंटों की बन्दिश नहीं मानी और इससे यह स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार सुझाव देती है उसमें जितनी दूर तक प्रादेशिक सरकार कुछ कर सकती है उतनी दूर तक उसने किया है हमने देखा कि खाण्डसारी उद्योग में सहारे की जरूरत है और इसलिए हमने तय किया कि गन्ने की स्थिति को देखते हुए उस सहारे को रखा जाय ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार चाहती है कि पूरब के किसानों को गन्ने का मूल्य ज्यादा प्राप्त हो । तो सरकार अपनी इस इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए क्या मिलमालिकों, गन्ना उत्पादकों और उनके संघ के बीच में कोई सम्मेलन करायेंगी, जिससे इस पूरब और पश्चिम में डिस्पैरिटी को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

इस संबंध में सरकार का प्रयास इस बात का है कि मिलमालिकों को बुलाकर उनसे इस बात पर बल दिया जाय, जिससे किसानों को गन्ने का पूरा दाम मिल सके ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अन्त में कहा है कि सरकार की नीति किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए सहारा देने की है तो जहां इस वक्त उनके पास कोल्हू है, ट्यूबवेल का मोटर है, पंपिंग सेट है उसको इसमें लगा देने का अधिकार दें तो उनको बारगेन करने की ताकत हो जायगी ? क्या सरकार उनको ऐसा अधिकार देने जा रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

इस संबंध में तो जहां तक क्रशर्स को लाइसेंस देने का प्रश्न है सरकार ने इस वर्ष क्रशर्स का लाइसेंस सुरक्षित क्षेत्र में जारी नहीं किया है। अब जहां तक इन शक्तियों द्वारा चालित करने के संबंध में कोई अधिकार देने की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि जैसी आज स्थिति है जिसमें प्रदेश के गन्ने का क्षेत्रफल कम हुआ है सरकार अपनी नीति को रिवाइज करने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर) अब आधा घण्टा हो चुका है। बहुत से प्रश्न हो गये हैं। आप लोगों की इच्छा की तृप्ति करने का बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट के लिए रखा गया था.....

श्री राजाराम पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मैंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आप सबसे अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि यह विरोधी दल का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह ज्यादा से ज्यादा सूचनायें शासन से प्राप्त कर सकें और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ५ वक्तव्य करा दिये लेकिन अगर वक्तव्य को इस तरह से आप विवाद में परिणत कर दें..... (श्री राजाराम पांडेय के खड़े होने पर) आप बैठिए। देखिए मैं अब सब माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि माननीय सदस्यों की इच्छा है तो मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने और भी विषय हैं। अगर सारे सदन की इच्छा है कि और कार्य को स्थगित करके इसको ही चलायें। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य समय चाहें तो मैं नहीं दे सकता। मेरी सीमायें हैं। अगर मैं एक माननीय सदय को समय देता हूं तो माननीय वीरेन्द्र वर्मा और माननीय धनुषधारी जी भी खड़े हुये हैं उनको भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं अब इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(विरोधी दल के एक सदस्य के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मेरी अपनी भी कुछ जानकारी है। मेरी भी कुछ सीमायें हैं। जिनका यहां पर नियमों से संबंध है। मैं उन नियमों से बंधा हुआ हूं।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७†

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अधिक कहने की जरूरत नहीं है। १९६५ में विशेष परिस्थिति में यह आपातिक अधिभार विधेयक पेश किया गया था। गत मार्च में हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री बहुगुणा जी ने इस बात का ऐलान किया था कि अब यह समाप्त कर दिया जायगा। उसके अनुसार ही यह आपके सामने प्रस्तुत है और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको पास करेंगे।

(इस समय १ बजकर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट पीठासीन हुए।)

---

†३ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि—

"खण्ड २ की पंक्ति ४ में शब्द "किस्त" के बाद के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"जो १९६७ में या उसके बाद देय होती है, के संबंध में अधिभार की कोई धनराशि न तो उद्गृहीत की जायगी और न देय होगी। यदि ऐसी कोई रकम वसूल कर ली गई है तो उसे वापस कर दिया जायगा।"

माननीय माल मंत्री जी ने इस संबंध में बड़ी कृपा करके यह बात कही कि पिछले मंत्रिमण्डल के वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि यह आपातिक अधिभार जो मालगुजारी पर लगाया गया है, उसको माफ कर दिया जायगा। मुझे जहां तक याद है कि यह कार्य पिछली सरकार जब बनी थी तो उसने इसका निश्चय आरम्भ में किया था और आधे मार्च के करीब यह फैसला हुआ था। मैं समझता हूं कि मार्च के बाद इस रकम की काफी वसूली की गयी है। कभी-कभी ऐसे मौके आते थे कि यह अखबारों की खबर किसानों को देते थे कि यह चवन्नी वाली मालगुजारी सरकार ने माफ कर दी है, लेकिन इसकी वजह से उनमें बेचैनी थी। उस समय हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या संशोधन पेश किया ?

श्री गेंदासिंह—

आप लोगों की अदला-बदली में मैं पढ़ा गया था।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप इसमें आम बहस कीजिए। खण्ड २ बाद में लिया जायगा।

श्री गेंदासिंह—

ठीक है, तो मैं बाद में रख दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, और उक्त अधिनियक की धारा ३ में किसी बात के होते हुए भी, पहली जुलाई, १९६६ से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के लिए मालगुजारी की रबी किस्त, जो पहली अप्रल, १९६७ अथवा उसके बाद देय होती है, के संबंध में अधिभार की कोई धनराशि न तो उद्गृहीत की जायगी और न देय होगी। उ० प्र० अधिनियम २२, १९६५ का निरसन।

श्री गेंदा सिंह—

यह जो पहला संशोधन है, फिर आपके सामने उपस्थित करता हूं—

"खण्ड २ की पंक्ति ४ में शब्द "किस्त" के बाद के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"जो १९६७ में या उसके बाद देय होती है, के संबंध में अधिभार की कोई धनराशि न तो उद्गृहीत की जायगी और न देय होगी। यदि ऐसी कोई रकम वसूल कर ली गयी है तो उसे वापस कर दिया जायगा।"

मैंने इसके पहले आपका ध्यान इस ओर दिलाया था और मेरा खयाल है कि माननीय माल मंत्री ने सुना होगा। दोबारा सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि वहां रबी की किस्त पहली अगस्त से लिखी गयी है वह सन् ६७ में उद्गृहीत नहीं होगी। इसको मैं समझता हूं कि पहली अप्रैल और पहली जनवरी, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खरीफ की किस्त पहली जनवरी के पहले देय होती है, बाद में रबी की किस्त देय होती है। तो पहली जनवरी के बाद जो देय हो, मैं उस मंशा से पूरा इत्तफाक करता हूं कि आपने रबी लिखा है। रबी समझ कर माफ किया गया था तो वह पहली अप्रैल की ड्यू हो जायगी। मेरी जानकारी करा दें कि किस तारीख से कौन सी किस्त ड्यू होती है, मैं एक सुरक्षा की दृष्टि से कि किसान को माफी का पूरा लाभ मिल सके इसलिए १९६७ कह दिया और अगर किसी से वसूल की हो तो बाद में मुजरा हो सकेगी। इस तरह की शिकायतें माननीय माल मंत्री जी के सामने भी आयी होंगी कि माफी के बाद भी वसूलयाबी हुई है। सरकार की मंशा होते हुये भी, उसके विपरीत वहां पर कार्य होता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। इससे किसानों को लाभ होगा और उन्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आयेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय माल मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, वह उस निश्चय की पूर्ति की ओर एक कदम है जो निश्चय इस आम चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार ने किया था। हम लोगों को खेद है कि इस कार्य में इतनी देरी हुई। यह बात निःसन्देह सत्य है कि पिछली रबी की मालगुजारी के सम्बन्ध में यह अधिभार वसूल हुआ है। इसलिये माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन रखा है, वह इस बिल की मंशा को पूरा करता है। इसमें निश्चित तिथि का रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संशोधन को स्वीकार करने से सरकार की मंशा पूरी होती है। आशा है कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह जो संशोधन पेश किया गया है, वह राज्य सरकार की जो वसूल करने वाली मशीनरी है, उसकी लापरवाही के कारण जो भयंकर परिणाम निकलते हैं, उससे बचने के लिये है। मैंने देखा है कि कई इलाकों में जहां सूखा पड़ा है, बाढ़ आयी है, या अन्य तरीके से फसलें नष्ट हो गयी हैं, वहां राज्य सरकार ने वसूलयाबी न करने की घोषणा की है, मगर इस घोषणा के बाद भी कलेक्शन अमीनों ने वसूली की है क्योंकि उनकी नौकरी इसी बात पर सुरक्षित रहती है कि उन्होंने कितनी वसूली की। राज्य सरकार की मंशा के विपरीत भी वसूली जारी रहती है। मैं चाहूंगा कि जब माननीय राजस्व मंत्री अपने विचार व्यक्त करेंगे तो यह घोषणा करेंगे कि जब कभी भी कोई छूट दी जायगी, या वसूलयाबी मुल्तवी की जायेगी तो यदि कोई कर्मचारी उस छूट दी गयी रकम को वसूल करेगा तो उसे एक भयंकर अपराध माना जायेगा। सरकार की ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

से केवल यही छूट नहीं, २ रुपये वाली छूट और सवा छः एकड़ वाली लगान-माफी की बात कही जाती है। यह भावना की बात है। वस्तु स्थिति यह है कि किसानों से लगान की पूरी की पूरी रकम वसूली जा रही है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह इस संशोधन को स्वीकार करने का तो है ही, साथ ही सदन को आश्वासन दें कि भविष्य में सरकार इस प्रकार की वसूली करने वाले कर्मचारियों को कठोर दण्ड से दंडित करेगी। यह संशोधन सरकार की मंशा को पूरा करने वाला है जिसे मैं मासूम संशोधन मानता हूं। मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

*श्री राजाराम पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह संशोधन मासूम ही नहीं, बड़ा ही प्रभावकारी है, सरकार को मदद पहुंचाने वाला और किसानों को राहत पहुंचाने वाला है। किसानों को मदद पहुंचाने की दृष्टि से अधिभार छोड़ा गया है। सन् ६७ में जो देय होता है उसे न वसूला जाय। मैं इसकी भूमिका सदन के सामने रखना चाहता हूं। देवरिया जिले में पिछले साल सूखा था और इस वर्ष भी है। देवरिया में ११ लाख एकड़ जमीन में से केवल ९०,००० एकड़ पर सरकार की ओर से सिंचाई की व्यवस्था है। इस वर्ष वहां केवल ५।। लाख एकड़ में खरीफ की फसल थी और वह सब बरबाद हो गई। इस समय उनको राहत की बहुत आवश्यकता है। जो उनसे उस अवधि में वसूल कर लिया है उसे वापिस करना, देखने में तो सरकार के लिये बड़ी छोटी रकम है, लेकिन किसानों के लिये बहुत बड़ी राहत होगी। कई ऐसे जिले हैं जहां के किसान सूखे से तबाह हैं, जैसे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया। ये तमाम जिले भयंकर सूखे से प्रभावित हैं। आज कल लेवी की व्यवस्था की जा रही है। उससे कोई जिला बचा नहीं है। हमारे यहां खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। इस संशोधन से विधेयक की मंशा पूरी होगी। इसके बिना यह विधेयक अपूर्ण रह जायगा। इसलिये इस संशोधन को इसमें जोड़ देना अत्यन्त आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि जनता के हित में वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, साधारणतया मैं इस वक्त न बोलता, मगर मुझे लगा कि एक बात सरकार के नोटिस में लानी चाहिये। ऐसा न हो कि सरकार पर यह लांछन लगे कि उसने किसानों के हित की रक्षा नहीं की है और उनके मुकाबले में शहर के लोगों को ज्यादा रियायत दी है। यह एनाउन्समट किया था पिछली सरकार ने मार्च के महीने में। उसके बाद दो एनाउन्समेंट इस सरकार ने किये। एक तो भूमि-भवन कर का जो जुलाई में किया और कहा यह कि यह अप्रैल से लागू होगा। दूसरा लगान की माफी का है जो अभी हवा में लटक रहा है, पता नहीं कि क्या होगा। इन बातों को सामने रखने से ऐसा लगता है कि जहां किसानों का प्रश्न आता है सरकार वहां टाल-मटोल या ढीलढाल करती है। इस प्वाइन्ट को मोट करने के लिये सरकार यह मान ले कि सरचार्ज पहली जनवरी से माफ होगा। आम तौर से यह बात नहीं होती है कि जिस दिन एनाउंसमेंट किया, उसी दिन से लागू हो। ऐसा नहीं है कि १५ मार्च को एलान किया तो १५ मार्च से ही माफ होना चाहिये। लगान तो सारी फसल का होता है। लगान तारीख से नहीं होता है। इसलिये यह उचित होगा कि सरकार को इस मामले में भी कम से कम उतनी उदारता तो बरतनी ही चाहिये जितनी कि भूमि-भवन कर के मामले में बरती थी। जुलाई में बिल भी नहीं लाये, मगर अप्रैल से माफ हुआ। जितना पिछली सरकार ने माफ किया था वहीं से कर दें तो बेजा न होगा। अगर पहली जनवरी से करते हैं तो इसका श्रेय इस सरकार को मिलेगा। सर चार्ज इतनी बड़ी रकम नहीं है, केवल भावना की बात है। सरकार को उस भावना को उभारना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यही चन्द बातें आदरणीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता था। आशा है कि वे इन पर वे विचार करने की कृपा करेंगे और इस संशोधन को मान लेंगे।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक चार आना रकम वसूल करने की बात है वह कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन सरकार ने जो वायदे जनता से किये हैं वे महत्व रखते हैं और क्राइसेस आफ कान्फीडेंस जो इस सरकार की गलतियों से जनता में पैदा हो गया है, उस कान्फीडेंस को रिगेन करने के लिये सरकार को तुरन्त यह संशोधन मान लेना चाहिये। सरकारें जिन्दा रहती हैं। अगर उनको मौत के घाट पहुंचना है तो वे अपने वायदे तोड़ कर ऐसा कर सकते हैं। इलेक्शन मैन्डेट कुछ मानी रखता है। उसके प्रतिकूल अगर आपका आचरण होता है तो किसी भी दल को सरकार की हैसियत से बैठने का अधिकार नहीं रह जाता है। यद्यपि आपका जो बिल है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन आपको अपने वायदे को पूरा करना चाहिये। सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से पहाड़ों में यह चार आना रिएलाइज हुआ है, प्लेन्स की तो मैं जानता नहीं हूं। जनता से माफी के बावजूद भी वसूली ली जा रही है। इससे जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होता है। जब मार्च में आपने वायदा किया तो मार्च के बाद कोई वसूली नहीं होनी चाहिये। १ जनवरी से कोई वसूली नहीं होनी चाहिये। संशोधन का और आपके बिल का एक ही मकसद है, कोई दो माने नहीं हैं। अगर किसी को पक्षपाती दिमाग से कोई फर्क मालूम पड़ता है तो यह उसके दिमाग की खराबी है। सोचने और समझने की कमी है। इसलिये सरकार ने जो किसानों से वायदा किया। उसकी पूर्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बिल का और इस संशोधन का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लाजिक को समझ कर, सेंस को समझ कर इस संशोधन से एग्री कर जायेंगे क्योंकि डिसएग्री करने की कोई बात ही इसमें नहीं है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इधर के बैठने वालों की बात सुनते-सुनते मन में आया कि उन्होंने २० वर्षों तक हवा और पानी पे हुकूमत की, और किसानों का कतई खयाल ही न किया, लेकिन आज ८–९ महीने में ही उनको किसानों की याद आ रही है। यह ठीक है कि संविद सरकार ने लगान के सम्बन्ध में जो घोषणा की थी उसे तुरन्त लागू करना चाहिये, उसकी वसूलयाबी नहीं होनी चाहिये। परन्तु बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि उधर के बैठने वाले साथियों और खास कर माननीय कमलापति त्रिपाठी, और गुप्ता जी, जिन्होंने किसानों को पिछले २० सालों में बराबर लूटा और लूटते-लूटते ऐसी बुरी हालत कर दी कि सारे प्रदेशों और देशों के दूसरे किसानों से हमारे प्रदेश के किसानों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गयी। लेकिन अब इधर बैठकर जब किसान व मजदूरों ने कुर्सी छीन ली उनको थोड़े से ही दिनों में यह याद आ रही है कि वे लोग काफी गरीब हैं। इसलिये कभी वे किसानों की गरीबी, कभी मजदूरों की गरीबी और कभी छोटे कर्मचारियों की बातें करते हैं। पिछले २० सालों में इन्होंने जो पाप किये हैं उतने पाप कोई और सरकार कर ही नहीं सकती।

श्री अधिष्ठाता—

आप बिल का विरोध कर रहे हैं या उसका समर्थन ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंजूर अहमद]

मैं संशोधन का विरोध कर रहा हूं। सरकार से मांग कर रहा हूं कि जनता से किये गये वायदों को तुरन्त पूरा करने की कोशिश करें। मैं विरोध इसलिये कर रहा हूं चूंकि उनके संशोधन में सच्चाई नहीं है, उनका किसान से कोई लगाव नहीं है, उनका गरीबों से कोई वास्ता नहीं है, यह तो हमेशा उनका शोषण करते रहे हैं। वह गरीबों और किसानों के दुश्मन रहे हैं। अब किसान, मजदूरों को थोड़ा सा आराम मिला है इन ८–९ मास में और अब सूबे के किसान यह सोचने लगे हैं कि जैसे अपना राज्य हुआ है। पहले किसानों की फसल जब आती थी तो तुरन्त मन्दा हो जाता था सारा अनाज इनके साथी व्यापारियों के हाथों में पहुंच जाता था और इस प्रकार अनाज गांव से निकल जाता था क्योंकि गरीब खेतिहर मजदूर भी उसे नहीं खरीद पाते थे और वह सब इनके परिवार वालों और व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाता था और जब मौका आता था तो वह उसे महंगा बिकवाने का काम करते थे।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया संशोधन पर बोलें।

श्री मंजूर अहमद—

कांग्रेस ने तो बराबर किसानों की आबपाशी का रेट बढ़ाया उनका लगान बढ़ाया और जो जुल्म किसानों के साथ हो सकते थे वह उन्होंने किये जो कि कोई सरकार नहीं कर सकती। इसलिये जो संशोधन आया है उसका मैं विरोध करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह किसानों, और मजदूरों से अपने किये गये वादे को पूरा करें।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, २० साल के कांग्रेस के शोषण की बात ऐसी ही है जसे किसी को सरसाम हो जाता है और माननीय सदस्य उसी पर बोलना आरम्भ कर देते हैं। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले और कांग्रेस वालों के आतंक का भूत इनके सिर पर सवार है, वह बोलता है। वे कांग्रेस का नाम सुनकर अब भी बिलबिला जाते हैं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करते हुये कहता हूं कि जिनको मानवता और इन्सानियत के नाते किसानों से प्रेम है वह अब नाटक करने के एवं, प्लेटफार्म पर भाषणों के बजाय, किसानों के हित के वास्तविक कार्य करें और इसको १ जनवरी से लागू करें और अधिकारियों पर नजर रखें, कुर्क अमीनों पर नजर रखें कि यहां से जो घोषणायें होती हैं उनका वह लोग समुचित रूप से पालन करते है या नहीं। यहां प्रदेश की जनता वैसे ही लुटी और परेशान है, कहीं भुख मरी है कहीं बाढ़ है, कहीं अन्य दैवी विपत्तियां हैं और इतने पर भी किसानों से जो वादे किये जाते हैं वे पूरे नहीं किये जाते बल्कि होता यह है कि वादे होते हैं, घोषणायें होती हैं, लेकिन मौके पर उसके विपरीत कार्य होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो कुछ भी आपकी नीति हो उसका ठीक से नीचे भी पालन करायें। यदि इसे अप्रैल से करना था तो जुलाई के सेशन में भी आप यही कर सकते थे। जो अब करने जा रहे हैं। जुलाई में आपने क्यों नहीं किया? इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने जो किसानों को ४ आना की छूट दी थी उसका भी इन्होंने समुचित रूप से पालन नहीं कराया बल्कि वह पैसा भी जबरदस्ती वसूल किया गया और उसकी वसूली में न मालूम कितने जुल्म गरीब किसानों पर हुये, जिनकी कि आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत गिरी हुई है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करें और इसे १ जनवरी से लागू करें जिसको कि वह मार्च के बाद लागू करना चाहते हैं।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके विरोध करने का एक विशेष कारण यह है कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और शासन की बागडोर हमारे देश के नेताओं के हाथों में आयी तब से बजाय मजदूरों और किसानों की सहायता करने के मिल ओनर्स की ज्यादा सहायता की। इसलिए कांग्रेस के जमाने में सरमायेदारी का अधिक विस्तार हुआ। मेरी राय में यह कहना कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया यह तो मुनासिब नहीं है। किया उन्होंने अवश्य है लेकिन जितना उन्हें करना चाहिए था वह बहुत कम किया है। पहले माननीय गेंदा सिंह जी भी चिल्लाया करते थे कि जमीन मजदूरों को और भूमिहीनों को बांट दी जाय, लेकिन जब वे मंत्रिमण्डल में आये तब उन्होंने इस ओर कोई भी प्रयास नहीं किया। आज वे मालगुजारी माफ कराने की बात करते हैं। हमारे माननीय गेंदा सिंह जी तो हमेशा गन्ने के रेट्स के बारे में चिल्लाते रहे हैं। न उन्हें कभी मजदूरों की परवाह रही है और न कभी भूमिहीनों की परवाह रही है। उनके कृषि मंत्रित्व काल में भी वे भूमिहीनों या गरीब मजदूरों को कोई जमीन नहीं दिलवा सके हैं। आज सवा छः एकड़ तक की आधी मालगुजारी माफ कर दी है, लेकिन मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि कौन किसान आज प्रदेश में मालगुजारी माफ करवाना चाहता है। किसान तो आज पानी, खाद और बीज चाहता है, आप उसकी मालगुजारी चाहे तीन गुनी या चार गुनी कर दीजिए। कांग्रेस सरकार के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने मुजफ्फरनगर में एक प्रस्ताव पास किया और उसके जरिए उन्होंने मालगुजारी माफ करने की बात कही। इस सरकार ने भी ऐसा ही किया। यह सरकार मजदूरों और किसानों के अहित में उल्टा करने जा रही है। मालगुजारी माफ करके उनकी जमीन छीनने का इरादा हो गया है।

माननीय गेंदासिंह जी भी उस तबके के हैं जिन्होंने हमेशा ही किसानों का शोषण किया है। ये जमीन तो क्या देते उन्होंने मालगुजारी कम करने की प्रेरणा दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार ने कभी किसानों को पानी, खाद और बीज देने की व्यवस्था की है? क्या कभी मजदूरों और गरीब किसानों को भी जमीन दी है? आप हर प्रकार के कभी एक इंच टैक्सेशन को खत्म कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्रदेश का काम चलेगा? हमारे कांग्रेस की सरकार ने कभी भी गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं नहीं समझता कि अब वे क्या करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग इस संशोधन को वापस ले लें और यह सरकार इस बिल को वापस लेकर किसानों के लिए पानी, खाद और अच्छे बीज की व्यवस्था करे। चम्बल की घाटी में जो ९०० एकड़ भूमि पड़ी हुयी है, उस पर बुल डोजर चलवा कर और उसे ठीक करा कर गरीब किसानों को दे। यही नहीं जो बंजर भूमि पड़ी हुयी है उसको खेती के लिए ठीक कराकर उन गरीब किसानों को बांटे जिनके पास कोई भूमि नहीं है और मालगुजारी खत्म न की जाय। इस संशोधन को वापस लिया जाय और जहां तक माननीय गेंदा सिंह की बात है, उन्होंने शुरू से गन्ने का कार्य ही किया है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री चन्द्र सिंह रावत—

प्वाइंट आफ आर्डर, क्या सरकार की डिक्लेयर्ड पोलिसी के खिलाफ कोई उस पक्ष का सदस्य बोल सकता है?

(कोई व्यवस्था नहीं दी गई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के ऊपर और आप का जो संशोधन आया है, उसके ऊपर अनावश्यक विवाद हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय फूलसिंह ने भी उस पर बोलना आवश्यक समझा। मान्यवर, जो यहां पर घोषणा हुई थी और जो यह विधेयक है उन दोनों में किसी जगह रत्ती भर का अन्तर नहीं है। वह एक ही हैं। माननीय गेंदासिंह जी जानते होंगे कि कृषि का जो साल होता है वह जुलाई से जून तक चलता है। इसको अगर आप ध्यान में रखें तो यह विधेयक १ मिनट में समझ में आ जायेगा। माननीय गेंदा सिंह ने जो कुछ कहा वह सही है, उनके संशोधन को तो मैं नहीं मानता, और इसी लिये कहता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। हम कानून बनाते हैं तो कानून में उसके जो नतीजे निकलते हैं वह नहीं लिखे जाते हैं। यह जो माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे हैं वह कानून का नतीजा निकलने वाला है और उसमें से हर एक बात मानी जायगी और अगर वह जरूरत समझेंगे तो उनको आश्वस्त करने के लिये प्रशासकीय इस तरह से खास तौर से नियम बना दिये जायेंगे कि जो वह चाहते हैं वह हो। लेकिन मान्यवर, उनका स्थान तो विधेयक में नहीं होगा। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके बाद में रबी की फसल जो है आज कल की उसके देय से सरचार्ज कभी वसूल नहीं किया जायगा और अगर कर लिया गया तो वह निश्चयपूर्वक वापस होगा। उस को वापस करने का तरीका होता है। सब लोग काश्तकार हैं, उनके आगे भी देय होते हैं उनमें मुजरा किया जाता है। और अगर माननीय गेंदा सिंह जी चाहेंगे तो मैं उस किस्म के निर्देश खास तौर से भेज दूंगा कि यह वसूल नहीं किये जायेंगे। तो आप अपना संशोधन वापस ले लें, इसका कोई अर्थ नहीं, बिला वजह का विवाद हो रहा है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, यों तो मेरा कोई खास विचार इस विवाद में हिस्सा लेने का नहीं था। मगर माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह जो विधेयक उन्होंने पेश किया है, इसके सम्बन्ध में जो विवाद हुआ उस का इससे कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं है। मान्यवर, अक्ल से उनकी बात सही है। लेकिन जहां तक सवाल विधेयक का है, उस पर हममें से किसी को विरोध हीं है और इसलिये भी नहीं है कि जो काम हमने किया था, केवल उसको कानूनी जामा मंत्री जी ने पहनाया है। मान्यवर, लेकिन जो बातें कहीं गयी उनका सम्बन्ध इसलिये आवश्यक हो गया है कि यहां दो बातें कही गयी हैं, कुछ लोगों ने तो यह कहा कि सवा ६ एकड़ की मालगुजारी माफ क्यों नहीं की और माननीय मंजूर अहमद साहब ने जाने क्या कह दिया, मान्यवर, इसी प्वाइन्ट को लेकर एस० एस० पी० ने क्या-क्या किया, मैं क्या बताऊं? माननीय प्रभु नारायण सिंह जी नहीं हैं, वह पीछे-पीछे घूमते थे और वह आगे आगे घूमते थे। इसी हाउस में घोषणा की गयी थी कि हम इसको माफ करेंगे, बजट के जमाने में। और यही नहीं माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था एस० एस० पी० को और यह कहा था कि अगस्त के महीने में सवा ६ एकड़ की माफी का बिल तैयार कर देंगे। अगस्त बीत गयी और आज दिसम्बर चल रहा है। तो आज उसकी अगर याद दिलायी जाय और उसके वास्ते राजस्व मंत्री कहें कि यह संगत नहीं है, मैं इसको नहीं मानता।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

जब भी विधेयक पेश करते हैं तो यह सदन को अधिकार है कि आप को अपने वायदों की याद दिलायी जाय। आप सदन में और सदन के बाहर झूठे वायदे करने के आदी हो गये हैं। माननीय मंजूर अहमद जो बोल रहे थे आगरे में उन्होंने स्पीच दी, एस०एस०पी० की कान्फ्रेन्स में उन्होंने कहा, बल्कि धमकी दी कि मैं मुख्य मंत्री का घेराव करूंगा और एक शब्द और इस्तेमाल किया जिस को मैं नहीं कहना चाहता हूं। अखबारों में लिखा हुआ है कि "मैं उन के चेहरे को भी क्या करूंगा" और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने वायदे को तोड़ा है। माननीय उग्रसेन जी

ने क्या कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप के सवा ६ एकड़ के मामले को लेकर इन्हीं की पार्टी के लोगों ने उस भाषा का इस्तेमाल किया है माननीय मुख्य मंत्री की शान में जिसको आप कल्चर्ड समझते हैं या अनकल्चर्ड समझते हैं मैं नहीं जानता । तो आज इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा हो गया, गवर्नमेन्ट में क्राइसिस हो गयी, उस पर समझौता हुआ जिस में राजस्व मंत्री शामिल थे जिस को कहा गया जन कांग्रेस की तरफ से कि यह बिल्कुल पोलिटिकल सरेन्डर हुआ, गवर्नमेन्ट की प्रेस्टीज गिर गयी । यही नहीं, माननीय पीताम्बर दास ने कहा कि सरकार तो बच गयी लेकिन सरकार का चेहरा बिल्कुल काला हो गया ।

यहां बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि ८ महीने में किसानों का बड़ा फायदा किया गया । माननीय फूल सिंह जी ने कल भाषण दिया था, उन्होंने बताया कि आबपाशी की दरों में किस कदर आप ने बढ़ोत्तरी की है । माननीय भानु प्रताप सिंह, जो स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि टू पार्ट टेरिफ सब से बड़ा फ्राड है । तो मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरह से किसानों की जड़ों को आप ने कमजोर किया है । इस विधेयक से मेरा विरोध नहीं है । मगर हमको यह अधिकार है, जिस पर आपत्ति है, मंत्री जी को, कि आप को याद दिलायें कि आप झूठे वायदे करते ह । या तो आप वायदे मत कीजिये और अगर करते हैं तो उन को निभायें ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से कुछ अपने विचार इस समय रखना चाहता था । जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है इस के बारे में मैं उन्हें बताऊं कि इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । आज से २० वर्ष पहले हमारे यहां कुछ गोरे अंग्रेज यहां राज्य किया करते थे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसे कानून, बहुत ऐसे नियम जो जनतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल थे, खिलाफ थे और जनभावनाओं का तनिक भी उन में समावेश नहीं था, बनाये और जैसे तैसे सारे महापुरुषों के परिश्रम से जब उन अंग्रेजों को निकाला तो कुछ होशियारी और चालाकी कर के जो एक बहुत बड़ा वर्ग चालाक था, वह शासन पर हावी हो गया और उन्होंने उस पोशाक को जो साधारण जनता की थी उस को धारण कर के, सफेद टोपी लगा कर के शासन पर कब्जा किया और अपने राक्षसी बहुमत के आधार पर वक्तन-फवक्तन ऐसे-ऐसे कानून बनाये, उनमें से मैं ज्यादा गणना नहीं कराना चाहता,सैकड़ों ऐसे कानून उस शासन ने जो विरोधी पक्ष में बैठा है, बनाये जो जन भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं करते ।

अभी अभी गन्ने की बात चल रही थी। तो इसी शासन काल में एक एरिया मुकर्रर कर दिया गया कि जिस से किसान मजबूर हो गया अपना गन्ना देने के लिये उन मिल मालिकों को जो उस एरिया में पड़ते हैं । कतई भी छूट नहीं थी । अगर गन्ना खेत में रह जाता है तो मिल मालिक उसे ले लें । यही नहीं बहुत से ऐसे कानून हैं, उस में से एक यह भी था । आज जो किसान के हमदर्द बनते हैं, उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे एक खेत को किसान ने पानी दिया और तमाम तहसील और जिले भर की आबपाशी लिख दी जाय । मैं ज्यादा इसकी विवेचना म नहीं जाना चाहता हूं, माननीय गेंदासिंह ने जो यह संशोधन रखा है वह तो यही है कि "फूस में आग लगाय जमालो अलग खड़ी" । मैं बिल्कुल देहात का रहने वाला हूं । तो उन्होंने आग तो खूब लगायी और यह विधेयक स्वयं उनकी ओर से लाया गया और दो दफा लाया गया और किसानों से चवन्नी के रूप में अधिभार वसूल किया गया और जब इस सरकार के परिश्रम से और हमारे ईमानदार नेता, जैसे कि माननीय चरणसिंह जी हैं, उनके कहने से वह चवन्नी का अधिभार जो इन्होंने लगाया था उससे छूट दे दी गयी तो गेंदासिंह जी ने यह संशोधन प्रस्तुत कर दिया ।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त कर देना चाहता हूं क्योंकि यह किसान का प्रश्न है, चौधरी साहब की ख्याति का प्रश्न है । मैं किसान क्षेत्र से चुन कर आया हूं और पूरे प्रदेश के किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूं । माननीय गेंदासिंह ने कल मेरी तारीफ कर के मुझे बड़ी गालियां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चेतराम गंगवार]

सुनाई इस सदन में, तो मैं माननीय चौधरी साहब से यह आग्रह करूंगा कि वे एक बड़ा बिल किसान और मजदूर की भलाई के लिये लायें । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री गेंदासिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधीवादी और सत्यनिष्ठ श्री चरण सिंह के प्रनुरोध पर यह अधिभार के निरसन का प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से आया । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि माननीय चरण सिंह जी उस समय मंत्रिपरिषद् के सदस्य भी नहीं थे । माननीय टम्बेश्वर जी परेशान हो रहे हैं । ऐसे लगता है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गयी है, लेकिन उनको मालूम है कि उस वक्त तो उनका प्रेम प्रलाप चल रहा था । इसके निरसन करने का निर्णय तो इस मंत्रिपरिषद् ने किया था, जिसके सदस्य चरण सिंह जी नहीं थे । जिस वक्त अधिभार लगाया गया था उस वक्त चरण सिंह जी मंत्रिपरिषद् के सदस्य थे । वे तो यह चाहते थे कि ५० प्रतिशत किया जाय क्योंकि रक्षा के लिये इसकी आवश्यकता है । और उसी विधेयक के अन्दर जो यहां पर उस समय के राजस्व मंत्री श्री हुकुमसिंह ने पेश किया था, उसी के उद्देश्य और कारण के अन्दर यह था कि जब तक इस प्रदेश के अन्दर इमरजेन्सी की स्थिति रहेगी, तब तक यह कानून रहेगा और जैसे ही वह इमरजेन्सी पाकिस्तान की लड़ाई के बाद समाप्त हुई तो पहले अवसर पर गवर्नर के भाषण पर जिस समय नीति का स्पष्टीकरण यहां किया गया वह अधिभार समाप्त कर दिया गया । तो यह तो सीधा सवाल है कि जब उस मंत्रिपरिषद् न इसको दूर किया और पी० एस० पी० और एस० एस० पी० के लोग जो अपने को प्रगतिशील समझते हैं, उन सब की तो मांग यह थी कि लगान ५० प्रतिशत किया जाय, बल्कि आपके १९ सूत्रीय प्रोग्राम में तो यह था कि इस प्रदेश का लगान ही समाप्त कर दिया जाय ।

अब तो सीमित प्रश्न यह है कि यदि यह वसूल किया गया है तो उसको वापस कर दिया जाय । मैं यह समझता हूं कि यदि चरणसिंह जी लिये गांधीवादी शब्द का प्रयोग न किया जाय तो उनका ज्यादा सम्मान होगा यदि यह कहा जाय कि सत्तावादी चरण सिंह, क्योंकि वह गांधीवादी नहीं सत्तावादी हैं । इसलिये मैं कहूंगा कि कम से कम शब्दों का दुरुपयोग न किया जाय, शब्दों का ठीक अर्थ किया जाय वरना आप समझें कि शब्दकोश का इतिहास है कि अच्छे से अच्छे शब्दों का गलत अर्थ किया जाने लगा है । जैसे शब्द "महात्मा" है, उसके लिये गुरुघंटाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है । इसी प्रकार से माननीय चरणसिंह को गांधीवादी कहा जाय तो फिर गांधी जी का विरोधी कौन होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । गांधी जी का साधन था पवित्रता और माननीय चरण सिंह जी जो इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में जिस तरह से सत्य की स्थापना करना चाहते ह, उसके लिये उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया है उसके गांधी जी विरोधी थे, वे साधन की पवित्रता पर जोर देते थे । वे हमें इसलिये छोड़ कर गये कि उनका कहना था कि हम लोग पतित हैं । उनका आदर्श पवित्रता का था । कम से कम जब आप भारतीय क्रान्तिदल क नाम पर गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने के लिये उधर गये तो एक नये आदर्श की बात करने और नये आदर्श की बात करके इस सदन से इस्तीफा दे देते । यह कोई दलील नहीं है कि आपने नहीं किया । वे हम लोगों को छोड़ कर इसलिये गये कि गांधीजी जिस समाजवाद की बात कहते थे उसकी पुर:स्थापना होगी तो बजाय इसके कि वे गांधी जी के विचाराधारा को पुनर्जीवित करते, मैं कहूंगा कि गांधी जी के नाम पर गांधी जी की मान्यताओं को दफन कर दिया, और इससे बढ़ कर और कोई हिपोक्रेसी हो नहीं सकती । हमारी तरफ से ही यह आया कि इसका निरसन किया जाय और हमारे पक्ष से ही एक संशोधन है जिसे उदारता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के साथ और प्रेस के साथ स्वीकार किया जाय । मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि इसका क्रेडिट आप ही लें, हमें न द ।

माननीय उदित नारायण जी सही में बड़े पुराने समाजवादी थे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी में रहते रहते कोई चेंज नहीं करा सके तो कांग्रेस में आय । सत्य की खोज के अन्दर एक कदम उनके लिये काफी होता है, लेकिन जब वे दूसरी तरफ चलते हैं तो कम से कम ऐसा होना चाहिये जैसा कि गांधी जी कहा करते थे कि गलती को मानना ऐसी चीज है, जैसे झाड़ू से नाली की गन्दगी एकदम साफ हो जाती है । जब आपने भूल की है तो भूल को मानिये । पहले समाजवादी बने, फिर समाजवादी पार्टी के लीडर बन गये और फिर बाद में कांग्रेस की शरण में आय.। तीन मर्तबा वे समाजवाद के नाम पर जनता के सामने गये, लेकिन वहां जब उनके समाजवाद की बिक्री नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो अब कांग्रेस में समाजवाद की बिक्री करो ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रताप सिंह)—

आपका सुझाव क्या है ?

श्री बनारसी दास—

हमारे नौजवान दोस्त माननीय प्रताप सिंह मजबूरी की हालत में उधर बैठे हुये हैं । तर्क उनको जरूर अपील करती है और वे समझदार आदमी भी हैं । तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब समाजवाद नहीं मिल पाया हमीरपुर की जाहिल जनता में तो. . . .

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । माननीय बनारसीदासजी जब बोल रहे हैं तब से बराबर एक्जाम्पिल पर एक्जाम्पिल देते जा रहे हैं । न तो उन्होंने संशोधन के पक्ष में कोई बात कही और न विरोध में कोई बात कही, वे केवल गांधी जी और चरण सिंह जी की बात ही इतनी देर तक करते रहे । तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या कोई माननीय सदस्य इस तरह से बिना विषय पर आये सदन में इतनी देर तक भाषण कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई नयी बात नहीं है कि जिस विषय पर बोलना हो उसी पर बोला जाय । इसमें कोई नयी व्यवस्था की बात नहीं है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि विषय को ध्यान में रखते हुये ही अपना वक्तव्य दें ।

श्री बनारसी दास—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । लेकिन मजबूरी यह है कि जब कुछ लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो उनके रास्ते पर लाने के लिये विषय से हट कर भी कुछ कहना आवश्यक होता है । मुझे कहने की जरूरत न होती । उनके नाम के पहले यह गांधीवादी विशेषण का प्रयोग न होता । इसलिये मैंने अर्ज किया कि कम से कम गांधी जी का नाम न लिया जाय । यह संशोधन आपके अनुकूल है और आपको माननीय गेंदासिंह जी का कृतज्ञ होना चाहिये । आपको इसका श्रेय मिलेगा । श्रेय लेने का हमारा इरादा नहीं है । लेकिन हम यह कहते हैं कि काम ठीक होना चाहिये ।

हमारे माननीय दोस्त अक्सर २० साल की याद दिलाया करते हैं । आपको कृतज्ञ होना चाहिये कि कम से कम यह दल ऐसा है जिसने अपने सिद्धान्तों से, अपने अमल से, अपने विश्वास से जनतंत्र के अन्दर जीवित अवस्था का परिचय दिया है । श्रीमन्, इनकी पार्टी होती तो चुनाव तक नहीं हो सकता था । दुनिया की किसी पार्टी ने जिसने आजादी हासिल की अपने विरोधियों को मताधिकार नहीं दिया । लेकिन हमने अपने विरोधियों को भी मताधिकार दिया । इसलिये आपको हमारे दल के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये । हमने २० साल में आपको वह हथियार दिया, वह तलवार दी, जिससे यदि हम अन्याय करें तो उसका आप प्रतिकार तो कर सकते हैं ।

[श्री बनारसी दास]

(व्यवधान) मैं माननीय उग्रसेन जी को जानता हूं और उनसे मेरा खास इश्क है और जो मैं उनसे कहता हूं उसको वे एप्रीशियेट करते हैं । इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है । एस० एस० पी० के लोगों को क्यों आप झमेले में डालना चाहते हैं । उसका तो निरसन हो ही चुका है । अब तो सवाल यह है कि आपने जो वसूल किया है, उसको वापस कीजिये ।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । वास्तव में इस संशोधन के समर्थन में या विरोध में अपने विचार व्यक्त करने चाहिये । लेकिन हमारे पूर्व वक्ता सदस्य ने इस विषय में न कहकर सरकार और विशेष तौर से चौधरी साहब के संबंध में ही कहा । विशेषतया गांधीवादी शब्द की ही उन्होंने व्याख्या दी है और इस पर विशेष बल दिया है कि यदि चौधरी साहब गांधीवादी हैं तो गांधीवाद का विरोधी कौन कहा जा सकता है । वह सम्भवतः अपने आपको सब से बड़ा गांधीवादी समझते हैं और गांधीवादी के अनुसार आचरण करने वाला अपने को समझते हैं । इसीलिये वे ऐसी बात कह रहे थे । जिस तरह से वे गांधीवाद का नारा दूसरों के लिये लगाते हैं उसी तरह से अपने लिये और अपने दल के लिये लगाना चाहिये । उन्होंने कहा कि उनके दल ने हमको अवसर दिया, जिसकी वजह से आज हमें यह कुर्सियां मिली और आजादी मिली । लेकिन उन्हें अच्छी तरह से इस बात को समझना होगा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बल्कि समूचा देश कांग्रेस के रूप में खड़ा था और मैं यह कह सकता हूं कि आजादी के लिये बलिदान करने वाले उन्हींकी तरफ के लोग नहीं हैं (व्यवधान) बल्कि इधर के लोग भी हैं । इस तरह से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा । तथ्यपूर्ण बात कहनी चाहिये । मैं कहता हूं कि अगर खाली कांग्रेस को ही मान लिया जाय तो इन लोगों ने गांधी जी की हड्डियां बेचीं, उनके व्यक्तित्व को बेचा, उनके नाम को बेचा और उनकी राख को बेचा और २० साल में सारे का सारा खा गये । अब भी ये लोग गांधीवाद का ढिंढोरा पीटकर गांधी जी के नाम पर लांछन लगाते हैं । उनके सिद्धान्त कहां थे और इन लोगों ने कहां पहुंचा दिये ? खास तौर से एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे सदस्य कह रहे हैं, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश का कोना-कोना जानता है कि गांधीवादी कौन हैं । माननीय बनारसीदास बार-बार गांधीवाद की बात करते हैं । सारा उत्तर प्रदेश जानता है कि गांधीवादी कौन है । मैं व्यक्तित्व पर नहीं जाना चाहता । यह जो संशोधन रखा गया है इसमें किसान की हिमायत और हमदर्दी का ढिंढोरा पीटा गया है । जिस समय गेंदासिंह जी इस विभाग को संभाले हुये थे उस समय यह हमदर्दी कहां चली गयी थी ? आज किसानों का समर्थन करने वाले ये लोग उस समय कहां थे ? जब इसी इश्यू को लेकर जेल भर दी गयी थीं, इसी इश्यू को लेकर लाठी चार्ज हुआ था । अच्छा हो या बुरा हो, उसका विरोध हो यह समझ में में नहीं आता । विरोध पक्ष में बैठे हुये लोग अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिये प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने वाली बात करें तो बहुत उत्तम होगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन और संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं कृतज्ञ हूं । मैं माननीय गेंदासिंह के संशोधन का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने उधर बैठे हुये मित्रों के भाषण सुने, उन्होंने संशोधन का विरोध तो नहीं किया बल्कि दूसरी बातें कहकर जो संशोधन का समर्थन करना भी चाहते थे, उसकी भी आत्मा की हत्या कर दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे उस तरफ की बहस सुन कर एक दृष्टान्त याद आ गया। एक सरदार जी की शादी एक जाटनी से हो गयी। संयोग से सरदार जी जो कहते थे उनकी श्रीमती उसका उल्टा करती थीं। एक बार वह लोग घोड़े पर नदी पार कर रहे थे। नदी पार करने में साथ में तबला रखा हुआ था। सरदार जी ने कहा कि इस पर हाथ न रखना जो घोड़ा भड़क जाय। उनकी पत्नी ने कहा कि कितना अच्छा मौका है, नदी का बीच है इसमें तबला बजना ही चाहिये। तबला बजा घोड़ा भड़क गया और श्रीमती जी नदी में डूब गयीं। उसके बाद सरदार जी ढूंढ़ने लगे, नदी के बहाव की उल्टी तरफ तो किसी ने उनसे पूछा कि सरदार जी क्या ढूढ़ रहे हो उन्होंने कहा कि इसमें मेरी स्त्री डूब गई है, उसको ढूंढ़ रहा हूं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहां कहां ढूंढ़ रहे हो पानी के बहाव की तरफ जाकर ढूंढ़ो उस पर सरदार जी ने कहा कि बहाव की तरफ, सही रास्ते पर तो वह जायगी ही नहीं, मर कर भी नहीं जायगी, इसीलिये मैं इस तरफ खोज रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि जिस चीज का विरोध चिल्ला-चिल्ला कर अभी संसोपा वाले कर रहे थे, वही चीज जब हमारे द्वारा इस हाउस में आ गयी तो अब उसका विरोध करने से क्या फायदा। इनको तो चाहिये था कि जिस समय यह संशोधन आया था, उस समय वह माननीय गेंदासिंह जी के और इधर के मित्रों के कृतज्ञ होते, क्योंकि जिस चीज को वे अब तक कहते रहे वह इधर से ला दी गयी, केवल बहस के लिये कोई बात कहनी है तो वह दूसरी बात है। बहरहाल मैं इस संशोधन को किसानों के लिये बड़ा उपयोगी और मूल्यवान मानता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों के द्वारा यदि यह संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हो तो इस सदन की बहुत गरिमा बढ़ेगी।

*श्री जो० एस० चौधरी (जिला मेरठ)--

श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तीन चार दिनों से यहां कार्यवाही हो रही है, जिसमें हमारे माननीय सदस्य हिस्सा लेकर डिस्प्लिन तोड़ ताड़ कर हाउस में शोर शराबा करते हैं और पब्लिक की नजरों में हमारी इज्जत गिराते जा रहे हैं, मैं उसके लिये अपना बड़ा अफसोस जाहिर करता हूं।

"मै पी के जो गिरते हैं तो लेते हैं उसे थाम।
नजरों से जो गिरते हैं उन्हें कौन सभाले।"

श्रीमन्, इसलिये मैं हाउस से, नेता विरोधीदल और नेता सदन से अपील करूंगा कि वह अपनी अपनी पार्टीज के आदमियों को डिस्प्लिन में रखकर उन्हें जो हाउस की मर्यादा है उसके मुताबिक चलने का आदेश दें। इस हाउस में बैठकर हमें सीरियस मूड में बैठकर काम करना है, हम लोग तो यहां पिकनिक के मूड में आते हैं जो ठीक नहीं है। देश की सुरक्षा के लिये और उसकी उन्नति के लिये जो जनता ने हमें भेजा है तो हमें उसके मुताबिक काम करना चाहिये, लेकिन हम लोग चीप रेपूटेशन में बहक जाते हैं ताकि अखबारों में नाम आ जाये। इस वक्त देश को किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है। इस वक्त चाहिये कि देश को सस्ती खुराक मिले, महंगाई दूर हो और बेरोजगारी न बढ़े। किन्तु हमारे दोस्त इन बातों को भूलकर इधर-उधर की बातों में अपना वक्त जाया करते हैं और उसके धन की बर्बादी करते हैं। तो मेरी चेतावनी है इन नेता लोगों से कि अभी वक्त है वे सम्भल जावें नहीं तो कोई देशभक्त फौजी जवान उठकर इन कार्यों को बन्द करके अपना कार्य शुरू कर देगा और जम्हूरियत का खात्मा कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनों को समझें और देश तथा प्रदेश की भलाई में लगकर तन-मन-धन से अपना काम करें।

एक शेर और अर्ज कर दूं, इसमें--

हैं 'रियाकार, शरर और काले चोर भी।
लीडरी फरमा रहे हैं कैसे खूंखार आदमी।।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जी० एस० चौधरी]

तो श्रीमन्, अब मैं और ज्यादा निवेदन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ यह निवेदन करता हूं कि हाउस में हमें अपनी मर्यादा में रहकर वही काम करना चाहिए, जिसके लिए हमें जनता ने यहां चुनकर भेजा है—

"उठो बगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी।
दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया।"

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आज मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। इस समय जो सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत किया गया है माननीय गेंदासिंह जी द्वारा मैं उसका समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। अभी मैं देख और सुन रहा था माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए और उनके लिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि जो संविद के सदस्यगण हैं वे ऐसे विचार प्रस्तुत करेंगे जिनसे ऐसा आलोक मिलेगा जिससे समाज का हित होगा, किन्तु अनुभव करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे विचार उन्होंने व्यक्त किए जिससे समाज का और यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों का कोई विशेष हित नहीं हो सकता। आलोचना और प्रत्यालोचना का विषय तो आता है, परन्तु उससे एक दूसरे को जाज्वल्यमान प्रकाश प्राप्त हो सके तथा जिससे कुछ सोचने वाले सदस्य भी प्रकाश ले सकें। आखिर इस संशोधन में है क्या? माननीय राजस्व मन्त्री द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें यह भावना निहित है कि जनसाधारण का कल्याण हो और जो संशोधन माननीय गेंदासिंह जी ने रखा है उसमें भी यही भावना निहित है कि जनसाधारण का कल्याण हो। जहां तक श्रेय का प्रश्न है वह तो सरकार को ही प्राप्त होता है किन्तु सही बात को स्वीकार करने पर उन्हें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? कहा जाता है कि २० सालों में हमने क्या किया? २० साल एक ऐसा शब्द है जिसको संविद का कोई भी सदस्य खड़ा होगा तो जरूर उल्लेख करेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि जब बहुत थक जाते हैं और जब प्रचुर मात्रा में कोई सामग्री कहने के लिए नहीं रह जाती तो क्या कहें। वहीं बात तो कहेंगे जो उनके पास है। २० साल में क्या किया गया है वह सर्वविदित है। २० वर्ष पूर्व समाज की स्थिति क्या थी, समाज कहां था? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि जो स्वत्व थे वह किस स्थिति पर थे? आज कहां हैं? जरा इनका मूल्यांकन कीजिए और तब स्वतः निर्णय कीजिए। बेकार के तर्क और विवाद से लाभ क्या और यदि आपको ऐसा लगे कि इन २० वर्षों में कुछ किया गया है तब तो २० साल की बात कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हां, एक बात अवश्य है कि आपने आशा लगाई थी कि २० साल में यह सब हो जायगा और अमुक-अमुक सारे के सारे दोषों का परिहार हो जाना चाहिए था किन्तु २० साल में नहीं हो सका। ठीक है। कमियां हैं और उन को दूर करना है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जो शासक दल है और जो शासनारूढ़ व्यक्ति हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्या यह कोई गौरव है या कोई निश्चित धारणा है कि जो विचार उधर से व्यक्त किए गए हैं और जो उनके १९ सूत्री कार्यक्रम थे क्या उन्हें आपने पूरा कर दिया है और मैं उन बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा जिनके लिए उन्होंने कुछ तिथियां भी निश्चित की थीं परन्तु उन्हें वे पूरा नहीं कर सके। जब वे स्वयं ऐसी बातें पूरी नहीं कर सकते तो फिर दूसरों के लिए कहने का कोई विशेष अवसर नहीं रहता। हां, एक बात अवश्य है जो ९ महीने की बात कही जाती है, ठीक है २० साल और ९ महीने में अन्तर तो है, लेकिन इतना अन्तर तो नहीं है कि आप ९ महीने में कोई काम ही न कर सकें। कहने के लिए आप किसानों के बड़े हितैषी हैं और होना भी चाहिए किसानों और मजदूरों का हितैषी। लेकिन आपने उनके हित के क्या क्या कार्य सम्पादित किए हैं? यदि इसका अवलोकन किया जाय कि सिंचाई की, बिजली की पहले क्या स्थिति थी, किस प्रकार किसानों को मिलती थी, आज किस प्रकार मिलती है, सिंचाई की पहले क्या स्थिति थी अब क्या हो गयी? लेवी में आपने किसानों से गल्ला वसूल

किया ? किस भाव से किसानों से आपने लिया और आज वह बीज गोदामों से किसानों को किस भाव पर मिला ? जब किसान के स्टाक में था तब आपने उनसे किस भाव से लिया था ? जब किसान बीज गोदाम पर लेने के लिए जाता था तो उससे दूसरे भाव पर चार्ज किया जाता था। मगर हमारे उधर के भाई तो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते हैं। "आपन मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी"। शासन वही है और उसी तरह से कर रहे हैं लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंट पर बैठे हुए सवार को देखता है तो उसे मालूम होता है कि वह हिल रहा है लेकिन जब वह खुद बैठता है तब वह भी हिलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि :

मुकुर मलिन अरु नयन विहीना।
राम रूप देखें किमि दीना।

मैं आपके माध्यम से केवल वही बात कहना चाहता हूं जो परम आवश्यक है और उन विचारों तक ही मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे भाई गेंदासिंह जी ने जो संशोधन रखा है उस पर शासन की तरफ से और विशेष कर राजस्व मन्त्री जी की ओर से कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उसमें उन्होंने सब बातों को बतला दिया है जो इस विधेयक में होनी चाहिए। वह सारी बातें इस विधेयक के अन्दर नहीं हैं। ये बातें श्री गेंदासिंह जी के द्वारा रख दी गयी हैं और उनको मन्त्री जी को स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ जो संशोधन श्री गेंदासिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री भृगुनाथ (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मालगुजारी पर आपातिक अधिभार का जो विधेयक सदन में चल रहा है, दरअसल में इस पर संशोधन लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अगर आप देखें तो जहां तक इसमें लिखा हुआ है कि "जो १९६७ में या उसके बाद देय होती है, के सम्बन्ध में अधिभार की कोई धनराशि न तो उद्गृहीत की जायगी और न देय होगी। यदि ऐसी कोई रकम वसूल कर ली गई है तो उसे वापस कर दिया जायगा।" अब आप इस बात को देखें कि जब यह अधिभार लगाया गया और लगान पर चौथाई अधिभार बढ़ाया गया तो वह आपातकालीन था। जब यह सरकार आकर मार्च में बैठी तो उस समय इसको खत्म कर दिया गया। तो जहां तक साल का सवाल है वह जुलाई से लेकर ३० जून तक साल शुरू होता है। जो लगान की वसूली का सवाल है वह पहली अक्तूबर से ३० दिसम्बर तक होती है। जब कानून बनाया गया तो घोषणा हो गई। ३० मार्च तक आधा लगान वसूल हो चुका था। तो आदेश होने के बाद दो आना लगान वसूल हो गया। जिस समय आदेश होता है और घोषणा होती है, उसके बाद पहले से ही जो वसूली हो गई है या जो ले लिया गया है उसकी माफी देने की बात इसमें कही गई है। यही इस विधेयक में संशोधन वह कर रहे हैं। इस संशोधन के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है कि सिर्फ अक्तूबर से ही या पहली जुलाई तक जो कर भार होगा उसको पूरा माफ कर दिया जाय। यह कैसे हो सकता है। ? इस सम्बन्ध में मैं जो संशोधन इस विधेयक में पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस समय अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हमारे संविद सरकार के साथी आजकल इस बात को तो कम मात्रा में कहते हैं जो वह २० साल वाला नारा लगाया करते थे, लेकिन वह एक बात भूल जाते हैं; वास्तव में आप दूसरों से जब २० साल की बात पूछते हैं तो आप भी जवाब दीजिए कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणि]

९ महीने में आपने क्या किया। यह दिशा आपको जनता को देनी है ताकि लोग समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं वास्तव में आप से कहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के विषय में तो यह सरकार संविद सरकार नहीं बल्कि 'संवेदना सरकार' बन चुकी है। वहां १० रुपए की एक भेली, यानी ढाई किलो गुड़ मिल रहा है। जहां सीमाएं लगी हुई हैं वहां का यह हाल है।

एक माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि मैं एक मात्र पर्वतों का प्रतिनिधि हूं--माननीय प्रताप सिंह। लेकिन उनके कारनामे देखिए कि कल पूरक बजट में औषधालय कहां खोले गए? काठगोदाम में, ज्योलीकोट में। हम देखते हैं कि इस प्रकार भ्रष्टाचार, अत्याचार, भाई-भतीजा-वाद ९ महीने के अन्दर इस प्रान्त में पनपा है कि शायद कभी भी नहीं पनपा था। हमारे पहाड़ में जब किसी को भूत लगता है तो ७ नाज मिलाए जाते हैं और उसको रोगी पर फिराकर फेंक देते हैं। अगर इस प्रान्त के लोगों ने इस सतनजी खिचड़ी सरकार को फेंका नहीं है तो आप इस प्रदेश को पीछे ले गए हैं। प्लान को कितने पीछे ले गए हैं। जिलों में सड़कों की मंजूरी गयी है लेकिन कहीं काम होता दिखाई नहीं देता। इंजीनियर बिस्तरा बांधे बैठे हैं कि आज टरमिनेशन आर्डर आ जाय, कल आ जाय।

अब मैं विषय पर आता हूं। हमारा विषय जमींदारी उन्मूलन का है। इसमें क्या पक्षपात नहीं है? क्या पहाड़ की और मैदान की भूमि एक जैसी है कि दोनों जगहों के लिए सवा छः एकड़ की छूट रखी है। क्या बुन्देलखंड और मेरठ की छूट एक तरह की है। आप २ रुपए माफ करके किसान को खुश करना चाहते हैं। यह तो हमारे सारे प्रान्त के निवासियों के लिए शर्म की बात है। अगर कोई २ रुपए भी सरकार का टैक्स न दे पाए तो वह किस तरह से जीवित रहेगा, यह कभी आपने सोचा? किसान इन बातों से खुश होने वाला नहीं है। अगर आप उसको सड़क देते, शिक्षा देते, खाद देते, बीज देते तब तो वह खुश हो सकता है, लेकिन आपने खाली भ्रम में डालने के लिए दो रुपए की माफी की है। अब कितने समय तक उसको भरमा सकते हैं? सत्यता को छिपाया नहीं जा सकता। आप कहते हैं कि इधर वाले हल्ला करते हैं। क्यों न करें? हम सोचते हैं कि हमारे मन्त्रिगण सत्य बोलेंगे, लेकिन जब हर चीज को झूठ बोल कर सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या हल्ला न करें? क्या जनता ने इसीलिए भेजा है कि हम मन्त्रियों की झूठी बात सुनें? हम प्रमाण दे सकते हैं, इसी लिए हल्ला होता है।

इसलिए जो संशोधन गेंदासिंह जी ने रखा है, उसको आप स्वीकार करें। आप देखें कि पाकिस्तान और चीन के आक्रमण के समय किसान ने ही सुरक्षा कोष में रुपया दिया। अगर आप प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं तो किसान ही आपको देते हैं।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सदस्य यह कह सकता है कि मन्त्री जी झूठ बोलते हैं। अभी माननीय इन्द्रमणि जी ने जो कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय या वे वापस लें।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

किसी भी माननीय सदस्य या माननीय मन्त्री के लिए यह कहना कि वे झूठ बोल रहे हैं, ठीक नहीं है और यह सदन की शोभा को बढ़ाता नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य कृपया न करें, इससे सदन की शोभा घटती है और सद्भावना भी कम होती है।

श्री इन्द्रमणि—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उस शब्द को नहीं कहूंगा, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि जो कहा जाता है वह असत्य होता है। हमें आशा थी कि आप आकर सही काम करेंगे। अगर आप सही काम करेंगे तो सभी उसको अच्छा कहेंगे। मगर श्रीमन्, होता क्या है? हम मिनिस्टरों से मिलने के लिये अपने क्षेत्रों से आते हैं। यहां आकर देखते हैं कि मिनिस्टर हड़ताल पर हैं, दूसरी बार आते हैं तो पाते हैं कि वे जेल में हैं। अब बताइये किस से अपनी बात कहें। इसलिये मेरा इस संविद की सरकार से निवेदन है कि वह प्रान्त को आगे बढ़ाने के लिये काम करे और विशेषकर पहाड़ों की ओर ध्यान दे। वहां पर २५ फीसदी से ज्यादा लोग बेकार हैं। वहां की खाद्य समस्या भी गम्भीर है।

श्री प्रताप सिंह—

अभी श्रीमन्, काठगोदाम और ज्योलीकोट में अस्पताल खोलने का जिक्र किया गया, वहां पर पब्लिक ने लगभग ४३ हजार रुपया इकट्ठा करके दिया। अगर माननीय सदस्य अपने यहां से भी कुछ रुपया या जमीन आदि दिलवा दें तो हम वहां पर भी अस्पताल खुलवा सकते हैं।

श्री रमाशंकर अग्रवाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये तो समय निर्धारित है, वह अब खत्म होने जा ही रहा है।

एक सदस्य—

अभी झूठ शब्द पर आपत्ति की गयी, मैं कहता हूं कि यहां पर असत्य बोला जाता है, यहां कई बार यह कहा गया कि हम फलां-फलां सुविधायें दे रहे हैं, मगर वह सब गलत कहा गया। साहित्यकारों के लिये कहा गया कि हम सहायता दे रहे हैं, मगर एक साहित्यकार श्री जगमोहनसिंह मृत्यु शैया पर पड़े थे, उन्हें आज तक कोई सहायता नहीं दी गयी। यह असत्य नहीं तो और क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री गेंदा सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं क्योंकि शायद ही किसी माननीय सदस्य ने संशोधन का विरोध किया हो। एक आध लोगों ने ही उसका विरोध किया और इसलिये शायद कि उन्होंने ठीक से उस संशोधन को पढ़ा नहीं। माननीय माल मंत्री जी ने बड़ी कृपा कर के बीच में ही दखल दिया और उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। मैं माननीय चेतराम जी का आभारी हूं कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमारे संशोधन का समर्थन किया और सरकार से निवेदन किया कि इसको स्वीकार कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। माननीय माल मंत्री जी ने जो कुछ कहा, उससे ऐसा लगा कि जो यह संशोधन है उससे उन्हें कोई मतभेद नहीं है। वह केवल इतना चाहते हैं कि इस कानून में इन शब्दों का समावेश न किया जाय। लेकिन अगर सरकार की घोषणा से ही माफी हो गयी होती तो इस विधेयक के लाने की आवश्यकता ही न होती। मुझे भी थोड़ा भ्रम हुआ था कि जब गवर्नमेन्ट लगान लेना ही नहीं चाहती तो फिर विधेयक को लाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उन्होंने बताया कि इसको आना चाहिये। मैं माननीय मालमन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके आश्वासन का मूल्य ही क्या है जब तक वह कागज पर न आ जाय। सरकार स्वयं कोई व्यक्ति

[श्री गेंदासिंह]

नहीं है, वह तो भावना है। सरकार के कहने के अनुसार जब तक कोई अमल न हो जाय तब तक उसका मूल्य ही क्या है। इसलिये मंत्री जी का खाली कह देना कुछ अर्थ नहीं रखता। यह बात मैं उनको चिढ़ाने के लिये नहीं कहता, लेकिन १९ सूत्री कार्यक्रम जिसकी बुनियाद पर यह सरकार बनी, उस को तो इस सरकार ने स्वीकार ही किया था। अगर अब यह सरकार उस को न माने तो किस अदालत में जा कर हम दरख्वास्त दें।

इसलिये अगर इस निरसन विधेयक को ले आने की आवश्यकता है तो इस बात की भी आवश्यकता है कि इसको लिखित रूप दे दिया जाय। अगर इससे कोई भ्रम होता हो दूसरे स्पष्ट शब्दों में कोई संशोधन ले आया जाय और रबी से मालगुजारी माफ कर दी जाय। वैसे कहीं रबी की काश्त ज्यादा होती है और कहीं खरीफ की, लेकिन फिर भी अगर सरकार रबी से माफ करना चाहती है तो वैसा ही कर दे। इससे पूर्ण इंसाफ तो नहीं होता है, लेकिन अगर सरकार यही ठीक समझती है तो ऐसा ही कर दे। मैं समझता हूं सरकार इसको स्वीकार करेगी और स्वीकार कर के स्पष्ट किया जाय कि रबी की मालगुजारी जहां वसूल हुई है, उसको वापस कर दिया जायगा। इस बात की गुंजायश अगर इस कानून में कर दी जाती है तो हमारे देखने में जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, मुझे मालूम है कि अन्याय हुआ है अगर ऐसे लोगों से दुआन्नी वसूल हुई है जिनसे नहीं होनी चाहिये थी, जो भूख से पीड़ित थे, हर तरह से इन महीनों में जब किसान सब से ज्यादा तकलीफ में रहता है अषाढ़ और सावन में, २१ सितम्बर से पहले ऐसी रकम वसूल की गई। उन लोगों को मालूम था कि रबी की किस्त माफ हुई है, लेकिन जब चर्चा की गई तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास अभी तक माफी के कोई आदेश नहीं हैं। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस की सूचना उन्हें है कि इस तरह की रकम वसूल की गई है और अगर है तो इसके लिये क्या व्यवस्था वह इस कानून में कर रहे हैं? अन्त में मैं कहूंगा कि माल मंत्री जी की इच्छा तो अच्छी है, लेकिन वह किस अधिकार से यह करेंगे, किसी भी मंत्री को यह इजाजत नहीं है कि जो रकम वसूल की गई है उसको वापस किया जाय तो कौन-सा अधिकार किस मंत्री को है कि सरकारी खजाने की रकम वापस कर दी जाय। जो रकम सरकारी खजाने में आ जाती है उसको वापस करने में मामूली कठिनाई नहीं होती। इसलिये मैं समझता हूं कि कि आज इस बिल को जब सरकार लाती है तो उसके जो नतीजे हुये हैं उसके लिय आज प्रबन्ध कर लेना चाहिये और जो हजारों किसानों से ६ करोड़ में से ३ करोड़ रुपया रबी की मालगुजारी होती है उसमें से जो भी रकम वसूल की गई है उसको वापस करने का प्राविजन इस में स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये। इसीलिये यह संशोधन मैंने रखा है और मुझे आशा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर के इसको स्वीकार करेगी और पूरा करेगी।

श्री उदितनारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैंने जिस तरह से इस प्रश्न को रखने की कोशिश की थी, माननीय गेंदा सिंह उसे उस तरह से स्वीकार न कर सके। इस में किसी तरह से भी दो राय की गुंजायश नहीं है। रबी के लगान के बारे में उन्होंने एतराज किया, रबी के लगान के दो अर्थ नहीं हैं, कानून की पुस्तकों में उसके २ अर्थ नहीं हो सकते। मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था और उस पर भी यहां बड़े-बड़े भाषण हुये और जहां तक क्रेडिट को लेने की बात कही गई यहां किसी ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। मैंने आरम्भ में ही कहा था कि माननीय बहुगुणा जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो कुछ कहा था उस को ही पूरा किया जा रहा है। श्री बहुगुणा का उस समय कहना था कि "even at this stage the land revenue....."

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, बजट स्पीच हिन्दी में होती है और यह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हिन्दी की ही मूल प्रति मानी जाती है .....

श्री उदितनारायण शर्मा—

आप एक दो मिनट संतोष करते तो मैं इस को अंग्रेजी में पढ़ कर हिन्दी में भी कहता। उसमें साफ लिखा है कि आगे आने वाली जो रबी है उस पर यह सरचार्ज नहीं लगेगा और यही मैं अंग्रेजी के बिल से पढ़ रहा था। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि इस में कोई बड़ी मर्यादा या शान की बात नहीं है, लेकिन यह शान जरूर है कि बाहर के लोग यहां के कानून को समझें कि यह कानून है। यह न समझें कि इनको ज्ञान नहीं है। कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा जाता है कि इसके ये नतीजे निकलेंगे। इसमें रबी १३६६ फसली की बात है। अप्रैल से सरचार्ज वसूल नहीं किया जायगा। अगर यह बात है तो आप निश्चय समझिये कि वह कभी भी वसूल नहीं किया जायगा और अगर कहीं ऐसा हो गया तो वह मुनासिब नहीं होगा और वापस किया जायगा। इस तरह की विज्ञप्ति अपने यहां से जारी कर दूंगा कि अगर कहीं पर ऐसा हो गया है तो वह अगले फसल की मालगुजारी में मुजरा कर दिया जायगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरी इन सब प्रार्थनाओं के बाद भी उनको यह बात पसन्द नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो मेरी मजबूरी है। हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि जिस कानून को हम बनायें वह सही हो। इसलिए मैं माननीय गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे अपना संशोधन वापस ले लें तो उनकी बड़ी कृपा होगी।

श्रीमन्, अन्त में मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक तो यह कि इस सदन में जो कुछ होता है, वह इस प्रदेश का इतिहास बनता चला जाता है। इस सदन की कार्यवाही का एक-एक अक्षर लिखा जाता है। यहां पर जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं, उन पर जो संशोधन आते हैं और उनके सम्बन्ध में जो जो भाषण होते हैं, उन सब को लिखा जाता है। मुझे दुःख होता है कि जिस सदन की गरिमा की इतनी चर्चा की जाती है वहां पर अपने हृदय की तपिश बुझाई जाती है। यहां पर इस बात पर विचार नहीं होता है कि तर्क क्या हैं।...

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी सदन में यह कह सकते हैं कि यहां पर कोई काम नहीं होता है। व्यर्थ में लोग बैठे रहते हैं और गाली गलौज होती रहती है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है और न ऐसा कहना मुनासिब ही है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मेरे बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं, उनके बारे में एक ही निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन में माननीय बनारसी दास सदाचार का भाषण दे सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं दे सकेंगे। जिनकी जगत भर में शोहरत है, अगर वे यहां पर ऐसा कहें, तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से समय के लिए कांग्रेस में चला गया था लेकिन मान्यवर, माननीय बनारसी दास जी के सदाचारों के बारे में मैं अगर ८ वां या १० वां हिस्सा भी यहां पर कहूं तो बैठते नहीं बनेगा। अगर इस काम के लिए ही एक या दो दिन समय मिले तो फिर सब बातें कहीं जा सकती हैं। श्रीमन्, एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद। यहां पर मानीगय बनारसी दास जी मुझे सदाचार की शिक्षा देते हैं। मान्यवर, कभी इसका भी समय आयेगा जब उसके बारे में भी निवेदन करूंगा।

अन्त में मुझे आशा है कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि पंडित जी ने हमारा जो प्रश्न था, उसपर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और हमारी जो मंशा थी, उसे पूरा करने की बात सोची, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंडित जी जरा इस बात को ध्यान में रखें कि जब किसी से किसी बात का आग्रह किया जाय, उस वक्त भी वे गाली दिए बिना नहीं माने। अगर मैं भी पंडित जी की वही प्रशंसा कर दूं जो कि उन्होंने माननीय बनारसी दास की की है तो वे अवश्य ही उछल जायेंगे।

मेरा कहना है कि जो बात अच्छी भी हो, उसे बुरे ढंग से नहीं कहना चाहिये ताकि सदन में ढंग से काम चल सके। मैं समझता हूं कि पंडित जी के आश्वासन के बाद मैं बहुत संतुष्ट हूं लेकिन वे इस बात का खयाल रखेंगे कि पंडित जी जो आश्वासन देते हैं उससे उल्टा कार्य होता है। माल मंत्री को इतने महत्व का महकमा मिला है जिससे वह प्रदेश की बड़ी सेवा कर सकते हैं लेकिन इतना वह ध्यान रखें कि जिद में न आयें और यह जिद न करें कि जो सुझाव हम देंगे उससे उल्टा वह करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा खयाल है कि वह इस प्रदेश का ज्यादा हित करेंगे। इन शब्दों के साथ पंडित जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६५

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५, का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन अधिनियम, १९६७, कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधयक, १९६७ पारित किया जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निरसन) विधेयक, १९६७ को जनमत संग्रह के लिये परिचालित किया जाय । मान्यवर, यह नाजुक-सा मामला है । कोई ऐसा प्रस्ताव आवे, जिसमें लोगों का टैक्स माफ हो तो साधारण-तया उस पर विरोध करने की गुंजायश कम होती है । मान्यवर, इस बात पर ध्यान देना होगा कि टैक्स लगना आवश्यक है और बिना टैक्स के कोई सरकार नहीं चल सकती । टैक्स लगाने का उद्देश्य भी होता है । एक तो टैक्स ऐसे होते हैं जो किसी खास मकसद से लगाये जाते हैं जैसे मालगुजारी पर अधिभार का मामला था । वह महज एमरजेंसी के लिये था और वह सूरत खत्म होने पर उस टैक्स को वापस लेना ठीक ही हुआ । लेकिन यह टैक्स लिया गया प्लांड योजनाओं को चलाने के लिये और योजनायें अभी समाप्त नहीं हुईं और न उनके लिये धन की आवश्यकता समाप्त हुई । उस दृष्टि से यह माफ करने के काबिल नहीं है ।

और भी कारण होते हैं । एक कारण हो सकता है कोई टैक्स किसी समाज के अंग पर बहुत बोझ डाल रहा हो । एक कारण हो सकता है कि टैक्स लगाने से समाज में दौलत पैदा कर के रुपया जोड़ने का और उस रुपये को उचित कामों में लगाने की भावना में रुकावट आती है । यह विधेयक उस दृष्टि से भी ठीक नहीं बैठता है । एक एकड़ तक की जमीनें टैक्स से बरी थीं और १२० रुपये सालाना मिलकियत के मकानों पर टैक्स नहीं था । ऐक्ट की धारा ६ में यह दर्ज था कि सरकार यदि चाहे तो किसी भी श्रेणी को उससे मुक्त कर सकती है । सरकार का अगर यह खयाल था कि १२० रुपये सालाना मिलकियत बहुत कम है तो वह ४००, ५०० रुपये सालाना आमदनी वाले मकानों को इस टैक्स से बरी कर सकती थी । लेकिन सरकार ने यह कदम नहीं उठाया और उस पूरे ऐक्ट को अप्रैल, १९६७ से वापस ले लिया ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, विकल जी सो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तन्मय हो कर सुन रहे हैं, जिससे आपको ऐसा आभास होता है ।

श्री फूलसिंह—

गरीब आदमियों का नाम लिया जा रहा है कि उन पर से यह टैक्स माफ कर दिया । उद्देश्य में लिखा है "जनता क राहत पहुंचाने के लिये"। कौन सी वह जनता है? उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ जनता देहातों में रहती है और १ करोड़ शहरों में रहती है । पिछले दिनों जो सर्वे हुआ, उसके अनुसार शहरों की आमदनी देहात की आमदनी के मुकाबले १ और ३.४६ के अनुपात में है । अग राहत पहुंचाने का सवाल है तो देहात की जनता को राहत पहुंचाना चाहिये । शहर की जनता का अवसर बाद में आता है । तो यह रास्ता ठीक नहीं है ।

---

†१४ जुलाई १९६७ की कार्यवाही में छपा दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फूल सिंह]

उस में भी शहर की जनता में अधिकतर ऐसे लोग हैं, जिन के पास न भूमि है न भवन है, किरायेदार हैं। थोड़े से आदमी ऐसे हैं जो भूमि और भवन के मालिक हैं और अगर मैं गलती नहीं करता तो उन की कुल संख्या ६ लाख है। १२० रुपया सालाना वालों को तो पहले से ही माफ कर रखा था। आप चाहते तो वह सीमा और बढ़ा सकते थे। लेकिन इस वक्त जब कि आप के पास पैसा नहीं है, आप को योजनाओं पर खर्च करने की आवश्यकता है, बहुत से लोग जो गरीब हैं उनको राहत आप पहुंचा नहीं सकते आप का यह कदम उठाना कुछ बहुत उचित नहीं मालूम पड़ता। इस में यह बू आती है कि यह कदम आप ने किसी विशेष ग्रुप को राहत देने के लिए उठाया है। कारण स्पष्ट है। एक तरफ तो आप ने शहर के कानून में यह कर दिया कि एक एकड़ भूमि पर कोई टैक्स नहीं होगा, मगर देहात में आप को एक एकड़ लगान से बरी करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वहां दो रुपये तक भी माफ करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो कितना फर्क पड़ जाता है। शहर में रियायत हो रही है और देहात में टैक्स बढ़ रहे हैं। देहात में आप ने इन ६ महीनों में कौन-कौन सी चीजों का खर्च बढ़ाया यह मैंने पिछले दिन भी निवेदन किया था।

आबपाशी की चर्चा कल हो चुकी है। स्टेट ट्यूब वेल की आबपाशी कम से कम सवाई कर दी। प्राइवेट ट्यूबवेल पर आपने सीमा का प्रतिबन्ध लगा दिया। बिजली शहर में गरीब आदमी एक बल्ब लगाये हुये हैं, तो बिजली पर भी टैक्स बढ़ा दिया। तो सब पर तो आप ने बढ़ाया मगर इन बड़े बड़े हवेली वालों पर आप माफ कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं मालूम होता। शहर में जो हो रहा है और देहात में जो हो रहा है उस की चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारे वित्त मन्त्री शायद कोई ऐसी बात कह दें, जैसे कल मैं बिजली की चर्चा कर रहा था तो उन्होंने रहट की चर्चा कर दी। प्वाइन्ट यह था मेरे कहने का कि एक तरफ तो खेतों में पिछले साल से पांच बार दवाइयों का छिड़कना अनिवार्य हो गया है और ५० रुपये प्रति स्प्रे खर्च होता है मगर उस धान को आप ७० रुपये में लेना चाहते हैं। कीमतों के कम करने में एतराज नहीं है। लेकिन यह भी देखें कि जिन की कीमतें कम कर रहे हैं उन को आराम पहुंचे। आप को यह फिक्र है कि एम्बेसडर कारों के दाम न बढ़ जायं, लेकिन यह फिकर नहीं है कि ट्रैक्टर के दाम न बढ़ें, जिस के पुर्जों को किसान लेता है। दिन दहाड़े उसमें लूट हो रही है। एक साहब ने कहा कि जब एक पुर्जा लेने गया तो कम्पनी वाले ने कहा कि हमारे पास नहीं है और जब एक हजार रुपया भेंट दे दी तो पुर्जा मिल गया। रिश्वत लेने का तो कानून-सा हो गया है। आज रिश्वत लेना बेजा नहीं माना जाता है। पिछले दिनों पुलिस की बड़ी बदनामी होती थी, लेकिन आज उस के लिए कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि पुलिस से भी बड़े बड़े लोग रिश्वत लेने वाले हो गये हैं। एक बार बीरबल ने अकबर से पूछा कि लकीर कैसे छोटी हो, तो उसने बतलाया कि लकीर के पास बड़ी लकीर खींच दो, तो वह छोटी हो जायगी लेकिन कुछ लोग उसे हाथ से मिटा कर ही छोटी करना जानते थे। इसी तरह से आज पुलिस की लकीर और विभागों की लकीर से छोटी हो गयी है। इन्साफ के मुहकमे को ही ले लिया जाय। मैं ने भी कुछ साल वकालत की है। कभी-कभी ही सुनने में आता था कि सिविल कोर्ट में रिश्वत ली जाती है, लेकिन आज यह सुनने को नहीं मिलता कि अदालतों में कौन है जो रिश्वत नहीं लेता है। आज किसान लूटे जा रहे हैं। आज उन के खेतों का लगान माफ करने में तो सरकार आनाकानी करती है, लेकिन भूमि भवन कर को माफ करने के लिए वह तैयार है।

मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह रास्ता बड़ा कठिन है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस बिल को जनमत के लिए घुमाइये, ताकि पब्लिक ओपीनियन आ जाय तो सम्भव है कि आप की राय भी हो जाय कि कानून वापस मत लो, अगर जरूरी हो तो माफी के खाने और बढ़ा दो जिस से बड़े-बड़े आदमियों व हवेलियों पर टैक्स लगा रहे। मेरे प्रस्ताव केवल यही हैं कि इसे जनमत के लिए घुमाया जाय, ताकि आप को भी मालूम हो जाय कि जो बात मैं

कहता हूं उस में कहां तक तथ्य है। मैंने काफी समय सदस्यों का लिया, मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र ठंढे दिल से मेरी बातों को सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि इसका कोई जवाब देना हो, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है। यहां पर गलत काम करने का सवाल नहीं है, असल मकसद सोचें कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस से जनता का कहां तक हित होगा और इस काम से देश व प्रदेश के करोड़ों लोगों को कहां तक सन्तोष मिल सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

*श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय फूल सिंह ने जो संशोधन रखा है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप के माध्यम से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह टैक्स सन् १९६२ में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था और हम ने उस समय इस टैक्स का विरोध किया था। मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार और भूमि भवन कर ये आपातकालीन कर थे। जब २० सितम्बर, १९६२ को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस के पहले ही कांग्रेस सरकार ने यह टैक्स लगा दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने इस टैक्स का काफी विरोध किया था और जगह-जगह से इस टैक्स के विरोध में लोग जेल भी गये थे। मैं स्वयं इस टैक्स के विरोध में जेल गया था। लेकिन २० सितम्बर, १९६२ को जब चीन ने आक्रमण किया तो आपातकालीन स्थिति के रूप में सरकार की अपील पर इस आन्दोलन को स्थगित किया गया था और कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को उस समय यह आश्वासन दिया था कि यह टैक्स केवल ५ प्रतिशत वसूल किया जायेगा जब कि अधिनियम में १० प्रतिशत तक टैक्स लगाने की व्यवस्था है। ५ प्रतिशत टैक्स लगाने के आश्वासन पर ही सरकार ने उस आपातकालीन स्थिति में यह टैक्स पारित कराया था, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया था, जनता को धोखा दिया था। यह टैक्स केवल आपातकालीन ही लगाया गया था, लेकिन इस टैक्स को ५ प्रतिशत से बढ़ा कर औद्योगिक संस्थानों पर और दूकानों पर २० प्रतिशत तक कर दिया गया। जो निवास स्थान हैं उस पर ५ परसेंट से बढ़ा कर साढ़े बारह परसेंट कर दिया और यह जो बढ़ोत्तरी की गयी वह एक अक्तूबर, ६५ से की गयी, लेकिन ६७ के जो आम चुनाव आ रहे थे, इस लिए उसे देखकर उस सरकार ने जनता के साथ धोखा किया और वे बढ़े हुए टैक्स के नोटिस जनता के पास उस समय तक न भेजकर आम चुनाव के बाद भेजे गये।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस टैक्स का कोई औचित्य भी नहीं है। यह भूमि और भवन पर टैक्स लगाने का अधिकार स्थानीय निकायों को केवल है। स्थानीय निकायों को बहुत से अधिकार टैक्स लगाने के इस सरकार ने नहीं दे रखे हैं। उन के आय के साधन, खर्च को देखते हुये बहुत ही सीमित हैं, लेकिन एक जो अधिकार उनको भूमि भवन पर टैक्स लगाने का था उस को भी सरकार ने छीन और उस पर भी सरकार ने अपना कब्जा नाजायज तरीके से करना चाहा और उन के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा। २५ प्रतिशत तक स्थानीय निकाय टैक्स लगा सकती हैं। २०,२२ और २३ प्रतिशत तक पहले से ही स्थानीय निकाय यह टैक्स लगाये हुये थीं और वह अपने जनता की कठिनाइयों को देखते हुये बचे हुए २–३ परसेंट टैक्स को और नहीं बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन उस सरकार ने २० पर सेंट उन पर और बढ़ा दिया। २५ परसेंट तक नगरपालिका लेती है और २० परसेंट तक प्रदेश सरकार उस पर कर लगाती है। इस प्रकार जनता पर ४५ परसेंट टैक्स लग जाता है। इस के कारण आज लोगों को नये मकान बनवाने के लिए और नये औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए कोई उत्साह नहीं रह गया है, जो लोगों के बने हैं, वे भी पछता से रहे हैं। फूल सिंह जी ने एक बात कही कि केवल बड़े लोगों को सहारा देने के लिए यह भूमि भवन कर निरसन विधेयक लगाया गया है। किन्तु मान्यवर, मैं यह उन्हें बताना चाहता हूं कि जैसा फूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमाशंकर अग्रवाल]

सिंह जी कहते हैं कि यह टैक्स केवल अमीरों से लिया जाता है, यह बात गलत है, यह टैक्स उन से नहीं लिया जाता है, जो भूमि और भवन के मालिक हैं, बल्कि उनसे लिया जाता है जो उसमें किरायेदार हैं। वास्तव में यह बात नहीं है, यदि उन्होंने इसे पढ़ा होता तो ऐसी बात न करते। भूमि और भवन-कर के मालिक किरायेदार से यह टैक्स वसूल करेगा, इस लिए छोटे से छोटे किरायेदार को यह टैक्स देना पड़ता है। यह उन छोटे और गरीब लोगों को देना पड़ता था जिन के पास दो वक्त की रोटी का खाने का भी सहारा नहीं होता, ऐसे लोगों से यह सरकार टैक्स वसूल करती थी। तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए यह भूमि भवन कर निरसन विधेयक लाया गया है। इस लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसलिए फूल सिंह जी को इस सरकार को बधाई देना चाहिये न कि उल्टे उस के विरोध में वकालत करनी चाहिये। आज वे जनमत संग्रह की मांग करते हैं। किन्तु इस को आये ६ महीने से अधिक पहले से ही हो चुके हैं, जनता इसे समझ चुकी है और उसने दिल खोलकर इसका स्वागत किया है, कहीं इसका कोई विरोध नहीं है। आज फूल सिंह जी यहां बैठकर ऐसी बात करते हैं किन्तु जनता में जाकर यह कहने का साहस उन का भी नहीं है कि वह जाकर उन के बीच कहें कि यह टैक्स पुनः लगाया जाय। आज वह दूसरे रूप मे इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर अधिवेशन में जहां प्रान्तीय कमेटी हुई थी, उसमें भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ था। तो जनता में यह दूसरी बात कहते हैं और यहां पर विरोध करने के लिए दूसरी बात कहते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस तरह से इनके दो रूप हैं। ये दो रूप अच्छे नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं फूलसिंह जी से अपील करूंगा कि इन बातों पर विचार करके वह कृपा करके अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय नेकराम या कल्पनाथ सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संशोधन पेश कर दें तो दोनों पर एक साथ बहस हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

व्यवस्था का प्रश्न है। एक ही प्वाइन्ट पर कांग्रेस दल के दो संशोधन कैसे? एक सदस्य चाहते हैं जनमत संग्रह और दूसरे चाहते हैं कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका सदस्यों को अधिकार है। ऐसे दस बीस या पचास संशोधन भी आ सकते थे। मैं कैसे रोक सकता हूं?

कल्पनाथ सिंह जी आप पेश कर दें।

(श्री कल्पनाथ सिंह जी ने संशोधन पेश नहीं किया।)

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन के समर्थन में जो माननीय फूलसिंह जी ने रखा है, खड़ा हुआ हूं। मेरा बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन अभी माननीय मित्र ने जो भाषण दिया उसमें ऐसी बातें कहीं, अगर वह माननीय फूलसिंह के तर्कों का जवाब देते तो कोई बात ऐसी न करते। उन्होंने कुछ जोशीली बातें कहीं कुछ और तरह की और इश्यु को कनफ्यूज करने की कोशिश की। यह कानून बनने का सवाल है। कानून जनता के हित के लिये बने यह सब की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन समय में यह बना था उस समय जितने भी कानून बने थे सब वापस होने चाहिए। इसके उद्देश्य और कारण में स्वायत्त मंत्री ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साफ लिखा है कि राज्य के सुनियोजित विकास के लिए संविधान जुटाने के उद्देश्य से और सामान्य जनता को राहत देने के उद्देश्य से लाये हैं। अब आप कह रहे हैं कि चूंकि १९६२ में पारित हुआ, आपातकालीन समय का था, तो जिस तरह से सरचार्ज वापस हुआ यह भी वापस होना चाहिए। आपातकालीन समय में जो भी काम हुआ सब का निरसन होना चाहिए यह दलील हुई। फूलसिंह जी ने साफ कह दिया कि वह इसके बिलकुल विरोधी नहीं हैं। वह इसलिए चाहते हैं कि आपको मौका मिले, इस विधेयक में सब को राहत दी जा सके, तो अगर इसमें जिसको राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती तो उनके प्रस्ताव से मौका मिलेगा कि उनको राहत दी जा सकें। उन्होंने कहा कि फूलसिंह जी भूल जाते हैं कि यह टैक्स किरायेदारों पर पड़ता है। किरायेदार मकान में रहेंगे। भूमि के किराये का सवाल क्या होता है? फूलसिंह जी ने कहा था कि शहर में एक-एक एकड़ भूमि जो माफ है और उसमें कितनी आमदनी होती होगी और सब लोग जो शहरों में रहते हैं उस आमदनी के हिसाब से तो देहातवालों के १० एकड़ और २० एकड़ तक भूमि रखने वाले भी उसमें नहीं आते। तो इसमें किराये का सवाल कहां आता है। अगर किराये की बात तो बाटा कम्पनी, दूसरी बड़ी कम्पनियां तो १० हजार, ५ हजार किराया भी देती हैं तो क्या उनसे अगर टैक्स लिया जाता है तो कुछ बेजा बात थी। जैसा फूलसिंह जी ने कहा कि आप हजार रुपये कर दीजिए १२ सौ रुपये तक माफ कर दें और ऐसा परिवर्तन कर देते तो सामान्य जनता की बात होती। अभी बतलाया गया कि शहर और देहात की आमदनी में साढ़े तीन गुने का अन्तर है। फिर धनी जनता पर टैक्स पड़ता हो और आप उसे भी माफ कर दें और अगर हम सुझाव दें तो आप कह दें कि चूंकि कांग्रेस के जमाने में आया था इसलिए वापस होना चाहिए तो फिर हर चीज जो अच्छी कांग्रेस ने की हो उसे भी वापस होना चाहिए। हो सकता है कुछ सदस्य होंगे, हमारे कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या वह भाई जो अभी इधर से उधर गये हैं, उनमें यह भावना बची हो कि जो कांग्रेस ने सही काम किये थे उन्हें रहना चाहिए तो वह सही बात होगी लेकिन कुछ भाई ऐसे जरूर हैं जिनका अगर बहुमत हो जाय तो चूंकि कांग्रेस ने जमींदारी तोड़ी थी इसलिए वे करेंगे कि जमींदारी अबालिशन खत्म हो जाय क्योंकि अब जनसंघ का राज्य आ गया है, बहुत से ताल्लुकेदार उनके साथ हैं ही, कुछ और जगह मिल जायेंगे और जो एक अच्छा काम कांग्रेस ने किया है वह भी आप समाप्त कर दें।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

विधेयक का जो उद्देश्य है वह सामान्य जनता को राहत दिलाना है और जो वक्ता महोदय उधर से भाषण दें वे कृपया यह बतलावें कि कौन-कौन लोग सामान्य जनता में आते हैं और किस हद तक आते हैं। यह तो नहीं होना चाहिए कांग्रेस ने किया है इसलिए खत्म करो, अगर कम्युनिस्ट सरकार हो वह भी कोई अच्छा काम करे तो उसे मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर प्रस्ताव की बात कह गयी। वह तो हमने संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पास किया था। सवा ६ एकड़ तक लगान माफ करने की बात हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में थी। घोषणापत्र में जो होता है वह तो होता इसीलिए है कि हमें उसे करना है लेकिन प्रस्ताव जो एक बार एक कांफ्रेंस में होता है उसे दूसरी बैठक में बदल भी सकते हैं। तो ऐसी दलीलें रखना निरर्थक है। जो विधेयक सामने हैं उसे जनहित की दृष्टि से देखना चाहिए और इसलिए मैं माननीय फूलसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको जनमत के लिए भेज दिया जाय।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, एक बिल अभी मालगुजारी को समाप्त करने का पास हुआ है। यह दूसरा बिल आया है, उसका भी विरोध हो रहा है। समझ में नहीं आता कि गरीब जनता इस प्रदेश में रह सकेगी या नहीं क्योंकि शहरों के अन्दर जो किराये पर लोग रहते हैं वे लोअर क्लास के गरीब लोग हैं जो छोटी तनख्वाह पाते हैं। उनके ऊपर हमारे उधर के भाई टैक्स लगाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

चाहते हैं। उधर छोटे-छोटे किसान जिनके पास भूमि नहीं है या भूमिहीन हरिजन हैं या जिनके पास ४, ५ बीघे जमीन है उनकी मालगुजारी को समाप्त किया जाता है उसके लिए भी आवाज उठाई जाती है ताकि पटवारियों को रुपया देकर जमीन को वापस लिया जा सके। अब दूसरा बिल यह आया है उस पर भी संशोधन लाकर भूमिकर को लगे रहना देना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से गरीबों को यह राहत मिली है, जिसके लिए इस सरकार ने काम किया है. . .

श्री अध्यक्ष--

आप इसके पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में ?

श्री हरीसिंह--

मैं इस विधेयक के पक्ष में बोल रहा हूं। मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो विधेयक इस सदन में पेश किया है, इसको सर्वसम्मति से पास होना चाहिए क्योंकि हमने देखा कि गरीब आदमी जो नौकरी पेशा के हैं या मजदूर वर्ग है वह बहुत परेशान है। उसके लिए यह कुछ राहत दी गई है। बड़े आदमियों के लिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा आदमी अपने पास से यह पया नहीं देता था। वह अपने किरायेदारों से वसूल कर लेता था। जो गरीब मजदूर, क्लर्क या चपरासी थे उनको अपनी जेब से यह रुपया देना होता था। उनको मकान नहीं मिलता था। दूसरी दिक्कत यह हुई कि लोगों ने शहरों में मकान बनाना छोड़ दिया क्योंकि उनके ऊपर इतना टैक्स का भार लग गया जिसको वे अदा नहीं कर पाये। उन्होंने सोचा कि शहर में अगर मकान बनायेंगे तो इन्कम टैक्स वाले पहले परेशान करेंगे कि कहां से रुपया आया और फिर मर गिरकर अगर मकान बनाया भी तो उसके बाद नगरपालिका टैक्स पर टैक्स लगायेगा। कहीं मास्टर प्लान को खड़ा कर दिया तो उसके ओवरसियर और इंजीनियर से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर ५० या १०० या २०० गज का प्लाट है तो उस पर एक झोंपड़ी भी नहीं खड़ी की जा सकती। क्योंकि उधर के नेता लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक इतना छोटा काम गरीबों को राहत देने के लिए किया जा रहा है, उसका भी हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। यह इसी सरकार ने काम किया है जो गरीबों के लाभ के लिए हो रहा है। बहुत बड़ी रकम पहले से बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है। बड़े-बड़े कारखाने वालों पर और मिल वालों पर जो रुपया बाकी है उसको सही तरीके से वसूल किया जाय। करों के बोझ से छोटे-छोटे दुकानदार पिस रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे सही तरीके से कर वसूल किया जाय। छोटे दुकानदार, छोटे काश्तकार और छोटे मजदूरों को इस कर से मुक्त किया जाय ताकि वह अच्छी तरह से अपना जीवन बिता सकें और इस देश में अपना माथा ऊंचा कर सकें। किन्तु खेद है कि उधर के भाई नहीं चाहते हैं कि यह कर माफ किया जाय। क्यों वे लगाना चाहते हैं यह समझ में नहीं आता।

मैं स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर प्लान को हटाइये नहीं तो वे लोग लुट जायेंगे। हम बार-बार कहते हैं कि जहां आप इस बिल के द्वारा एक कर को समाप्त कर रहे हैं वहां मास्टर प्लान को भी समाप्त करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आप भी गरीबों का भला चाहने वाले नहीं हैं। अगर गरीबों का भला करना चाहते हैं तो मस्टर प्लान शहरों से खत्म कर दें। जो भवन कर है उसको भी समाप्त कर दें। शहरों के अन्दर कोई मालदार आदमी नहीं रहते हैं। वहां भी छोटे लोग रहते हैं। वह भी शहरों में चले गये हैं, बल्कि नौकरी पेशा के लोग या किसानों के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। उनसे आप आशा करते हैं कि वह जमीनों पर टैक्स दें। कांग्रेस ने तो कुछ भी किया था, आप मास्टर प्लान ही खत्म कर दो और यह भूमि कर तो नाम मात्र के लिए भी नहीं लगना चाहिए। उस कांग्रेस सरकार ने तो लोगों को टैक्स के बोझ से मार डाला, यह बड़ा अच्छा कार्य सरकार करेगी। आप देखें कि टाउन एरिया ककड़खेड़ा है। वहां का मजदूर रिश्वतों और टैक्सों के बोझ से पिस रहा है। ऐसे

टाउन एरियाओं से मास्टर प्लान खत्म करो हर एक को आजादी दो कि ५० गज में अपना मकान बना सकता है और कोई भूमि कर नहीं लगेगा, तभी इस सरकार की प्रशंसा होगी। अब तो नये-नये मंत्री बन गये हैं। प्रतापसिंह जी को तो कुछ तजुर्बा है क्योंकि सन् ५२ से सदस्य हैं। इसलिए मैं संविद सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके टैक्स कम करो और सरकार की इनकम बढ़े। जितनी भूमि पड़ी है वह मजदूरों में सरकार बांट दे तभी तो आमदनी बढ़ेगी। गेंदासिंह तो कहते ही रह गये। अगर तुमने आज नहीं बांटी तो कुछ भी जनता की भलाई नहीं कर सकोगे। गरीबों और किसानों के लिए अच्छे बीज, खाद का प्रबंध करो। आज संविद की सरकार बनी हुई है। अगर उधर वाले गड़बड़ न करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैं कुछ मिनट के लिए दूसरी तरफ ले चल रहा हूं जो नियम ५१–५२ आते हैं, उस ओर। मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं, जिसमें कामरोको प्रस्ताव के रूप में जो प्रस्ताव हैं मैं उनको स्वीकार नहीं कर सका हूं। लेकिन तीन ऐसे हैं, एक माननीय हेम तीनन्दन बहुगुणा का, एक माननीय रघुनाथ सिंह जी, इंद्रलाल जी और माननीय फलसिंह जी और माननीय कृष्णानन्द राय जी का है और तीसरा है माननीय यादवेन्द्रसिंह जी का। जो विषय है, इसमें तो जगह अलग अलग हैं पर विषय एक ही है।

"इलाहाबाद जिला साधारणतः पिछले तीन सालों से अवर्षण और बाढ़ का बुरी तरह शिकार रहा है जिसके कारण वहां के लोग अन्न संकट से त्राहि त्राहि करते रहे हैं। तीन सालों से इस जिले की करछना, बारा और मेजा का भाग सूखे से इतना त्रिस्त रहा कि कुओं का पानी भी सूख गया और सैकड़ों गांवों को सरकार द्वारा ट्रकों से पेय जल की व्यवस्था की गयी।

इस इलाके में फिर अगहनी धान पूरा नहीं हुआ, क्वारी धान जो थोड़ा बहुत हुआ वह किसानों की अपनी आवश्यकता के लिये काफी नहीं है। प्रदेश सरकार ने किसानों पर लेवी स्कीम लगायी है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के किसानों पर लेवी वसूली की पर्चियां कट रही हैं, जिससे किसानों में आतंक फैल गया है।

सरकार की इस किसान विरोधी अदूरदर्शितापूर्ण नीति के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव कर किसानों के हित रक्षण के लिये आवश्यक जनमत बनाने का निश्चय किया है।

किसानों ने निश्चय किया है कि वह भी इस स्कीम का विरोध करेंगे, जिससे अन्ततोगत्वा शान्ति और व्यवस्था भी खतरे में आ सकती है।"

तो एक तो यह लेवी के संबंध में माननीय बहुगुणा जी का है। एक माननीय रघुनाथ सिंह सेंगर का भी इसी तरह का है कि सरकार ने फसल खरीफ के लिये गल्ला वसूली के आदेश प्रसारित कर दिये हैं, आदि, आदि। इसके अलावा एक माननीय यादवेन्द्रसिंह जी का है। वह भी इसी विषय पर है कि खरीफ की फसल को भारी क्षति अनावृष्टि के कारण पूर्वी जिले में हुई है। देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जिले में ९५ प्रतिशत से ऊपर खरीफ की पैदावार सूख गयी है आदि। यह भी लेवी मुल्तवी चाहते हैं। इन तीनों सूचनाओं को मैंने संबंधित मंत्री जी को वक्तव्य के लिये भेज दिया है। १५ जनवारी को वह इस पर वक्तव्य देंगे। कामरोको के रूप में अस्वीकार कर दिया है।

न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय प्रभाकर त्रिपाठी, माननीय कल्पनाथसिंह, माननीय नित्यानन्द पांडेय, माननीय देवीसहाय बाजपेयी का है। वह न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर के बारे में है कि वह दिनांक

[श्री अध्यक्ष—]

२०-१२-६७ से बन्द है और हजारों मजदूर बेकार हैं। इसको भी मैंने अस्वीकार किया है, किन्तु माननीय मंत्री जी से १५ तारीख को इस संबंध में वक्तव्य देने के लिये कहा है। इस पर वक्तव्य होगा।

लगान वसूली में ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय रामसुन्दर शास्त्री, माननीय पन्नेराम, माननीय रघुवीर राम का है, यह भी लगान वसूली के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि किसानों के साथ अधिकारियों द्वारा ज्यादती हो रही है, आदि। इस पर काफी चर्चा पहले हो चुकी है। इसे भी मैंने अस्वीकार किया है, किन्तु उचित कार्यवाही हेतु इसे संबंधित माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है।

निरोधात्मक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद एक माननीय रामायण राय जी का है। इन्होंने निरोधात्मक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत पकड़े गये राज्य कर्मचारियों के बारे में दिया है कि तीन कर्मचारी, सर्वश्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव, देवीनन्दन शर्मा और शिव प्रसाद द्विवेदी अभी भी नजरबन्द हैं। इस पर भी काफी चर्चा यहां हो चुकी है। इस पर अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य कर सकते हैं।

मिर्जापुर में अनावृष्टि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और है, माननीय अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' का है, यह भी अनावृष्टि आदि से संबंधित है। इसको भी मैं मंत्री जी के पास भेजता हूं। इसको पहले वालों के साथ सम्मिलित कर लिया जाय, जिनको कि मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। (श्री फूलसिंह के खड़े होने पर) फूलसिंह जी, आपका क्या कहना है?

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

लेवी वाला प्रश्न बड़ा गम्भीर है। हमारे प्रदेश में कुल १० प्रतिशत एरिया सिंचित है और बाकी असिंचित है। दोनों से बराबर लेवी वसूल करना और इतने भारी रेट पर करना जो कभी नहीं हुआ, यह किसानों के लिये बड़ी कठिनाई का कारण हो जायगा। पैडी में १३ परसेंट मोयस्चर रखा है जबकि होता है २०-२२ परसेंट। अगर थोड़ा-सा समय निकाल कर इसकी चर्चा करा दें तो किसानों को हो सकता है कि कुछ राहत मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—

आज हम उठ रहे हैं और आज का दूसरा कार्यक्रम वैसे ही ६-६ ॥ बजे तक का है। मैं आपकी भावना का आदर करते हुए इसे १५ जनवरी को ले लूंगा और कुछ प्रश्नों का अवसर भी दे दूंगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय कामताप्रसाद जी वर्मा का एक नियम ५१ का आया है कि बहराइच जिले में सूखा व बिजली की असुविधा से उन्हें कठिनाई है। वह मैंने संबंधित मंत्री जी के पास भेज दिया है सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये।

एक माननीय इंद्रलाल जी का है । उन्हें हल्द्वानी में नगरपालिका में कुछ कठिनाइयां हैं । उसे मैंने संबंधित मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया ।

एक माननीय रामायण राय जी का है । एक अधिनियम में कुछ कानूनी कठिनाइयां हैं । यह भी मैंने मंत्रीजी के पास भेज दिया है । वह अवश्य ध्यान देंगे ।

एक माननीय रमाशंकर अग्रवाल जी का है जो स्वायत्त शासन मंत्री के पास भेज दिया है, यद्यपि उसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

एक माननीय रामसुन्दर शास्त्री जी का है । यह कुछ प्रशासकीय कार्य के बारे में है । इसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

एक माननीय धर्मवीर जी का है कि इलाहाबाद जिले म जमुनापार भेजा तहसील ३ सालों से बाढ़ और सूखा का शिकार हो रही है । इस पर बारबार चर्चा हो चुकी है लेकिन इसे मैं माननीय मंत्रीजी को भेज रहा हूं उचित कार्यवाही के लिये. अगर उसका माननीय अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' वाले से कुछ सम्बन्ध है ।

एक और आया है श्री अश्वनीकुमार जी का । इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है ।

एक माननीय रघुनाथसिंह सेन्गर, एम० एल० ए०, कानपुर, का है । यह स्थानीय महत्व का है । मैंने स्वीकार नहीं किया है । सबंधित मंत्री को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह सेन्गर (जिला कानपुर)—

कानपुर में यह पहली घटना नहीं है । वहां ब्लैक मार्केट की चीजें पकड़ी जाने की और भी कई घटनायें हो चुकी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो भी सूचना माननीय सदस्य देते हैं वे महत्व की तो होती ही हैं । लेकिन देखना यह है कि कितने महत्व की हैं । यह ट्रक पकड़ा गया, यह सदन में कोई चर्चा का महत्वपूर्ण विषय नहीं है ।

कतिपय विषय

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक जानकारी प्राप्त करनी थी । मैंने पर्वतीय जिलों की खाद्य समस्या के बारे में पहले भी सवाल उठाया था ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है । आपने ५३ का दिया है, वह अभी विचाराधीन है । ५३ में कुछ समय लगता है । मैं कोशिश करूंगा कि उसे देख लूं ।

श्री योगेश्वर प्रसाद (जिला चमोली)—

नियम ४२ के अनुसार मैंने समय निर्धारण की आपसे प्रार्थना की थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं । (श्री मदन मोहन मिश्र के खड़े होने पर) उधर माननीय मिश्र जी आजकल अनियमितता में रेकार्ड तोड़ रहे हैं । जो एक माननीय सदस्य खड़े हुए हैं जिन्हें मैंने बोलने की अनुज्ञा दी, तो आप कैसे खड़े हैं ? (श्री मदनमोहन मिश्र बैठ गये) ।

[श्री अध्यक्ष—]

अगर मुझ से कोई बात पूछनी है तो यह उसका कोई समय नहीं है । यह समय नियम ५१, ५२ और कार्य-स्थगन का है । यह समय नियम ४९ का नहीं है । उसे आप सचिवालय से पूछिये और उनसे सन्तोष न हो तो मेरे पास आइये ।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

मेरी गुजारिश थी कि आज मैंने सदन का बहुत कम समय लिया है । जो भी नियम ५१, ५२, ५६ आते हैं अगर वे सदन में पढ़ दिये जाया करें तो ज्यादा लाभ होगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो अच्छे पढ़ने वाले हैं, आप नियमों को देख लें । उनमें पढ़ना जरूरी नहीं है । लेकिन फिर भी मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि कभी कभी पढ़ देता हूं । ज्यादा होते हैं तो नहीं पढ़ता हूं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मेजा और करछना की हालत पर भी ध्यान....

श्री अध्यक्ष—

शिक्षक जी, आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? आपके आगे शिक्षक लगा है, आप दूसरों को शिक्षा दें कि नियमों का पालन करें । आप वयोवृद्ध आदमी हैं ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

आपकी आज्ञा से कभी-कभी बहुत तकलीफ होती है । १२ और २० को बराबर २ दिन मैंने....

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको दुख हुआ तो मुझे भी हुआ । आप कृपा करके मुझे वैसे बलताइये सदन का समय ज्यादा मूल्यवान होता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्य इधर के और उधर के भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं । तो ५ बजे के बाद कुछ समय दें और आज कृपा करके थोड़ा और बैठें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव यह है कि स्वच्छन्द रूप से जो भी कोई कहना चाहे, कह सके । इसमें तो एक तरह से आप मेरी मदद ही कर रहे हैं (हंसी) ।

श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, जिसको आप सरकार के विचार के लिये भेज दीजिये । यह एक हजार मजदूरों का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रथा यहां बढ़ती जा रही है कि हर माननीय सदस्य जिसका नाम यहां नहीं लिया जाता, वह खड़ा होकर राय देने लगता है । आपका नियम ५३ में है, उसके बारे में मैंने यहां कोई घोषणा नहीं की है । वह विचाराधीन है । उसको सचिवालय एक्जामिन कर रहा है । सचिवालय से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं । उसकी सूचना यहां देने का नियम भी नहीं है और न पहले ही दी जाती रही है । वह विचाराधीन है; उस पर आवश्यक कार्यवाही होगी ।

श्री इन्द्रलाल (जिला बांदा)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ५१(२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था है कि नियम ५१ में आप जिन सूचनाओं को स्वीकार करते हैं उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य होता है, उसी दिन अथवा किसी दूसरे दिन। इसके द्वारा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिन सूचनाओं को सरकार के पास भेजें उन पर वक्तव्य दिलवा दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अगर पूरा नियम पढ़ लेते तो अच्छा होता। लेकिन आपने उसके एक भाग को पढ़ा और बाकी नहीं पढ़ा। मैं एक दिन में केवल एक को ही स्वीकार कर सकता हूं, सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिये। लेकिन सदन की भावनाओं को देखते हुए, उनका आदर करते हुए, यह प्रयास करता हूं कि उनके बारे में वक्तव्य हो जाय अथवा और कोई आवश्यक कार्यवाही हो जाय। उसके लिये जो कानून आप कोट कर रहे हैं उसके द्वारा एक से अधिक मैं सरकार के पास वक्तव्य के लिये नहीं भेज सकता।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अभी आपने कहा कि कायदा कानून के देखते हुए, मजबूरी होते हुये भी हाउस के रुख को देखते हुए कुछ चीजों को अस्वीकार करके भी मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देते हैं। यह आपकी बड़ी कृपा है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जब मंत्री जी ऐसी कार्यवाही करें तो उसकी सूचना वे संबंधित सदस्यों को भेज दिया करें, जिससे उनको पता चल जाय कि उस में क्या कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष—

यह शासन के अपने दृष्टिकोण की बात है। मुझे मालूम है कि लोक सभा में ऐसा भी हुआ है कि अगर प्रश्नोत्तर काल में किसी विशेष प्रश्न के बारे म किसी माननीय सदस्य की विणेष दिलचस्पी रही है और उत्तर से उसे असंतोष रहा है तो मंत्री जी इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि वे उनको सूचना देकर संतुष्ट करने का प्रयास करें। यह बात अच्छी है। उसका अनुकरण इस प्रकार से शासन करे तो अच्छा ही है लेकिन मैं उनको नियमों के अनुसार बाध्य नहीं कर सकता। यह अच्छी परम्परा हो यदि शासन उन विषयों में जि में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, आवश्यक कार्यवाही के लिये उनके पास भेजा जाय, उसमें आवश्यक जानकारी करने के बाद उसकी सूचना यदि संबंधित माननीय सदस्यों को भेज दिया करें तो अच्छी बात होगी। मैं इसको बड़ी स्वस्थ बात मानूंगा। शासन सदन के प्रति उत्तरदायी है। इसलिये अगर सदन के सदस्य कोई जानकारी चाहते हैं तो अगर शासन उस बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको सूचित कर दे तो अच्छी बात होगी।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७, जो विधान सभा द्वारा दिनांक २१–१२–६७ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना किसी सिफारिश के, आज (२२ दिसम्बर, १९६७ को) वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७, जो विधान सभा द्वारा २१ दिसम्बर, १९६७, को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना किसी सिफारिश के (२२ दिसम्बर, १९६७ को) वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

जो वाद-विवाद जारी था भूमि भवन-कर निरसन विधेयक पर वह अब जारी होगा परन्तु मैं सदन से कहना चाहूंगा कि वैसे तो साधारणतः सदन ने यह तय किया था कि इस पर २ घंटे वाद-विवाद होगा और उसके माने यह हैं कि ५.४५ तक इस पर वादविवाद चल सकता है और उसके बाद एक और विधेयक कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों से संबंधित है जिस के लिये भी आधा घंटे का समय तय हुआ था। अब चूंकि आज आखिरी दिन है और सदन इतनी देर तक न बैठना चाहे तो कुछ पहले समाप्त कर ले और अगर पूरे समय ही बैठना हो तो कार्यक्रम के अनुसार चलेगा।

कृषि उप मंत्री (श्री मही लाल)—

अध्यक्ष महोदय, मेरी बातचीत विरोधी दल के मुख्य सचेतक और मंत्री महोदय से हो गई है और वे इस बात पर राजी हैं कि आधा घंटे में इसे समाप्त कर दें।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आखिर मेरी बात आपने सुन तो . . .

श्री अध्यक्ष—

लेकिन इसे अनधिकार चेष्टा का फल न समझिये।

श्री मदन मोहन मिश्र—

मुझे कहना यह है कि अंग्रेजों ने जब यहां हुकूमत की तो उन्होंने जमींदारों को परिश्रय दिया और गरीबों को लुटवाया, तबाह कराया, डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी बरती और इस तरह से उन्होंने देश का शोषण किया। ठीक उसी तरह से यह एस० वी० डी० की सरकार अमीरों को बढ़ावा दे रही है और उन को बढ़ावा देकर इस प्रदेश की जनता का शोषण कराना चाहती है। माननीय मंत्री जी जो, यह भूमि भवन कर विधेयक लाये हैं वो "शुगर कोटेड" जहर की गोलियां हैं यानी चीनी चढ़ी हो गोलियां हैं जिन के अन्दर जहर है।

श्री चन्द्र शेखर (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि मिश्र जी अंग्रेजों के बाद सीधे एस० वी० डी० पर चले आये, जरा बीच वाले जमाने का भी कुछ हाल कह देते तो कृपा होती।

श्री मदन मोहन मिश्र—

चोर की दाढ़ी में तिनका। यह संविद सरकार महाजनों को बढ़ावा देना चाहती है और इन बड़े-बड़े थैलीशाहों और पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर गरीबों को चूसने के लिये अपने ढंग का नया

शोषण संघ बनाना चाहती है और इनका लक्ष्य यह है कि जिस तरह से भी हो हम सस्ती लोकप्रियता अर्जित कर लें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह बार-बार कांग्रेस के २० साल क कुशासन की ही बात करत हैं और उन का लक्ष्य यही है कि अगर कांग्रेस हाथ से खाये तो यह पैर से खाना चाहते हैं, कांग्रेस अगर पैर के बल चलेगी तो यह खोपड़ी के बल चलेंगे, कांग्रस की हर चीज में यह बुराई देखते हैं और यह चाहे जो बुराई करें उसको यह अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। यह कहते हैं कि सामान्य जनता को राहत देना चाहते हैं लेकिन वह मिलेगी नहीं। पूंजीपतियों की आड़ लेकर यह रकमें बनाने में लगे हैं। सरदारनगर में एक चीनी मिल है और वहां से एक मंत्री महोदय के बारे में समाचार मिला है कि दस लाख रुपये के एक सौदे की बात चल रही थी और जब सौदा तय नहीं हुआ तब वहां पर तालाबन्दी हुयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर उन्हें भूमि और भवन-कर विधेयक लाना है तो उसके लिये एक लिमिट बना देना चाहिये कि जिनकी आमदनी १,५०० रुपय प्रति वर्ष से अधिक हो अर्थात् जिन मकान वालों को १,५०० रु० से अधिक किराया मिलता है, उन पर ही यह टैक्स लगाया जाय। ये लोग नारा तो समाजवाद का लगाते हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पर एक्सप्लायटेशन करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है।

(सरकारी पक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब यदि इसे आधे घंटे में समाप्त करना है तो कम से कम इधर से (सरकार पक्ष की ओर से) तो कोई माननीय सदस्य न खड़ा हो।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय फूल सिंह जी के विचारों और भावनाओं से सहमत होते हुए भी उनके संशोधन का विरोध करता हूं। जिस प्रकार का भूमि भवन कर विधेयक इस सदन के सामने आया था वह बहुत दोषपूर्ण था। उस समय मंत्रिमंडल में माननीय फूल सिंह जी और शर्मा जी भी थे। यदि ये विचार वे उस समय व्यक्त करते तो इतना दोषपूर्ण यह न बनता। होना यह चाहिये था कि जो बड़े-बड़े मकान मालिक हैं या बड़े-बड़े किरायेदार हैं जो ५०० या १,००० रुपये प्रति माह पर कोठियां किराये पर लेते हैं, उन पर यह टैक्स लगना चाहिये था। इसके लिये यह हरगिज भी नहीं होना चाहिये था कि ५ रुपया किराया देने वाले मजदूर पर भी यह टैक्स लगाया जाय और उससे वसूल किया जाय। तो ऐसी हालत में यह गलत था। बहुधा यह भी देखा गया है कि जो बड़े-बड़े मकान मालिक हैं वे अपने किरायेदारों से उतना ही टैक्स वसूल नहीं करते थे जितना कि उन्हें लेना चाहिये था बल्कि उसका ड्योढ़ा, दुगना भी वसूल किया जाता रहा है। इसलिये कानून के मातहत यह समाप्त होना चाहिये। मैं इस संबंध में जो संशोधन आया है उसका विरोध करता हूं और सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जो विचार सदन में व्यक्त किये गये हैं, उनके ऊपर विचार करे और सदन की जो इच्छा है, उसके अनुरूप कार्य करें। मैं तो चाहूंगा कि जो बड़े-बड़े किराये वाले हैं, जमीन वाले हैं या कोठी वाले हैं, या जो बड़े-बड़े किरायेदार हैं जो प्रति मास ५०० रुपया या १,००० रुपया किराये के रूप में देते हैं, उन पर टैक्स लगाने के लिये सरकार कोई ऐसा कानून लाये ताकि जो मेरी मंशा है वह भी पूरी हो जाय और सरकार के रिसोर्सेज भी बढ़ सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय फूल सिंह जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करने की आवश्यकता इसलिये हुयी है कि अभी थोड़ी देर पहले जमीन का बेटा और किसान की जिन्दगी बसर करने वाले माननीय हरी सिंह जी बोल चुके हैं और इसकी ताईद भीखा लाल जी ने की और कहा कि जो पहला कानून था वह दोषपूर्ण था और जो हट रहा है यह भी दोषपूर्ण है। तो इसीलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून को सही तौर से समझने के लिए जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय या प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

एक बात अध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्मरण होगी कि यह कानून ऐसे समय में पास हुआ था, जब देश संकट की घड़ियों से गुजर रहा था और उस समय आवश्यकता थी कि सारा देश आपात्ति कालीन घड़ी में शासन का हाथ मजबूत करता। गरीबों ने भी अपना सहयोग दिया और अमीरों से भी वसूल किया गया। लेकिन आज का समय जो है वह उतना संकट का समय नहीं है जब कि यह कानून बना था। इसलिये इस कानून को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बाद या जनमत संग्रह करने के बाद जिस प्रकार का कानून माननीय भीखा लाल जी चाहते हैं उस प्रकार का कानून बनाने में क्यों सहायक नहीं होते हैं? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब भूमि की लगान माफी का प्रश्न आया तो वह न बर दो और तीन पर पहुंच गया और बावजूद तमाम शोरगुल और इस्तीफों के अभी भूमि का लगान सवा ६ एकड़ का खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन भूमि भवन कर जैसे ही आप सत्ता में आये वैसे ही माफ हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को अच्छी तरह से जानता हूं। उन की एक कल्पना थी, विचार थे, उन की एक तमन्ना थी कि सुदृढ़ पार्टी वे पावें और उस के द्वारा इस प्रदेश की कुछ सेवा करें। उन्होंने सम्भवतः इसी भावना से संविद की रचना की। लेकिन रचना करने के बाद वह संकट में पड़ गये। मुझे एक कथा याद आ गयी।

श्री अध्यक्ष---

आप की कथा बिल से संबंधित हो, माननीय मुख्य मंत्री से नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल---

अध्यक्ष महोदय, एक बाबू साहब बड़े शौकीन थे जो घोड़ी पर बैठते थे, जैसे हमारे मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री होने के शौकीन थे। तो उन्होंने एक साहब से घोड़ी मांग ली और घोड़ी को ले कर चले। थोड़ी देर में घोड़ी को एक बच्चा हो गया और उस बच्चे को कंधे पर रख कर बाबू साहब को चलना पड़ा। उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री ने एस० बी० डी० की रचना की, लेकिन वह बच्चा दिया गया जनसंघ का और उसी को लादे हुए वह आज घूम रहे हैं और भूमि भवन कर माफ कर रहे हैं, अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं और इसी का यह बिल फल है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को भेजा जाय और जिस प्रकार का कानून माननीय भीखा लाल जी चाहते हैं वैसा ही हम चाहते हैं। जिस प्रकार का कानून माननीय हरी सिंह जी चाहते हैं उसी प्रकार का हम लोग भी चाहते हैं। हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। इन शब्दों के साथ में संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मही लाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७, पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री फूल सिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, ३ बातों की आलोचना की गयी। एक तो यह कि टैक्स का रेट बहुत हाई है लेकिन रेट का तखमीना विधेयक का अंग नहीं होता। गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह इसे कम कर दे बजाय सारे ऐक्ट को वापस लेने के। फिर सन् ५१ से पहले के मकानों पर २० प्रतिशत है और सन् ५१ के बाद १० प्रतिशत है। इसी तरह रेजीडेंशियल हाउसेज पर पुरानें पर साढ़े १२ परसेंट है और नयों पर ५ परसेंट है। यह कैद खत्म हो जाती। आप एक प्रतिशत कर देते लेकिन टैक्स को ही खत्म कर दें, यह उचित नहीं है।

दूसरी आपत्ति है कि कितनी सीमा के किराये तक के मकान इससे बरी रहें। यह भी इसका अंग नहीं है। सरकार को अधिकार है कि एक हजार सालाना आमदनी वाले मकान कर से बरी रहेंगे। भीखालाल जी ने एक बात बड़े अचम्भे की कही कि जब यह कानून पास हुआ था तो मैं गवर्नमेंट का मेम्बर था लिहाजा वह भी गलत कानून पास करेंगे। मैं इस सिलसिले में एक किस्सा बतलाता हूं। किसी ने किसी की थाली में गोश्त खा लिया। उसने कहा कि तुमने मेरी थाली में गोश्त खाया है तो मैं तुम्हारी थाली में खाऊंगा। हमने बहुत गलतियां की हैं और हम अपनी गलती से परेशान हैं। लेकिन हम जो बात कहें उसमें जो बात मानने योग्य हो उसे मानें, जो बात गलत हो उसे न मानें लेकिन हर बात का यह जवाब देना कि हमने यह गलती की, वह गलती की; इसके माने यह हैं कि आपका सुधार होने वाला नहीं है।

हरी सिंह जी ने कहा कि ५०–६० गज वाले मकान को बनाने में दिक्कत होती है। एक एकड़ ५०–६० गज से बड़ा होता है और एक एकड़ की भूमि उससे बरी है। मैं यह कहता हूं कि यह कानून बना रहे और गरीब आदमियों को इससे राहत मिले, वह सुविधा इसमें हो सकती है। सारा अख्तियार सरकार को है। किरायेदारों पर बर्डन होता है तो उनको उससे बरी कर दें।

म्युनिसिपल बोर्ड का टैक्स पहले ही बहुत है, इसकी भी चर्चा हुई। यह टैक्स प्रापर्टी के वैल्युएशन पर लगता है। उत्तर प्रदेश में यह कायदा है कि जमीन की और मकानों की कीमत हर ५ साल बाद आंकी जाय जब कि बम्बई में हर साल और अन्य प्रदेशों में हर तीसरे साल आंकी जाती है। इसके अलावा सन् ५४ के बाद यहां कीमत आंकी ही नहीं गयी, यह कितनी ज्यादती की बात है इसके बाद कीमत आंकने के कागज तैयार ही नहीं हुए। ७ लाख रुपया इसके लिये म्युनिसिपल कारपोरेशन में खर्च हुआ, लेकिन रजिस्टर तैयार नहीं हो सके। आप वैल्युएशन न आंकने दें, रजिस्टर तैयार न होने दें और टैक्स बढ़ जाने की आपको शिकायत रहे, तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है, न मुनासिब बात है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बातों पर विचार करें।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस निरसन विधेयक को जनमत के लिये घुमाने का प्रश्न है, अब तो यह प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि ४ मई, १९६७ को मंत्रि परिषद् ने १ अप्रैल, १९६७ से भूमि भवन कर, जिसको जनता के शब्दों में भूल भयंकर कर के नाम से पुकारा जाता था, उत्तर प्रदेश में ऐसा जन बिरोधी जो काम तत्कालीन सरकार ने किया था, उसको समाप्त करके इस सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम जनहित में उठाया है। और इस उत्तर प्रदेश के ८ करोड़ ५० लाख आदमियों में एक एक्सेप्शन बाबू फूलसिंह जी को छोड़ कर किसी ने भी यह नहीं कहा कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। यही नहीं, दुःख तो इस बात का है कि सोया हुआ तो जगाया जा सकता है मगर जगे हुये को जगाया नहीं जा सकता, वह सोया ही रहता है। विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बरमेश्वर पाण्डेय]

करने के लिये तो बहुत-सी बातें की गयीं, लेकिन अक्तूबर, १९६६, में मुजफ्फरनगर कांग्रेस ने जो चुनाव के पहले हुई चुनाव जीतने के लालच से शायद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि भूमि-भवन-कर समाप्त कर देंगे क्योंकि फरवरी में जनता का मुकाबला करना था। तो अगर उस काम को हम लोगों ने कर दिया तो कौन-सी बुरी बात की? जमनत के लिये तो वह चीज भेजी जाती है जिसके बारे में दो रायें हों। इसके बारे में दो रायें हैं ही नहीं। इसलिये इसको जनता की राय के लिये भेजना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय फूलसिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निरसन) विधेयक, १९६७, को जनमत संग्रह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निरसन) विधेयक, १९६७, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निरसन) विधेयक, १९६७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२, के निरसन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९६२ का निरसन तथा अपवाद

२—(१) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२, को, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, १ अप्रैल, १९६७, से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निरसन का, निरसन की अवधि के पूर्व के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के या लगाये गये कर की वसूली के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के अधिकारों या क्षेत्राधिकार का प्रयोग बराबर करते रहने पर अथवा किसी स्वामी के उक्त अधिनियम की धारा ५ के अधीन अध्यासी से ऐसे कर की कोई धनराशि वसूल करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बरमेश्वर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निरसन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७†

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, को आगे आये हुये प्रयोजनों के निमित्त और संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, की धारा ४ में, उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(६) उपधारा (१) से (३) तक में या उपधारा (३) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति में अथवा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, में किसी बात के होते हुये भी, सीतापुर में स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आपथलमोलाजी ऐण्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहा समझा जायगा और सदैव से सम्बद्ध रहा समझा जायगा।"

†१९ दिसम्बर, १९६७, की कार्यवाही में छपा है।

अध्यादेश संख्या ५, १९६७ का निरसन तथा अपवाद

३—(१) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६७, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम १२ दिसम्बर, १९६७, को प्रारम्भ हो गया हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं। १५ जनवरी, १९६८, को ११ बजे पूर्वान्ह फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १२ मिनट पर सोमवार, १५ जनवरी, १९६८, को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ दिसम्बर, १९६७।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत निर्धारित तां० प्र० सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८५ पर।]

तालिका

क्रम-संख्या	वर्ष	विद्यालय का नाम	उपयोग प्रमाण-पत्र दे दिया है अथवा नहीं
१	१९६४–६५..	राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लावड़, मेरठ।	नहीं।
२	,, ..	एच० एन० शास्त्री, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमेड़ा, मेरठ।	हां।
३	,, ..	मारवाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिलखुआ, मेरठ।	हां।
४	१९६५–६६..	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरखोदा, मेरठ।	हां।
५	,, ..	सी० ऐंड० आई० एग्रीकल्चर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हापुड़, मेरठ।	नहीं।
६	,, ..	उदय प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सपनावत, मेरठ।	नहीं।
७	,, ..	महिला हितकारी केन्द्र शान्ता स्मारक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेरठ।	नहीं।

वर्ष १९६६–६७ में खेल के मैदान के लिये अनुदान देने की योजना लागू नहीं थी। अतः उस वर्ष किसी भी विद्यालय को अनुदान नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत निर्धारित तां० प्र० सं० ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर]

प्रश्न संख्या ५ से सम्बन्धित सूची

हिन्दू इन्टर कालेज, कांडला, मुजफ्फरनगर

अध्यापकों के नाम	वेतन-क्रम	अवधि जिनकी वेतन वृद्धि रोकी गयी	दक्षतारोक अथवा साधारण वेतन वृद्धि रोकी गयी	इस अवधि की रोकी गयी वेतन वृद्धि कब तक दिये जाने का विचार है
१	२	३	४	५
१—श्री अमर नाथ दत्ता (कार्य कर रहे हैं)	१७५–१०–२१५–द०रो०–१५–३५० ..	१–७–६० से ३०–६–६२ तक (दो वर्ष)।	साधारण वेतन वृद्धि रोकी गयी।	इस अवधि के मध्य के कार्य को देखते हुये प्रबन्धक समिति रोकी गयी वेतन वृद्धि देने को सहमत नहीं क्योंकि इनका कार्य इस अवधि में असन्तोष-जनक था।
२—श्री धर्म दत्त गौड़ (कार्य कर रहे हैं)	१२०–६–१६८–द०रो०–९–२४०–१०–३०० ।	१–७–५८– से ३०–६–६० तक (दो वर्ष)।	दक्षता रोक	
३—श्री सन्तोषकुमार अरोरा (कार्य कर रहे हैं)	१२०–६–१६८–द०रो०–९–२४०–१०३०० ।	१७–४–६४ से १६–६–६५ तक (एक वर्ष)।	साधारण वेतन वृद्धि	
४—श्री शान्ति आनन्द मित्तल (अवकाश प्राप्त)।	७५–५–११०–द०रो०–६–१४०–७–१६८–८–२०० ।	१–७–५ ८से ३०–६–६२ तक (चार वर्ष)।	दक्षता रोक	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत निर्धारित ता० प्र० सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर]

संलग्नक

जिला गोरखपुर के उन ग्रामों की सूची जिनकी जमीन तथा आबादी राप्ती और घाघरा नदियों से कटकर दूसरे गांवों में चली गई है तथा प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने का विवरण।

तहसील	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम जिसमें कटाव हुआ है	नदी का नाम जिससे कटाव हुआ है	कटाव से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन करने का जो प्रबन्ध सरकार ने किया है या कर रही है उसका विवरण
१	२	३	४	५
सदर ..	१	मटिपारी ..	राप्ती	प्रभावित व्यक्तियों ने स्वयं सुरक्षित स्थानों पर बसने की व्यवस्था की है।
	२	सांड़ पोतहरा ..	,,	,,
	३	भकसा ..	,,	,,
	४	अमसार ..	,,	,,
	५	टिकरिया ..	,,	,,
	६	सुरगहना ..	,,	,,
	७	बुथना ..	,,	,,
	८	मरोकाछ ..	,,	,,
	९	रघुनाथपुर ..	,,	,,
	१०	शेरगढ़ ..	,,	भूमि प्राप्त करके ग्राम नौसढ़ में बसा दिये गये हैं।
	११	बरबार खुर्द एहतमाली	,,	प्रभावित व्यक्तियों ने सुरक्षित स्थानों पर बसने की स्वयं व्यवस्था की है।
	१२	बरबार बुजुर्ग ..	,,	,,
	१३	डुमरी ..	,,	,,
	१४	नदुवा उर्फ लालपुर टीकर। ..	,,	भूमि प्राप्त करके नदुवा ग्राम ही में बसा दिये गये हैं।
	१५	सेमरोन ..	,,	प्रभावित व्यक्तियों ने सुरक्षित स्थानों पर बसने की स्वयं व्यवस्था की है।
	१६	बरही ..	,,	,,
	१७	चितहरी ..	,,	,,
	१८	मखलिया ..	,,	प्रभावित परिवारों को बसाने के लिये दूसरे गांव में जमीन ली गई किन्तु उस ग्राम में बसने के लिये वे लोग

१	२	३	४	५
				तैयार नहीं । वे स्वतः अपने ही ग्राम में अपने खेतों में ऊंचे स्थानों पर बस गये हैं ।
१९	कोड़ारी	..	घाघरा	इस ग्राम में आबादी नहीं कटी अतः इनके पुनर्वासन करने का प्रश्न नहीं उठा ।
२०	जाईपार	..	,,	,,
२१	बड़हलगंज एहतमाली		,,	,,

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ तथा २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७००–७०१ पर)

आयोग द्वारा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के १२ राजपत्रित अस्थाई पदों के लिये की गई संस्तुतियां

१—श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
२—श्री भगत शरण गुप्ता
३—श्री विजेन्द्र नाथ शुक्ला
४—कुमारी शशी सुनीला एण्ड्रूज
५—श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव
६—श्री नरेन्द्र सिंह चौहान
७—श्री जगदीश स्वरूप माथुर
८—श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी
९—श्री हरि मोहन जौहरी
१०—कुमारी कमलेश प्रकाश
११—श्री वीरेन्द्र नाथ तिवारी (अतिरिक्त सूची)
१२—श्री हरिनाम सिंह यादव ,,
१३—श्री राम कुमार गुप्ता ,,
१४—श्री श्रीशचन्द्र मिश्र ,,
१५—श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ,,
१६—श्री विनोद प्रकाश श्रीवास्तव ,,
१७—श्री चन्द्रसिंह (परिगणित जाति की आरक्षित रिक्ति के लिये)
१८—श्री श्रीकृष्ण (परिगणित जाति की आरक्षित रिक्त के लिये)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०३ पर)

ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम
वजीरगंज	१—गोंटिया मजरा वजीरगंज
	२—बरोर अमान अल्लूपुर
	३—सोई
	४—चांदपुरा
	५—बगरैन
	६—बकरपुर
	७—रोटा
	८—गरुआ
बिसावर जगत ..	१—गुल रिया
	२—कंबेला
	३—बदायूं सिटी
	४—उटरना
	५—नाथू
	६—ललोई
	७—बदायूं मोहल्ला शहबाजपुर
	८—बड़ी शमेशपुर
	९—दहेमी
	१०—थलिया नगला
	११—आमगांव
	१२—बेहटायमन
	१३—लखनपुर
	१४—भिदुलिया पिलासी
	१५—घटपुरी
	१६—अजीज बरखान
	१७—मुडिया
	१८—गिढ़ोल
	१९—सरवनू
	२०—कस्बा बदायूं

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

जिलों का नाम		नई सड़कों का नव निर्माण	जिला परिषद् की सड़कों का पुन-निर्माण	सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान सड़कों का सुधार व आधुनिकी-करण	पुलों का निर्माण
		(लम्बाई किलो-मीटर में)	(लम्बाई किलो-मीटर में)	(लम्बाई किलो मीटर में)	(संख्या)
आजमगढ़	..	२१०.८२३	२७.३५८	८५.२९५	३
देवरिया	..	१०४.६०८	२२.५३०	८०.४६७	३
गाजीपुर	..	१४६.४५०	..	१९.३१२	७
जौनपुर	..	१४९.६६९	२६.९५६	४८.२८०	७
योग	..	६११.५५०	७६.८४४	२३३.३५४	२०

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

To
THE CHIEF MINISTER,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Subject:—**obstructions to public Administration to Haripura Harsan, Tahsil Bazpur, District Naini Tal by Sri Ram Datt Joshi, M.L.A., be prohibited.**

SIR,

The Board of Revenue has issued clear orders about the eviction of the tresspassers and the allotment of land in planned way, in this district. These orders are being carried out faithfully by the District Authorities. Land once occupied by some of the Raisikhas was cleared off them by the enforcement of the eviction act, after the cases had been fought and lost by the tresspassers upto the High Court and the land was entrusted to Superdaris. The vacated land was then allotted and orders for delivery of possession and execution of Patta and Kabuliats were passed. Even possession has been delivered to the allottees and some Pattas have also been executed.

It is regretted that Sri Ram Datt Joshi, M.L.A., has been llegally interfering with the execution of the above orders of allotment and interfering in maintenance of the peaceful possession of the allottees. He is also interfering with orders of delivery of possession to the allottees in cases where it has not yet been delivered to the allotees from the Superdars. Sri R. D. Joshi has been misusing the machinery of the Government at Lucknow. Some times he is getting wireless sent to the local officials asking them to stay execution of orders of the District Magistrate, Naini Tal and sometimes sending them telegrams directly to the same effect. This is confusing matters and demoralising the local officials who are thus obliged to disregard the orders and directions of the District Magistrate. We include herewith a copy of latest telegram sent by him recently to the Peshkar, Bazpur and the District Magistrate, Naini Tal. Some wireless message patently unauthorised were also received by the local officials. This must be again the action of Sri Ram Datt Joshi, M.L.A., or his friends. He has sent several telegrams to the District Magistrate, Naini Tal too.

In the interests of proper and good administration and in order that orders of the Government may be executed without let and hinderance and in order that indiscipline and demoralisation in the services which Sri Joshi's telegrams to local official is creating may be avoided, it is prayed that Sri R. D. Joshi, M.L.A., may be asked to desist from obstructing public administration.

We may mention that allottees of the land are Military personnel who has won Vir Chakra and the relations of these who died in the Indo-Pak War, and seriously wounded military persons.

We pray that these activities of Sri R. D. Joshi, be kindly stopped at once and urgent attention may kindly be given to this.

Yours faithfully,
Sd. G. C. SHAH,
Bar-at-Law,
Naini Tal.
N. K. KHOLIA,
Advocate.

Coyp forwarded to :
Honourable Minister,
For Revenue Vibhag.

MOST URGENT
TELEGRAM

183, DORALBAGH,
Lucknow.
28th June, 1967.

Peshkar, Bazpur.

DEAR SIR,

This is to inform your goodself that Government has today issued orders effecting stay of all eviction proceedings and direct the District Magistrate, Naini Tal telegraphic not to disposses persons already evicted by court of law till further orders the telegram must have been received by D. M. today. In view of the same your goodself are requested to s'ay police action in Haripur Harsan and Marriya huttu. Thanking you.

R. D. JOSHI, *M. L. A.*

Addressed to D. M., Naini Tal

Government orders issued today effecting eviction cases and actual ejectment please stay. Please stay eviction by police force in Haripur Harsan.

R. D. JOSHI, M. L. A.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०९ पर)

सीलिंग ऐक्ट से निकली गांव की सूची जिनमें भूमि (२२५०.५८ एकड़) पर सरकार द्वारा कब्जा हुआ।

तहसील		गांव	
१—उन्नाव	..	१—भदवेदना	९—सराय कटियान
		२—मझरा पीपरखेड़ा	१०—अगहरा
		३—महदेवना	११—सरासी सिकन्दरपुर
		४—वाजिदपुर	१२—सिहुरा
		५—परियर	१३—सथरा
		६—कटरीव सघैना	१४—हाजीपुर
		७—रामपुर	१५—सुल्तानपुर
		८—जमुका	१६—नेतुवा
२—पुरवा	..	१—गौनामऊ	११—अकोहरी
		२—पारा	१२—जेरा
		३—वक्सर	१३—जबरोला
		४—संग्रामपुर	१४—सगौली
		५—रजवाडा	१५—नसीरपुर
		६—गुजौली	१६—अकबरपुर
		७—ताजकपुर	१७—साझामऊ
		८—गुलरिहा	१८—लोहरामऊ
		९—जयसिंह खेड़ा	१९—करदहा
		१०—मवई	
३—हसनगंज	..	१—रसूलपुर वकिया	४—सरसा
		२—सोहरामऊ	५—बहेरिया खुर्द
		३—मरूई नईमपुर	६—महन्योरा
			७—सराय जोगा
४—सफीपुर	..	१—वेहटा मुजावर	१३—सफीपुर
		२—व्याली इसलामाबाद	१४—साईपुर सगौड़ा
		३—अटवा	१५—जसरापुर
		४—पट्टी गांवा	१६—हसनपुर
		५—रोशनाबाद	१७—सिहपुर
		६—जीरकपुर	१८—सिहपुरबिरिया गोंडा
		७—जमऊ	१९—सेतहाई
		८—मढ़ापुर	२०—हीरापुर
		९—कटरी अकबरपुर सेन	२१—मऊ
		१०—राजेपुर	२२—भिखारीपुर रूल्ल
		११—कटरी औरंगाबाद	२३—महोलिया।
		१२—फिरोजपुर कलां	

नत्थी 'झ'

(देखिये ताराकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१० पर)

सन् १९६६–६७ का आय-व्ययक, अन्तिम प्राविधान वास्तविक व्यय के वापस दिये गये आंकड़ों का विवरण

शीर्षक: ३६—प्रकीर्ण या सामाजिक तथा विकास संम्बन्धी संगठन—प्रकीर्ण—प्रकीर्ण अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	अनुमानित आय-व्ययक १९६६–६७	अंतिम प्राविधान १९६६–६७	वास्तविक व्ययक आंकड़े १९६६–६७	धन जो वापस कर दिया गया १९६६–६७	धन वापसी के कारण
क—अधीक्षण—	रु०	रु०	रु०	रु०	
आयोजनेतर मतदेय	३,१०,०००	३,२६,०००	३,२५,२३१	५००	क—अधीक्षण
आयोजनागत भारित	१०००	..	..	..	आयोजनेतर—मितव्ययिता
	३१,९००	२,१२००	२७,२८३	..	
योग, क अधीक्षण ..	३,४२,९००	३,४७,२००	३,५२,५१४	५००	
ख—जिला संगठन—					ख—जिला संगठन—
आयोजनेतर	१७,८५,७००	११,८३,२००	१२,३९,७९८	२२,०००	आयोजनेतर (१) कुछ पदों की रिक्तता, (२) मितव्ययिता, (३) कुछ सामग्री उपलब्ध न होन ।
आयोजनागत ..	१,५०,१००	२,१९,६००	१,७०,६२२	९,८००	आयोजनागत (४) अवकाश वेतन के हेतु रिजर्व धन-राशि का उपयोग न होना ।
योग, ख—जिला संगठन	१९,३५,८००	१४,०२,८००	१४,१०,४२०	३१,८००	

अविधान विधान

शीर्षक: ३६—प्रकीर्ण या सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन—प्रकीर्ण—प्रकीर्ण अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	अनुमानित आय-व्ययक १९६६–६७	अंतिम प्राविधान १९६६–६७	वास्तविक व्ययक आंकड़े १९६६–६७	धन जो वापस कर दिया गया १९६६–६७	धन वापसी के कारण
	रु०	रु०	रु०	रु०	
ङ—शैक्षिक कार्यवाहियां					ङ—शैक्षिक कार्यवाहियां—
आयोजनेतर ..	१,५०,४९,५००	१,६३,६६,०००	१,५५,३९,२७६	६८,५००	आयोजनेतर—(१) जिला स्तर पर प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेन्ट), की धनराशि का उपयोग न होना, (२) विमुक्त जातियों के लिये संस्थाओं द्वारा बिलों का प्रस्तुत न किया जाना।
आयोजनागत ..	३८,८३,०००	३८,२६,५००	४४,४८,७८०	४५,४००	आयोजनागत—आश्रम टाइप स्कूल में कुछ पदों की रिक्तता और कुछ मदों में सामग्री नियत समय पर उपलब्ध न होना।
योग, शैक्षिक कार्यवाहियां	१,८९,३२,५००	२,०१,९२,५००	१,९९,८८,०५६	१,१५,३००	
च—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें ..	१,३५,६३,७००	१,१३,७०,५००	१,२०,४५,७००	१०,४८,५००	च—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें १—आर्थिक कटौती, (२) नागर क्षेत्रों में मेहतरों के लिये गृहों के निर्माण के निमित्त स्थानीय निकायों से मांग न प्राप्त होने के कारण, (३) कुछ लेखा शीर्षक के अन्तर्गत योग्य प्रार्थियों का उपलब्ध न होना, (४) आश्रम टाइप स्कूल में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					कुछ पदों की रिक्तता व आवश्यकीय सामग्री का नियत समय पर प्राप्त न होना, (५) आश्रम टाइप स्कूल, गोंडा के लिये शासकीय स्वीकृति देर में आने के कारण कुछ कक्षायें देर में खोली जाना।
छ—आर्थिक उत्थान ..	११,५४,२००	७,३४,७००	७,२९,०७२	४,१२,७००	आर्थिक उत्थान:— (१) आर्थिक कटौती, (२) पोलीटेक्निक, लखनऊ में कुछ जगहें योग्य प्रार्थियों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त होना और नियत समय पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पालीटेकनिक के हेतु सामग्री प्राप्त न होना।
ज—स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें ..	६,५५,०००	..	..	१,००,०००	गृह निर्माण के अनुदान में आर्थिक कटौती

(मदन गोपाल श्रीवास्तव)
२१-१२-६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६, ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१४ पर)

सूची 'क'

क्रम-संख्या	जिला मेरठ की तहसील हापुड़ में स्थित विद्यालयों के नाम	१९६६–६७ में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत विज्ञान उपकरण हेतु स्वीकृत अनावर्तक अनुदान	गत पांच वर्षों में वैज्ञानिक वर्ग में इन्टर परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या				
			१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७
१	२	३	४	५	६	७	८
१	रघुवीर सिंह किसान उ० मा० वि०, सिम्भावली।	१२,००० इन्टर कक्षाओं के लिये।	३७	३६	४७	५२	६२
२	जनता उ० मा० वि०, खरखौदा ..	४,००० हाई स्कूल कक्षाओं के लिये।	..	..	..	..	१९
३	सरस्वती विद्यालय उ० मा० वि०, हापुड़।	१२,००० इन्टर कक्षाओं के लिये।	२६१	२५५	२७५	३०५	२८७

अनुप्रयोग विधान सभा

सूची 'ख'

जिला मेरठ की तहसील हापुड़ में स्थित विद्यालय जिनको गत पांच वर्षों में अनुदान स्वीकृत किया गया उसकी सूची ।

अनुदान	संस्था के नाम		
	रघुवीर सिंह किसान उ० मा० वि०, सिम्भावली	जनता उ० मा० वि०, खरखोदा	सरस्वती विद्यालय उ० मा० विद्यालय, हापुड़
१९६२-६३			
आवर्तक-- अनुपालन अनुदान	२१,४४४	१८,४४४	५६,४०८
अनावर्तक---अनुदान ..	..	५,०००	..
१९६३-६४ ..	२१,८५२	२२,८१२	६४,७८८
आवर्तक---अनुपालन अनुदान--			
अनावर्तक---अनुदान ..	..	२,५००	..
१९६४-६५			
आवर्तक---अनुपालन अनुदान	२३,७७२	{ २६,४८४ / २ ००० }	७४,२८०
अनावर्तक---अनुदान ..	..	१,२५०	..
१९६५-६६			
आवर्तक-- अनुपालन अनुदान (एडहाक सहित ।)	३७,२१९.८४	३४,०२८.१३	९९,५९५.०४
अनावर्तक अनुदान ..	..	५,०००	..
		८,०००	
१९६६-६७			
आवर्तक-- अनुपालन अनुदान (एडहाक सहित),	४३,४६४	३४,२७२	१,१७,८२८
अनावर्तक---अनुदान ..	१२,०००	४,०००	१२,०००

सूची का में दिखाया हुआ अनावर्तक अनुदान ।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१५ पर)

क्रम-सं०	विद्यालयों का नाम जिन को वर्ष १९६६–६७ में इन्टर विज्ञान अनुदान स्वीकृत हुआ।	इन्टर विज्ञान वर्ग में गत पांच वर्षों में छात्र संख्या				
		१९६३–६४	१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६७–६८
१	सेठ मुकुन्दलाल बी० के० इन्टर कालेज, गाजियाबाद।	१४५	११४	११७	११०	१२८
२	हर चन्द मल जैन इन्टर कालेज, टिकरी	१२९	११६	७७	७३	७३
३	शम्भू दयाल इन्टर कालेज, गाजियाबाद।	३१५	३०६	२८२	२८३	२५९
४	नानकचन्द एंग्लो संस्कृत इन्टर कालेज, मेरठ।	२२३	२४७	२४८	२१३	२३१
५	रघुवीर सिंह किसान इन्टर कालेज, सिम्भावली।	६३	५२	४९	४०	४७
६	वी० ए० वी० इन्टर कालेज मेरठ	५५१	५१४	४६१	३३९	२४१
७	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, किशनपुर बराल।	८१	७६	४६	६५	६५
८	सेन्ट चार्ल्स इन्टर कालेज, सरधना।	८५	८५	९६	८५	८२
९	श्री सनातन धर्म इन्टर कालेज, गाजियाबाद।	१३९	१३२	११७	१२४	१०४
१०	एम० ए० इन्टर कालेज, खेकड़ा	८९	७३	६५	७०	७३
११	एस० एस० वी० इन्टर कालेज, हापुड़।	५४७	४७४	४८६	४६१	४४९
१२	किसान नेशनल इन्टर कालेज, मुरादनगर।	२१५	२१८	२३०	१८५	१९३

नत्थी 'ठ'

सूची

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२० पर)

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा तथा बहराइच जिलों में सीलिंग में निकली भूमि तथा उसके बन्दोबस्त का विवरण निम्न प्रकार है :—

जिला	उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत शासन को प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	वितरित की गई भूमि का विवरण			शेष भूमि का क्षेत्र (एकड़) जिसका बन्दोबस्त होना बाकी है
		स्थायी रूप से बन्दोबस्त की गई	अस्थायी रूप से बन्दोबस्त की गई	कुल	
बस्ती	३,३५६.२९०	२२३.७३०	२,४७२.४००	२,६९६.१३०	६६०.१६०
गोरखपुर	२,८५८.०००	३२९.०००	१,२४५.०००	१,५७४.०००	१,२८४.०००
देवरिया	२,१८४.०००	१३.०००	८९४.०००	९०७.०००	१,२७७.०००
गोंडा	५,०८३.७०८	..	४,४७०.३५२	४,४७०.३५२	६१३.३५६
बहराइच	१५,२९१.०४७	..	१२,६०३.८१३	१२,६०३.८१३	२,६८७.२३४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एल० ए०—१९६८—८४६ ।